



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे 2020-2021



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



मध्यप्रदेश सरकार

विनियोग लेखे

2020-2021

मध्यप्रदेश सरकार

विषय-सूची

प्रस्तावना	पृष्ठ v-vi
विनियोग लेखे का सार	vii-xix
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	xx-xxi
अनुदान/विनियोग संख्या एवं नाम	
भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	1-7
भारित विनियोग-लोक ऋण	8-12
01. सामान्य प्रशासन	13-18
02. सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	19-20
03. पुलिस	21-36
04. गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	37-39
05. जेल	40-41
06. वित्त	42-49
07. वाणिज्यिक कर	50-55
08. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	56-60
09. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	61
10. वन	62-67
11. उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	68-69
12. ऊर्जा	70-72
13. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	73-78
14. पशुपालन	79-82
15. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	83-84
16. मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	85-87
17. सहकारिता	88-91
18. श्रम	92-93
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	94-98
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	99-104
21. लोक सेवा प्रबन्धन	105-107
22. नगरीय विकास एवं आवास	108-113
23. जल संसाधन	114-131

	पृष्ठ
24. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	132-136
25. खनिज साधन	137-139
26. संस्कृति	140-144
27. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	145-151
28. राज्य विधान मण्डल	152-153
29. विधि और विधायी कार्य	154-160
30. ग्रामीण विकास	161-163
31. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	164-165
32. जनसंपर्क	166-168
33. जनजातीय कार्य	169-182
34. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	183-187
35. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	188-191
36. परिवहन	192-194
37. पर्यटन	195-196
38. आयुष	197-200
39. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	201-204
40. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	205-210
41. प्रवासी भारतीय	211
42. भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	212-214
43. खेल और युवक कल्याण	215-217
44. उच्च शिक्षा	218-225
45. लघु सिंचाई निर्माण कार्य	226
46. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	227
47. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	228-235
48. नर्मदा घाटी विकास	236-243
49. अनुसूचित जाति कल्याण	244-249
50. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	250-253
51. अध्यात्म	254-256
52. चिकित्सा शिक्षा	257-263
53. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	264-268
54. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	269
55. महिला एवं बाल विकास	270-278

	पृष्ठ
56. कुटीर एवं ग्रामोद्योग	279-282
57. पर्यावरण	283-284
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	285-291
59. ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	292
60. जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	293-294
61. बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	295-296
62. पंचायत	297-298
63. अल्पसंख्यक कल्याण	299-301
64. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	302-305
65. विमानन	306-307
66. पिछड़ा वर्ग कल्याण	308-310
67. लोक निर्माण कार्य-भवन	311-314
68. लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	315

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I	अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां	318-320
परिशिष्ट-II	शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरण द्वारा जमा राशियों का अनुदानवार एवं योजनावार विवरण	321

प्रस्तावना

वर्ष 2020-21 के लिये मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है।

“मूल” मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक है।

“पूरक” पूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक है।

“पुनर्वि.” सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक है।

प्रभारित विनियोग और व्यय को तिरछे अंकों में दर्शाया गया है।

मध्यप्रदेश लोक लेखा समिति द्वारा दिनांक 14.09.2004 को अनुमोदित निम्नलिखित पुनरीक्षित मापदण्ड विनियोग लेखे पर टिप्पणियों हेतु मान्य किये गए हैं।

बचत के प्रकरणों में टिप्पणी दी जावे यदि:

1. किसी अनुदान में कुल प्रावधान पांच प्रतिशत या इससे अधिक बचत हो।
2. किसी उप शीर्ष में कुल प्रावधान का दस प्रतिशत या अधिक की कुल बचत उप शीर्ष में होने पर टिप्पणी दी जावे यदि बचत की राशि:-
 - क. बचत की राशि ₹ 40 लाख से कम नहीं हो और कुल प्रावधान ₹ 30 करोड़ से अधिक हो।
 - ख. बचत की राशि ₹ 20 लाख से कम नहीं हो और कुल प्रावधान ₹ 10 करोड़ से ₹ 30 करोड़ के मध्य हो।
 - ग. बचत की राशि ₹ 10 लाख से कम नहीं हो और कुल प्रावधान ₹ 10 करोड़ से कम हो।
3. अनुदान में भारित व्यय के अन्तर्गत कुल बचत ₹ 10 लाख से कम नहीं हो।

आधिक्य के प्रकरणों में विनियोग लेखे पर टिप्पणी दी जावे यदि:-

1. उन सभी प्रकरणों में जहाँ किसी अनुदान या विनियोग में समग्र आधिक्य हो।
2. किसी उप शीर्ष के कुल प्रावधान में उप शीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य ₹ 10 लाख और दस प्रतिशत से अधिक हो।
3. ऐसे सभी प्रकरणों में जहाँ किसी उप शीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य उस उप शीर्ष के कुल प्रावधान के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है टिप्पणी दी जावे यदि:-
 - क. एक उप शीर्ष के अन्तर्गत जहाँ कुल प्रावधान ₹ 30 करोड़ से अधिक है और आधिक्य ₹ 40 लाख से अधिक है।
 - ख. एक उप शीर्ष के अन्तर्गत जहाँ कुल प्रावधान ₹ 10 करोड़ से ₹ 30 करोड़ के मध्य है और आधिक्य ₹ 20 लाख से अधिक है।
 - ग. एक उप शीर्ष के अन्तर्गत जहाँ कुल प्रावधान ₹ 10 करोड़ से कम है और आधिक्य ₹ 10 लाख से अधिक है।

विनियोग लेखे का सार

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना
(हजार ₹ में)			
			बचत आधिक्य
भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा राजस्व- <i>प्रभारित</i>	1,70,09,31,46	1,59,17,87,13	10,91,44,33
भारित विनियोग- लोक ऋण पूंजीगत- <i>प्रभारित</i>	1,63,46,13,06	1,27,57,29,59	35,88,83,47
01 सामान्य प्रशासन राजस्व- दत्तमत <i>प्रभारित</i>	6,82,52,44 59,25,20	4,31,70,06 27,81,04	2,50,82,38 31,44,16
पूंजीगत- दत्तमत	70,00,60	60,87,31	9,13,29
02 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय राजस्व- दत्तमत	1,33,93,76	82,38,44	51,55,32
03 पुलिस राजस्व- दत्तमत <i>प्रभारित</i>	73,53,10,11 1,52,50	66,87,11,84 1,01,62	6,65,98,27 50,88
पूंजीगत- दत्तमत	6,53,82,83	5,98,91,82	54,91,01
04 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय राजस्व- दत्तमत <i>प्रभारित</i>	94,33,43 3,00	51,31,00 0	43,02,43 3,00
पूंजीगत- दत्तमत	58,01	19,77	38,24
05 जेल राजस्व- दत्तमत	4,21,98,11	3,95,96,04	26,02,07
पूंजीगत- दत्तमत	30,30,00	27,94,54	2,35,46
06 वित्त राजस्व- दत्तमत <i>प्रभारित</i>	1,72,96,22,58 3,30,05,47	1,49,60,15,90 5,45,76	23,36,06,68 3,24,59,71
पूंजीगत- दत्तमत	1,30,70,03	44,79,33	85,90,70

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
				बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)					
07	वाणिज्यिक कर राजस्व-				
	दत्तमत	37,16,98,83	32,81,16,72	4,35,82,11	
	<i>प्रभारित</i>	23,00	0	23,00	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	17,02,00	1,90,89	15,11,11	
08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन राजस्व-				
	दत्तमत	35,01,53,13	31,84,71,25	3,16,81,88	
	<i>प्रभारित</i>	3,99,49	96,49	3,03,00	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	1,72,73,39	1,31,67,19	41,06,20	
09	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा राजस्व-				
	दत्तमत	62,59,12	60,41,01	2,18,11	
10	वन राजस्व-				
	दत्तमत	17,56,38,92	15,87,81,22	1,68,57,70	
	<i>प्रभारित</i>	45,99	23,91	22,08	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	10,33,27,47	9,15,46,44	1,17,81,03	
11	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राजस्व-				
	दत्तमत	3,18,62,27	3,17,09,99	1,52,28	
	<i>प्रभारित</i>	25	0	25	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	5,92,50,02	5,78,19,99	14,30,03	
12	ऊर्जा राजस्व-				
	दत्तमत	1,03,17,00,26	1,03,11,03,44	5,96,82	
	<i>प्रभारित</i>	1	0	1	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	11,59,19,11	5,07,51,13	6,51,67,98	
13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास राजस्व-				
	दत्तमत	1,40,62,21,25	1,35,42,46,68	5,19,74,57	
	<i>प्रभारित</i>	34,00	14,00	20,00	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	4	0	4	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)				
14 पशुपालन				
राजस्व-				
दत्तमत	9,34,40,00	8,42,00,78		92,39,22
प्रभारित	13,88	10,16		3,72
पूँजीगत-				
दत्तमत	9,57,75	7,64,90		1,92,85
15 विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	20,45,75	12,57,54		7,88,21
प्रभारित	1,00	0		1,00
पूँजीगत-				
दत्तमत	5,00,00	4,99,48		52
16 मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास				
राजस्व-				
दत्तमत	1,27,52,12	1,12,43,38		15,08,74
प्रभारित	17,35	2,99		14,36
पूँजीगत-				
दत्तमत	78,20	0		78,20
17 सहकारिता				
राजस्व-				
दत्तमत	6,10,70,62	5,71,37,83		39,32,79
प्रभारित	2,00	0		2,00
पूँजीगत-				
दत्तमत	30,26,52	10,62,08		19,64,44
18 श्रम				
राजस्व-				
दत्तमत	9,75,54,48	9,38,05,33		37,49,15
प्रभारित	3,00	0		3,00
19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	73,88,71,01	70,80,76,01		3,07,95,00
प्रभारित	25,50	4,12		21,38
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,74,42,52	1,45,27,85		29,14,67

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)				
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी			
	राजस्व-			
	दत्तमत	5,37,80,06	5,47,71,84	0
	प्रभारित	5,00,00	6,67	4,93,33
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	40,67,38,23	39,51,34,63	1,16,03,60
21	लोक सेवा प्रबन्धन			
	राजस्व-			
	दत्तमत	60,35,01	46,92,08	13,42,93
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	2,00,00	90,63	1,09,37
22	नगरीय विकास एवं आवास			
	राजस्व-			
	दत्तमत	38,74,63,71	38,56,66,31	17,97,40
	प्रभारित	11,00	0	11,00
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	18,17,87,73	18,00,19,50	17,68,23
	प्रभारित	10,00,00	4,72,20	5,27,80
23	जल संसाधन			
	राजस्व-			
	दत्तमत	11,81,38,72	10,52,07,09	1,29,31,63
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	52,16,40,34	51,98,06,18	18,34,16
	प्रभारित	1,00,00	94,80	5,20
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल			
	राजस्व-			
	दत्तमत	12,79,13,89	10,72,59,69	2,06,54,20
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	54,27,52,06	53,95,52,81	31,99,25
	प्रभारित	2,55,00,00	12,35,94	2,42,64,06
25	खनिज साधन			
	राजस्व-			
	दत्तमत	48,96,12	40,33,56	8,62,56
	प्रभारित	7,50,05,00	7,19,44,00	30,61,00
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	9,00,01	77,56	8,22,45

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना
			बचत आधिक्य
(हजार ₹ में)			
26	संस्कृति		
	राजस्व-		
	दत्तमत	1,41,58,29	1,28,98,98
	प्रभारित	2,00	0
	पूँजीगत-		
	दत्तमत	21,95,04	17,64,59
27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)		
	राजस्व-		
	दत्तमत	1,85,59,38,33	1,75,88,07,40
	प्रभारित	2,00	50
	पूँजीगत-		
	दत्तमत	3,90,00,01	3,45,37,22
28	राज्य विधान मण्डल		
	राजस्व-		
	दत्तमत	97,62,28	80,22,25
	प्रभारित	65,21	26,85
29	विधि और विधायी कार्य		
	राजस्व-		
	दत्तमत	17,00,68,05	12,63,36,52
	प्रभारित	1,70,41,59	1,25,03,29
	पूँजीगत-		
	दत्तमत	2,20,00,02	1,49,21,72
30	ग्रामीण विकास		
	राजस्व-		
	दत्तमत	9,30,80,51	8,75,47,49
	प्रभारित	6,81	0
	पूँजीगत-		
	दत्तमत	28,67,96,04	27,86,94,65
31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी		
	राजस्व-		
	दत्तमत	1,05,08,45	79,40,50
	प्रभारित	1,00	0
32	जनसंपर्क		
	राजस्व-		
	दत्तमत	3,50,36,94	3,30,94,40
	प्रभारित	10	0
	पूँजीगत-		
	दत्तमत	5,00,00	53,82

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)				
33	जनजातीय कार्य राजस्व-			
	दत्तमत	78,83,87,09	61,94,50,09	16,89,37,00
	प्रभारित	5,00	0	5,00
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	11,11,03,70	6,64,32,01	4,46,71,69
34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण राजस्व-			
	दत्तमत	7,38,24,29	6,68,89,58	69,34,71
	प्रभारित	1,20	0	1,20
35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राजस्व-			
	दत्तमत	3,96,24,70	3,61,98,80	34,25,90
	प्रभारित	2	0	2
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	2,90,50,03	1,21,51,35	1,68,98,68
36	परिवहन राजस्व-			
	दत्तमत	97,08,85	79,49,64	17,59,21
	प्रभारित	4,00	75	3,25
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	13,60,00	10,74,55	2,85,45
37	पर्यटन राजस्व-			
	दत्तमत	51,20,46	50,62,49	57,97
	प्रभारित	80	0	80
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	50,34,03	50,33,00	1,03
38	आयुष राजस्व-			
	दत्तमत	5,43,44,34	4,17,38,53	1,26,05,81
	प्रभारित	8,00	0	8,00
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	19,45,01	18,64,45	80,56
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण राजस्व-			
	दत्तमत	8,78,63,42	8,63,98,80	14,64,62
	प्रभारित	1,10	0	1,10
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	3,87,31	69,93	3,17,38

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)				
40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)			
	राजस्व-			
	दत्तमत	33,75,63,60	27,17,23,84	6,58,39,76
	प्रभारित	30,00	0	30,00
	पूंजीगत-			
	दत्तमत	3,05,40,62	3,03,19,17	2,21,45
41	प्रवासी भारतीय			
	राजस्व-			
	दत्तमत	90,93	37,53	53,40
42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास			
	राजस्व-			
	दत्तमत	1,25,04,05	1,05,09,55	19,94,50
	प्रभारित	1	0	1
	पूंजीगत-			
	दत्तमत	6,89,06	4,88,72	2,00,34
43	खेल और युवक कल्याण			
	राजस्व-			
	दत्तमत	1,03,48,17	93,42,05	10,06,12
	प्रभारित	5,00	0	5,00
	पूंजीगत-			
	दत्तमत	52,27,32	51,84,14	43,18
44	उच्च शिक्षा			
	राजस्व-			
	दत्तमत	24,97,93,37	21,86,40,75	3,11,52,62
	प्रभारित	10,00	0	10,00
	पूंजीगत-			
	दत्तमत	5,40,84,05	4,48,51,13	92,32,92
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
	राजस्व-			
	दत्तमत	1	0	1
46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी			
	राजस्व-			
	दत्तमत	1,16,92,88	1,16,82,87	10,01
	पूंजीगत-			
	दत्तमत	34,00,02	34,00,00	2

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि (हजार ₹ में)	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना बचत आधिक्य
47 तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार राजस्व-			
दत्तमत	9,05,73,26	7,88,57,61	1,17,15,65
प्रभारित	4,00	93	3,07
पूँजीगत-			
दत्तमत	3,34,80,41	1,78,91,94	1,55,88,47
48 नर्मदा घाटी विकास राजस्व-			
दत्तमत	13,29,96	12,40,51	89,45
पूँजीगत-			
दत्तमत	50,78,95,68	50,19,52,26	59,43,42
प्रभारित	60,00	2,06	57,94
49 अनुसूचित जाति कल्याण राजस्व-			
दत्तमत	12,35,20,32	11,12,10,86	1,23,09,46
प्रभारित	10,00	0	10,00
पूँजीगत-			
दत्तमत	2,63,07,05	1,70,85,18	92,21,87
50 उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण राजस्व-			
दत्तमत	5,42,26,36	4,02,15,64	1,40,10,72
प्रभारित	1,00	10	90
पूँजीगत-			
दत्तमत	73,00,00	4,82,27	68,17,73
51 अध्यात्म राजस्व-			
दत्तमत	50,14,41	39,20,52	10,93,89
प्रभारित	1,50	0	1,50
पूँजीगत-			
दत्तमत	1	0	1
52 चिकित्सा शिक्षा राजस्व-			
दत्तमत	12,85,86,76	12,00,48,00	85,38,76
पूँजीगत-			
दत्तमत	7,75,00,37	5,70,16,94	2,04,83,43

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना
			बचत आधिक्य
(हजार ₹ में)			
53 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता राजस्व-			
दत्तमत	2,02,38,45,62	1,99,49,40,91	2,89,04,71
पूँजीगत-			
दत्तमत	1,16,04,01	40,63,63	75,40,38
54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा राजस्व-			
दत्तमत	1,64,14,21	1,64,14,20	1
55 महिला एवं बाल विकास राजस्व-			
दत्तमत	51,28,28,21	47,97,44,14	3,30,84,07
<i>प्रभारित</i>	<i>2,15</i>	<i>0</i>	<i>2,15</i>
पूँजीगत-			
दत्तमत	93,76,06	35,57,89	58,18,17
56 कुटीर एवं ग्रामोद्योग राजस्व-			
दत्तमत	1,08,34,55	91,29,31	17,05,24
<i>प्रभारित</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>	<i>1,00</i>
पूँजीगत-			
दत्तमत	1,37,08	79,84	57,24
57 पर्यावरण राजस्व-			
दत्तमत	41,10,49	40,80,47	30,02
पूँजीगत-			
दत्तमत	27,20	21,76	5,44
58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय राजस्व-			
दत्तमत	97,54,18,30	87,77,75,70	9,76,42,60
<i>प्रभारित</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>10</i>
पूँजीगत-			
दत्तमत	4,86,40,02	0	4,86,40,02

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)				
59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें पूंजीगत-			
	दत्तमत	11,31,28,00	3,61,60,00	7,69,68,00
60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय राजस्व-			
	दत्तमत	49,43,63	45,69,91	3,73,72
	पूंजीगत-			
	दत्तमत	6,50,79,79	5,93,21,69	57,58,10
61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय राजस्व-			
	दत्तमत	8	0	8
	पूंजीगत-			
	दत्तमत	4,50,08	1,11,24	3,38,84
62	पंचायत राजस्व-			
	दत्तमत	2,00,27,01	1,80,26,99	20,00,02
	प्रभारित	50	0	50
63	अल्पसंख्यक कल्याण राजस्व-			
	दत्तमत	18,20,12	8,40,17	9,79,95
	पूंजीगत-			
	दत्तमत	1,01,08,00	5,39,60	95,68,40
64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता राजस्व-			
	दत्तमत	77,88,54,71	69,90,35,06	7,98,19,65
	प्रभारित	7,20,00,00	7,19,99,64	36
	पूंजीगत-			
	दत्तमत	84,00,00	76,00,00	8,00,00
65	विमानन राजस्व-			
	दत्तमत	32,28,14	25,09,77	7,18,37
	पूंजीगत-			
	दत्तमत	95,50,01	60,17,09	35,32,92

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)				
66 पिछड़ा वर्ग कल्याण राजस्व-				
दत्तमत	9,02,18,85	8,76,39,51	25,79,34	
पूँजीगत-				
दत्तमत	17,74,02	5,95,36	11,78,66	
67 लोक निर्माण कार्य-भवन राजस्व-				
दत्तमत	3,85,56,02	3,48,78,31	36,77,71	
प्रभारित	2,00,00	45,90	1,54,10	
पूँजीगत-				
दत्तमत	99,44,28	52,34,99	47,09,29	
68 लोक परिसंपत्ति प्रबंधन राजस्व-				
दत्तमत	4,00,00	40,07	3,59,93	
योग	23,59,27,03,16	21,29,83,61,30	2,29,53,33,64	9,91,78
राजस्व-				
दत्तमत	16,42,98,75,72	15,11,20,74,72	1,31,87,92,78	9,91,78
प्रभारित	1,90,55,03,19	1,75,18,95,84	15,36,07,35	0
पूँजीगत-				
दत्तमत	3,59,60,51,19	3,15,68,56,14	43,91,95,05	0
प्रभारित	1,66,12,73,06	1,27,75,34,60	38,37,38,46	0
महायोग				
राजस्व-	18,33,53,78,91	16,86,39,70,56	1,47,24,00,13	9,91,78
पूँजीगत-	5,25,73,24,25	4,43,43,90,74	82,29,33,51	0

विनियोग लेखे का सार—जारी

निम्नलिखित अनुदान संख्या से अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है:—

<u>अनुदान संख्या और नाम</u>	<u>अनुभाग</u>
20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व दत्तमत

विनियोग लेखे के सार में दर्शित व्यय से कोई भी राशि आहरित कर शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा नहीं की गई है। इस प्रकार की निधियों के अंतरण का विवरण **परिशिष्ट-II** में दर्शाया गया है।

संचालक, कोष एवं लेखा द्वारा ऑनलाईन माध्यम से 100 प्रतिशत अंक मिलान किया गया।

चूंकि अनुदान और विनियोग उन सकल राशि के लिए हैं जिनका व्यय करना अपेक्षित है, उनके प्रति दर्शाए गये व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए जाते हैं।

वर्ष 2020-21 के लिए विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिए वित्त लेखे में दिखाए गए आंकड़ों के बीच समाधान नीचे दिया गया है।

	राजस्व		पूंजीगत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
	(हजार ₹ में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	15,11,20,74,72	1,75,18,95,84	3,15,68,56,14	1,27,75,34,60
घटाइये-वसूलियों का जोड़	39,06,69,95	0	77,56	0
वित्त लेखे की विवरण संख्या-11 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	14,72,14,04,76	1,75,18,95,84	3,15,67,78,58	1,27,75,34,60

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण **परिशिष्ट-I** में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे का सार—समाप्त

प्रावधान में दस प्रतिशत से अधिक बचत निम्नलिखित दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग के अंतर्गत हुई:-

[क] दत्तमत अनुदान

- | | |
|----------------------------|--|
| (i) राजस्व-अनुदान संख्या | 01, 02, 04, 06, 07, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 56, 58, 61, 63, 64, 65, 68 |
| (ii) पूंजीगत-अनुदान संख्या | 01, 04, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 39, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 66, 67 |

[ख] प्रभारित विनियोग

- | | |
|----------------------------|--|
| (i) राजस्व-अनुदान संख्या | 01, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 55, 56, 58, 62, 67 |
| (ii) पूंजीगत-अनुदान संख्या | 22, 24, 48, CH-I |

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे समाहित हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जिन्हे एक पृथक संकलन में प्रस्तुत किया गया है।


विनियोग लेखे, नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किये गये वाउचरों, चालानों एवं प्रारंभिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुये विवरणों से संकलित किया गया है।

मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारंभिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ—साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा—द्वितीय) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिये की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थायें हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई टिप्पणियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे, 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले मध्यप्रदेश सरकार पर मेरे वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं।



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

दिनांक: 08 फरवरी 2022

स्थान: नई दिल्ली

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा
(सभी प्रभारित)

(मुख्य शीर्ष- 2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन, 2049-ब्याज अदायगियां)

राजस्व:

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,64,60,21,46			
पूरक	5,49,10,00	1,70,09,31,46	1,59,17,87,13	(-) 10,91,44,33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				4,14,80

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 5,49,10.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 10,91,44.33 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 4,14.80 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2049-01.101.2345- 8.05 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2028	मूल 1,61,00.00	1,61,00.00	80,50.00	(-) 80,50.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.101.5025- मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण	मूल 1,78,40.00	1,78,40.00	94,00.00	(-) 84,40.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.101.6763- नया बजार ऋण	मूल 2,50,00.00	2,50,00.00	2,05,40.00	(-) 44,60.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.101.6881- 8.33 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2021	मूल 2,09,79.66	2,09,79.66	1,04,50.00	(-) 1,05,29.66	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-01.101.7801-6.54 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2035	पूरक	32,70.00	32,70.00	0.00	(-) 32,70.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.101.7802-6.61 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2035	पूरक	33,05.00	33,05.00	0.00	(-) 33,05.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.101.7803-6.79 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2033	पूरक	33,95.00	33,95.00	0.00	(-) 33,95.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.200.3732-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि निधि से लिए गये ऋणों पर ब्याज	मूल	6,50,00.00	6,50,00.00	5,24,60.38	(-) 1,25,39.62	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.101.7804-6.76 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2033	पूरक	33,80.00	33,80.00	0.00	(-) 33,80.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.101.9124-8.27 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2025	मूल	1,24,06.00	1,24,06.00	62,02.50	(-) 62,03.50	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.101.9125-8.25 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2025	मूल	94,00.00	94,00.00	41,25.00	(-) 52,75.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-01.101.9320-8.64 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2033	मूल	32,12.77	32,12.77	0.00	(-) 32,12.77	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-01.101.9323-8.52 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2043	मूल	42,77.47	42,77.47	0.00	(-) 42,77.47	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-01.101.9324-8.37 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2028	मूल	67,01.01	67,01.01	0.00	(-) 67,01.01	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-01.101.9624-7.21 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2034	मूल	72,10.00	72,10.00	36,05.00	(-) 36,05.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.101.9625-7.17 प्रतिशत राज्य विकास ऋण 2029	मूल	71,70.00	71,70.00	35,85.00	(-) 35,85.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.101.9825-5.73 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2021	मूल पूरक	28,65.00 28,65.00	57,30.00	14,32.50	(-) 42,97.50	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.101.9826-6.09 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2022	मूल पूरक	30,45.00 30,45.00	60,90.00	15,22.50	(-) 45,67.50	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.101.9827-5.54 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2023	मूल पूरक	27,70.00 27,70.00	55,40.00	13,85.00	(-) 41,55.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.101.9828-6.20 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2023	मूल पूरक	31,00.00 31,00.00	62,00.00	15,50.00	(-) 46,50.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.101.9829-6.69 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2030	मूल	33,45.00	33,45.00	0.00	(-) 33,45.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.101.9830-6.73 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2030	मूल पूरक	67,30.00 67,30.00	1,34,60.00	33,65.00	(-) 1,00,95.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.101.9831-6.64 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2030	मूल पूरक	33,20.00 33,20.00	66,40.00	16,60.00	(-) 49,80.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-01.101.9832-6.57 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2030	पूरक	32,85.00	32,85.00	0.00	(-) 32,85.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.101.9833-6.57 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2030	मूल	32,85.00	32,85.00	16,42.50	(-) 16,42.50	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.101.9835-6.69 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2030	मूल	66,90.00	66,90.00	33,45.00	(-) 33,45.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.101.9859-6.58 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2035	मूल पूरक	65,80.00 65,80.00	1,31,60.00	32,90.00	(-) 98,70.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.101.9860-6.52 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2035	मूल पूरक	65,20.00 65,20.00	1,30,40.00	32,60.00	(-) 97,80.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.200.6848-निगम/मंडल के पी. डी. खातों पर ब्याज	मूल	20.00	20.00	0.00	(-) 20.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.200.6973-स्थानीय निधि निक्षेप खातों पर ब्याज	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-) 10,00.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.305.2624-पुराने ऋणों का प्रबंध	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	27,04.69	(-) 72,95.31	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-03.104.0095-अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर ब्याज	मूल	13,32.44	13,32.44	9,61.12	(-) 3,71.32	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-03.104.4033-विभागीय भविष्य निधियों पर ब्याज	मूल	80,00.00	80,00.00	35,57.64	(-) 44,42.36	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-03.104.4487-सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज	मूल	14,00,46.45	14,00,46.45	12,19,77.08	(-) 1,80,69.37	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-04.109.5691-12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित राज्य योजना कर्जों पर ब्याज	मूल	1,11,56.00	1,11,56.00	1,10,46.26	(-) 1,09.74	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-60.701.0716-विविध ऋण भुगतान	मूल	1,14,38.34	1,14,38.34	0.00	(-) 1,14,38.34	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-60.701.3588-मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान की राशि के भुगतान में विलम्ब होने पर ब्याज	मूल	10.00	10.00	0.00	(-) 10.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-60.701.4209-शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-) 2,00.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-60.701.6587-शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज	मूल	80,00.00	80,00.00	57,43.16	(-) 22,56.84	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-01.101.2029-8.27 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2025	मूल	1,24,05.00	1,24,05.00	1,86,07.50	+ 62,02.50	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-01.101.5436- 7.13 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2021	मूल	1.00	1.00	42,78.00	+ 42,77.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.101.6876- 8.36 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2021	मूल	83,90.00	83,90.00	1,88,40.00	+ 1,04,50.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2049-01.101.9122- 8.25 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2025	मूल	82,50.00	82,50.00	1,23,75.00	+ 41,25.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2049-01.101.9314- 8.05 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2028	मूल	1,61,00.00	1,61,00.00	2,41,50.00	+ 80,50.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.101.9318- 8.64 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2033	मूल	86,40.00	86,40.00	1,18,45.44	+ 32,05.44	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.101.9319- 8.64 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2038	मूल	28,13.77	28,13.77	35,59.88	+ 7,46.11	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.101.9322- 8.52 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2043	मूल	42,60.70	42,60.70	85,20.00	+ 42,59.30	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2049-01.101.9325- 8.37 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2028	मूल	84,61.35	84,61.35	1,17,18.00	+ 32,56.65	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.101.9326- 8.27 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2028	मूल	83,70.00	83,70.00	1,17,18.00	+ 33,48.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा समाप्त

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2049-01.123.5042- भारत सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को रा. अ.ब. निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज	मूल	24,50,00.00	24,50,00.00	24,51,72.13	+ 1,72.13	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-01.305.2205- नये ऋणों के प्रचालन संबंधी व्यय	मूल	5,00.00	5,00.00	6,49.28	+ 1,49.28	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-04.104.0471- आयोजनेतर योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज	मूल	0.00	0.00	2,78.26	+ 2,78.26	शून्य बजट के प्रावधान के विरुद्ध ₹ 2,78.26 लाख का व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-03.108.3360- मध्य भारत जीवन बीमा निधि पर ब्याज	मूल	3,00.00	3,00.00	11,87.85	+ 8,87.85	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2049-60.701.6971- शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना 2003 बचत निधि पर ब्याज	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	2,88,82.46	+ 1,88,82.46	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2049-60.701.6972- शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना 1985 बचत निधि पर ब्याज	मूल	80,00.00	80,00.00	3,08,07.17	+ 2,28,07.17	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

भारित विनियोग-लोक ऋण
(सभी प्रभारित)

(मुख्य शीर्ष-6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण, 6004-केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम)

पूँजीगत:

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,63,46,13,06			
पूरक	0	1,63,46,13,06	1,27,57,29,59	(-) 35,88,83,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

पूँजीगत:

- (1) ₹ 35,88,83.47 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6003-101.0716- विविध ऋण भुगतान	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	3,13.70	(-) 96,86.30	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
6003-101.6054- 8.31 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2019	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
6003-101.6055- 8.32 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2019	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
6003-101.6056- 8.31 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2020	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
6003-101.6237- 8.54 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2020	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

भारत विनियोग-लोक ऋण जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6003-104.3093- भारतीय सामान्य बीमा निगम से कर्ज	मूल	95.00	95.00	81.01	(-) 13.99	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
6003-106.6620-5 प्रतिशत नगर भूमि (उच्चतम सीमा एवं विनियमन अधि. 1976 (म.प्र. बाण्डस)	मूल	0.01	0.01	0.00	(-) 0.01	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
6003-106.6817- पॉवर बाण्ड्स-2 मूलधन भुगतान	मूल	0.01	0.01	0.00	(-) 0.01	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
6003-106.6961- पॉवर बाण्ड्स-1 (मोनटेकसिंह अहलूवालिया समिति द्वारा अनुशंसित ऋण)	मूल	0.01	0.01	0.00	(-) 0.01	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
6003-107.6879- भारतीय स्टेट बैंक व उनके सहयोगी बैंक से कर्ज	मूल	0.01	0.01	0.00	(-) 0.01	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
6003-109.6962- हुडकों से प्राप्त ऋण	मूल	0.01	0.01	0.00	(-) 0.01	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
6003-110.0637- उपाय तथा साधन अग्रिम	मूल	20,00,00.00	20,00,00.00	0.00	(-) 20,00,00.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
6003-110.0779- कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	मूल पुनर्वि.	20,00,00.00 (-) 8,00.00	19,92,00.00	0.00	(-) 19,92,00.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 8,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
6004-01.115.2644- पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु कर्ज	मूल	4,88.19	4,88.19	3,50.13	(-) 1,38.06	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

भारत विनियोग-लोक ऋण जारी

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
6004-01.201.0489- आवास गृह अग्रिम (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अग्रिम)	मूल	6.05	6.05	1.50	(-) 4.55	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
6004-01.800.3469- महू छावनी के लिये जल प्रदाय हेतु कज	मूल	0.01	0.01	0.00	(-) 0.01	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
6004-01.800.5097- इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन हेतु ऋण	मूल	0.01	0.01	0.00	(-) 0.01	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
6004-02.101.3052- लोक ऋण	मूल	4,60,30.05	4,60,30.05	2,59,10.20	(-) 2,01,19.85	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
6004-02.105.6983- 12वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार समेकित ऋण	मूल	5,00,45.60	5,00,45.60	3,63,05.97	(-) 1,37,39.63	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
6004-03.102.3128- भू एवं जल संरक्षण के लिये उधार	मूल	0.01	0.01	0.00	(-) 0.01	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
6004-03.800.0260- अन्य सहकारी ऋण	मूल	0.01	0.01	0.00	(-) 0.01	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
6004-03.800.8437- त्वरित लाभप्रद कार्यक्रम हेतु ऋण	मूल	0.01	0.01	0.00	(-) 0.01	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
6004-04.102.3128- भू एवं जल संरक्षण के लिये उधार	मूल	1,87.30	1,87.30	0.00	(-) 1,87.30	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
6004-04.103.8091- ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिये ऋण	मूल	0.01	0.01	0.00	(-) 0.01	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

भारित विनियोग-लोक ऋण जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6004-04.107.8142-सहकारी साख संस्थाओं के लिये ऋण	मूल	0.01	0.01	0.00	(-) 0.01	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
6004-04.108.0260-अन्य सहकारी ऋण	मूल	0.01	0.01	0.00	(-) 0.01	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
6004-04.109.0260-अन्य सहकारी ऋण	मूल	0.01	0.01	0.00	(-) 0.01	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
6004-04.205.0070-अंतर्राज्यीय पारेषण लाइनों के लिए ऋण	मूल	0.01	0.01	0.00	(-) 0.01	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
6004-04.800.0069-अंतर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए ऋण	मूल	0.01	0.01	0.00	(-) 0.01	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
6004-04.800.5236-राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास के लिये उधार	मूल	0.01	0.01	0.00	(-) 0.01	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
6004-04.800.6420-माइक्रों मेनेजमेन्ट हेतु उधार	मूल	0.01	0.01	0.00	(-) 0.01	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
6004-04.800.8089-सेच्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिये उधार	मूल	0.01	0.01	0.00	(-) 0.01	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
6004-04.800.9098-लघु एवं मध्यम नगरों के एकीकृत विकास हेतु उधार	मूल	0.01	0.01	0.00	(-) 0.01	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6003-111.6835-केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	मूल	20,30,00.00	20,30,00.00	26,91,75.54	+ 6,61,75.54	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

भारित विनियोग-लोक ऋण समाप्त

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6004-02.101.9086- बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए बैंक-टू-बैंक ऋण	मूल	6,15,00.00	6,15,00.00	8,16,61.87	+2,01,61.87	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन

(मुख्य शीर्ष- 2012-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 2013-मंत्री परिषद्, 2015-निर्वाचन, 2051-लोक सेवा आयोग, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2055-पुलिस, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,35,16,44			
पूरक	47,36,00	6,82,52,44	4,31,70,06	(-) 2,50,82,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (25,26,27 एवं 31 मार्च 2021)				1,69,23,74

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	59,01,15			
पूरक	24,05	59,25,20	27,81,04	(-) 31,44,16
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (09 फरवरी एवं 23,25,26,27,31 मार्च 2021)				28,36,72

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	67,87,06			
पूरक	2,13,54	70,00,60	60,87,31	(-) 9,13,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (09 दिसम्बर 2020 एवं 31 मार्च 2021)				6,74,58

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 47,36.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,50,82.38 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 25 मार्च 2021, 26 मार्च 2021, 27 मार्च एवं 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 1,69,23.74 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2013-101.3282- मंत्रियों के वेतन	मूल पुनर्वि.	3,46.49 (-) 50.00	2,96.49	1,87.76	(-) 1,08.73	समर्पण के रूप में ₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत पद रिक्त होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2013-102.3282- मंत्रियों के वेतन	मूल	8,41.50	8,41.50	3,57.26	(-) 4,84.24	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2013-108.3282- मंत्रियों के वेतन	मूल	45.83	45.83	29.02	(-) 16.81	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2013-108.3283- मंत्रियों के दौरे के समय पेट्रोल पर व्यय	मूल	47.25	47.25	4.64	(-) 42.61	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2013-800.3283- मंत्रियों के दौरे के समय पेट्रोल पर व्यय	मूल	1,87.57	1,87.57	1,16.10	(-) 71.47	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2015-101.6757- स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	मूल पूरक पुनर्वि.	1,50,21.50 25,00.00 (-) 1,51,16.97	24,04.53	24,69.83	+ 65.30	₹ 1,51,16.97 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 2.00 लाख + समर्पण ₹ 1,51,14.97 लाख) अनुमानित व्यय से कम व्यय होने के कारण हुई (₹ 2.00 लाख)। शेष कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2015-101.8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	65.38 (-) 47.77	17.61	19.33	+1.72	समर्पण के रूप में ₹ 47.77 लाख की प्रत्याशित बचत एवं अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2052-091.5377-मध्य लोक मुम्बई कार्यालय	मूल पुनर्वि.	86.45 (-) 62.22	24.23	24.22	(-) 0.01	समर्पण के रूप में ₹ 62.22 लाख की प्रत्याशित बचत उप आवसीय आयुक्त के पद रिक्त होने (₹ 13.00 लाख), पर्यटन विभाग द्वारा मध्यलोक का स्थानीय कर का भुगतान एवं संचालन किये जाने (₹ 31.00 लाख) के कारण हुई। शेष प्रत्याशित बचत एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2052-091.9414-विशेष आयुक्त कार्यालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,21.97 (-) 80.39	41.58	41.58	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 80.39 लाख की प्रत्याशित बचत सांतवें वेतन आयोग के तीसरे किस्त के 25 प्रतिशत का भुगतान किये जाने (₹ 7.00 लाख), महंगाई भत्ता एवं वेतन वृद्धि का लाभ न दिये जाने (₹ 2.00 लाख), संभावित बचत (₹ 4.60 लाख), नियमित पद पर विशेष आयुक्त की नियुक्ति न होने (₹ 59.87 लाख), कोविड के कारण सीमित मात्रा में वाहन प्रयोग किये जाने (₹ 5.50 लाख) के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2070-105.6205-विभागीय जांच आयुक्त की स्थापना	मूल पुनर्वि.	33.09 (-) 23.92	33.09	9.17	(-) 23.92	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2013-800.9939-मंत्रियों द्वारा सहायता अनुदान	मूल पुनर्वि.	3,00.00 3,32.50	6,32.50	553.07	(-) 79.43	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,32.50 लाख आवर्धन के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2059-80.001.3342- मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली	मूल पुनर्वि.	73.96 53.87	1,27.83	1,27.83	0.00	₹ 53.87 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 55.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1.13 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत के कारण हुई। वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

प्रभारित

- (5) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 24.05 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 31,44.16 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 09 फरवरी 2021, 25 मार्च 2021, 26 मार्च 2021, 27 मार्च एवं 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 28,36.72 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (7) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2012-03.090.4330- राज्यपाल सचिवालय (भारित)	मूल पूरक पुनर्वि.	7,14.32 <i>सांकेतिक</i> 15.77	7,30.09	5,57.69	(-) 1,72.40	₹ 15.77 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19.07 लाख की वृद्धि एवं ₹ 3.30 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि टोकन विनियोग (₹ 9.00 लाख) त्योहार अग्रिम का भुगतान (₹ 3.30 लाख) एवं नवीन पदस्थ न्यायिक अधिकारी के वेतन भुगतान (₹ 6.77 लाख) जबकि कमी रिक्त पद (₹ 3.30 लाख) के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2012-03.101.3708- राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते (भारित)	मूल पुनर्वि.	1,06.50 (-) 15.77	90.73	66.75	(-) 23.98	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 15.77 लाख की प्रत्याशित बचत पूर्णकालिक माननीय राज्यपाल की नियुक्ति न होने (₹ 9.00 लाख) के कारण हुई। शेष प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2012-03.103.9059- घरेलू कर्मचारी (भारित)	मूल पूरक	5,11.04 24.05	5,35.09	4,55.16	(-) 79.93	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2015.101.6757- स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	मूल पुनर्वि.	10.00 (-) 10.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2051.102.3689- राज्य लोक सेवा आयोग	मूल पुनर्वि.	45,31.76 (-) 28,10.45	17,21.31	16,95.53	(-) 25.78	₹ 28,10.45 लाख का प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.50 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 28,14.95 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने एवं मितव्ययिता (₹ 6,48.70 लाख) के कारण हुई। शेष कमी एवं वृद्धि के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2051.102.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	18.40 (-) 13.27	5.13	5.13	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 13.27 लाख की प्रत्याशित बचत सॉफ्टवेयर के शेष अनुसार व्यय होने के कारण हुई।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (8) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 2,13.54 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (9) ₹ 9,13.29 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 09 दिसम्बर 2020 एवं 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 6,74.58 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (10) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.6925- नई दिल्ली में प्रस्तावित मध्यांचल भवन का निर्माण	पूरक पुनर्वि.	5,00.00 (-) 5,00.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.7212- राजभवन में ऑडिटोरियम का निर्माण	मूल	50.60	50.60	28.34	(-) 22.26	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन समाप्त

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.1343- नई दिल्ली में प्रस्तावित कार्यालयों की स्थापना हेतु अधोसंरचना का विकास	मूल पूरक	1,65.00 (-) 1,65.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.7212- राजभवन में ऑडिटोरियम का निर्माण	मूल	96.00	96.00	49.88	(-) 46.12	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.7213- मुख्यमंत्री निवास परिसर में एनेक्सी का निर्माण	मूल पूरक	0.01 50.00	50.01	11.47	(-) 38.54	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4216-01.106.5312- राजभवन परिसर अंतर्गत शासकीय आवास गृहों का निर्माण	मूल	5,00.00	5,00.00	3,79.05	(-) 1,20.95	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 02—सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2250-अन्य सामाजिक सेवाएं)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	95,65,71			
पूरक	38,28,05	1,33,93,76	82,38,44	(-) 51,55,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,00,85,68

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2021 (₹ 16.05 लाख) एवं मार्च 2021 (₹ 38,12.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 38,28.05 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 51,55.32 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 की ₹ 1,00,85.68 लाख का किया गया अभ्यर्पण आधिक्य एवं अवास्तविक था।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2052-092.8243-मानव अधिकार आयोग को सहायक अनुदान	मूल 9,00.04	9,00.04	7,20.06	(-) 1,79.98	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2070-105.4079-विशेष जाँच आयोग	मूल 82.35	82.35	0.09	(-) 82.26	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2070-800.4678-स्वागत तथा सामपत्तिक पदाधिकारी का कार्यालय	मूल 6,11.47 पुनर्वि. (-) 1,00.00	5,11.47	1,38.60	(-) 3,72.87	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत इस शीर्ष के अंतर्गत संभावित बचत के कारण हुई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 02—सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2070-800.6910-राज्य सूचना आयोग की स्थापना	मूल	10,33.67	10,33.67	7,40.20	(-) 2,93.47	पुनर्विनियोजन द्वारा इस शीर्ष के अंतर्गत समान राशि ₹ 38.05 लाख की कमी और वृद्धि हुई है। कमी अंशतः संभावित बचत ₹ 13.68 लाख, आई.एफ.एम. आई.एस. के ऑनलाइन बिल जनरेट नहीं होने (₹ 24.37 लाख) के कारण हुई जबकि आधिक्य नगर निगम भोपाल को सूचना आयोग भवन के लिए सम्पत्ति कर का भुगतान (₹ 11.00 लाख), आयोग में प्रतिनियुक्त पर आये आयोग के कर्मचारियों के कर्मचारी अंशदान के भुगतान (₹ 2.68 लाख) के कारण हुई जबकि अंतिम बचत बकाया वेतन का भुगतान न किये जाने, पद रिक्त रहने एवं महंगाई भत्ता, गृह भत्ता की वृद्धि न किये जाने के कारण हुई।
2235-60.107.4674-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भत्ते तथा उपादान	मूल पुनर्वि.	24,00.00 (-) 23,97.21	2.79	18,32.87	+ 18,30.08	समर्पण के रूप में ₹ 23,97.21 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2235-60.200.5710-लोक नायक जय प्रकाश सम्मान निधि	मूल पूरक पुनर्वि.	40,00.00 38,12.00 (-) 76,88.47	1,23.53	43,47.52	+ 42,23.99	समर्पण के रूप में ₹ 76,88.47 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2235-60.800.1982-दुर्घटना मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता	मूल	2,64.00	2,64.00	1,98.41	(-) 65.59	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2053-800.4062-विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों का भ्रमण	मूल पुनर्वि.	1,04.55 1,00.00	2,04.55	1,59.80	(-) 44.75	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,00.00 लाख का आवर्धन माननीय राष्ट्रपति महोदय के जबलपुर यात्रा के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 03—पुलिस

(मुख्य शीर्ष- 2055-पुलिस, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2216-आवास, 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	73,23,10,10			
पूरक	30,00,01	73,53,10,11	66,87,11,84	(-) 6,65,98,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				6,70,39,47

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,52,50			
पूरक	0	1,52,50	1,01,62	(-) 50,88
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				58,89

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,53,82,83			
पूरक	0	6,53,82,83	5,98,91,82	(-) 54,91,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				55,08,07

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 30,00.01 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 6,65,98.27 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को ₹ 6,70,39.47 लाख का किया गया आधिक्य समर्पण अवास्तविक था।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई है:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-001.1011- क्षेत्रीय महानिरीक्षक तथा संभागीय स्थापना	मूल पुनर्वि.	25,63.00 (-) 6,21.26	19,41.74	19,34.30	(-) 7.44	₹ 6,21.26 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 6,27.26 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत के कारण एवं वृद्धि कम बजट प्रावधान एवं लंबित देयकों के भुगतान किये जाने के कारण हुई।
2055-001.3680- पुलिस मुख्यालय	मूल पुनर्वि.	91,22.54 (-) 14,09.22	77,13.32	76,69.39	(-) 43.93	₹ 14,09.22 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 73.81 लाख की वृद्धि एवं ₹ 14,93.02 लाख (₹ 83.81 लाख पुनर्विनियोजन + ₹ 14,09.22 लाख समर्पण) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वेतन शीर्ष (₹ 4.00 लाख) एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ता शीर्ष (₹ 2.50 लाख) के अंतर्गत कम बजट प्रावधान होने के कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने एवं लंबित देयकों के भुगतान (₹ 38,31.00 लाख) के कारण हुई जबकि कमी संभावित बचत के कारण हुई (₹ 14,71.52 लाख) अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-001.7189-केन्द्र/राज्यों के पुलिस बल के व्यय की प्रतिपूर्ति	मूल पुनर्वि.	12,50.00 (-) 6,13.74	6,36.26	6,36.26	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 6,13.74 लाख की सम्भावित बचत नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, परिशिक्षण कार्यक्रम न होने एवं कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई।
2055-003.0195-पुलिस प्रशिक्षण शालाएँ	मूल पुनर्वि.	1,75,19.26 (-) 19,05.71	1,56,13.55	1,54,79.63	(-) 1,33.92	₹ 19,05.71 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,92.18 लाख की वृद्धि एवं ₹ 20,97.89 लाख (पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,92.18 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 19,05.71 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः बजट में कम प्रावधान के कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने एवं लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई (₹ 92.18 लाख) जबकि कमी अंशतः सम्भावित बचत (₹ 92.18 लाख) एवं नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, परिशिक्षण कार्यक्रम न होने एवं कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई (₹ 19,05.71 लाख)। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-101.0270- अपराध अनुसंधान विभाग	मूल पुनर्वि.	2,29,48.02 (-) 25,87.63	2,03,60.39	2,02,40.75	(-) 1,19.64	₹ 25,87.63 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,40.76 लाख की वृद्धि एवं ₹ 27,28.39 लाख (पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,98.76 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 25,29.36 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः बजट में कम प्रावधान के कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने एवं लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई (₹ 35.76 लाख) जबकि कमी अंशतः सम्भावित बचत (₹ 88.76 लाख), पद रिक्त होने के वेतन शीर्ष के अंतर्गत दर्ज राशि का उपयोग न किये जाने (₹ 63.00 लाख) एवं नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, परिशिक्षण कार्यक्रम न होने एवं कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई (₹ 25,29.63 लाख)। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2055-109.3776- रेल्वे मजिस्ट्रेट, रतलाम, ग्वालियर आदि	मूल पुनर्वि.	2,21.30 (-) 1,33.59	87.71	87.66	(-) 0.05	₹ 1,33.59 लाख की सम्भावित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 0.05 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,33.64 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 0.05 लाख + 1,33.49 लाख समर्पण के रूप में) की कमी के कारण हुई। कमी नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व के वर्षों की दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन न किये जाने एवं कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई, जबकि वृद्धि वेतन की भुगतान के लिये राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-109.0802.6919- सुरक्षा संबंधी व्यय	मूल पुनर्वि.	8,18.30 (-) 2,56.42	5,61.88	5,61.88	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,56.42 लाख प्रत्याशित बचत नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2055-109.0703.5172- अनुसूचित जाति जनजाति के थानों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	59,16.40 (-) 8,39.53	50,76.87	50,59.94	(-) 16.93	₹ 8,39.53 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6.97 लाख की वृद्धि एवं ₹ 8,46.50 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6.97 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 8,39.53 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई (₹ 8,39.53 लाख) जबकि वृद्धि अंशतः बजट में कम राशि प्रावधान होने के कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई (₹ 3.97 लाख)। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2055-110.9070- ग्राम रक्षा समितियां	मूल पुनर्वि.	2,76.95 (-) 1,38.59	1,38.36	1,38.04	(-) 0.32	समर्पण के रूप में ₹ 1,38.59 लाख की प्रत्याशित बचत नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-114.0783-स्टेट क्राईम रिपोर्ट ब्यूरो की स्थापना	मूल पुनर्वि.	12,78.10 (-) 1,91.05	10,87.05	10,72.44	(-) 14.61	₹ 1,91.05 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 2,00.04 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 1,91.05 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः संभावित बचत (₹ 6.00 लाख), नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई (₹ 3.97)। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2055-114.4155-वेतार केन्द्र भोपाल ग्वालियर	मूल पुनर्वि.	1,64,59.63 (-) 12,26.16	1,52,33.47	1,41,61.03	(-) 10,72.44	₹ 12,26.16 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 70.10 लाख की वृद्धि एवं ₹ 12,26.26 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 70.10 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 12,26.16 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः संभावित बचत (₹ 17.80 लाख), नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई (₹ 12,26.16 लाख) जबकि वृद्धि अंशतः बजट में कम राशि प्रावधान होने के कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई (₹ 17.80 लाख)। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-115.0701.2643- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	16,00.62 (-) 2,12.54	13,88.08	13,88.08	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,12.54 लाख की प्रत्याशित बचत नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई।
2055-115.0101.7348- अपराध एवं अपराधी पतासाजी तंत्र और व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	5,23.80 (-) 5,23.80	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 5,23.80 लाख की प्रत्याशित बचत नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई।
2055-116.3593- मेडीको लीगल इन्स्टीट्यूट	मूल पुनर्वि.	3,78.07 (-) 71.34	3,06.73	3,09.21	+ 2.48	₹ 71.34 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.20 लाख की वृद्धि एवं ₹ 76.54 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.20 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 71.34 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई (₹ 71.34 लाख) जबकि वृद्धि अंशतः बजट में कम राशि प्रावधान होने के कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई (₹ 17.80 लाख)। शेष कमी एवं सम्पूर्ण वृद्धि के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2055-116.4011- विधि चिकित्सा विज्ञान प्रयोग शाला सागर	मूल पुनर्वि.	26,19.76 (-) 5,05.43	21,14.33	21,05.40	(-) 8.93	₹ 5,05.43 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.38 लाख की वृद्धि एवं ₹ 5,06.81 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13.80 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 5,05.43 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने (₹ 5,05.43 लाख) एवं सभावित बचत (₹ 13.80 लाख) के कारण हुई जबकि वृद्धि बजट में कम राशि प्रावधान होने के कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2055-116.0801.5430- फोरेन्सिक साईंस लेबोरेटरी का उन्नयन	मूल पुनर्वि.	1,38.17 (-) 1,25.24	12.93	12.93	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,25.24 लाख की प्रत्याशित बचत नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई।
2055-800.1309- उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	1,35.00 (-) 76.83	58.17	58.17	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 76.83 लाख की प्रत्याशित बचत नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-800.6329- नवीन भर्ती प्रक्रिया पर व्यय	मूल पुनर्वि.	29,50.00 (-) 29,50.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 29,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई।
2055-800.7130- महिला अपराध शाखा का गठन	मूल पुनर्वि.	26,46.90 (-) 3,76.92	22,69.98	22,60.50	(-) 9.48	₹ 3,76.92 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.85 लाख की वृद्धि एवं ₹ 3,82.77 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.85 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 3,82.77 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने (₹ 3,76.92 लाख) एवं संभावित बचत (₹ 2.85 लाख) के कारण हुई जबकि वृद्धि अंशतः बजट में कम राशि प्रावधान होने के कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई (2.85 लाख) शेष कमी एवं वृद्धि के साथ अंतिम बचत के कारा सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2055-800.8333- सड़क सुरक्षा निधि से व्यय	मूल पुनर्वि.	10,00.01 (-) 8,11.76	1,88.25	1,88.25	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 8,11.76 लाख की प्रत्याशित बचत नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-800.0101.7344-राजमार्ग सुरक्षा एवं संरक्षा	मूल पुनर्वि.	1,50.00 (-) 1,50.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई।
2070-107.0492-आव्हान पर होने वाला व्यय	मूल पुनर्वि.	3,74,20.00 (-) 43,25.08	3,30,94.92	3,34,70.75	+ 3,75.83	समर्पण के रूप में ₹ 43,25.08 लाख की प्रत्याशित बचत नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2070-107.2710-प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधिनस्थ कार्यालय	मूल पुनर्वि.	58,60.90 (-) 11,56.71	47,04.19	47,37.63	+ 33.44	समर्पण के रूप में ₹ 11,56.71 लाख की प्रत्याशित बचत नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2070-107.0701.7867-नगर सेना का आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	2,27.00 (-) 2,27.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 2,27.00 लाख की प्रत्याशित बचत नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2070-107.0101.7327-राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल का गठन	मूल पुनर्वि.	35,45.09 (-) 7,15.48	28,29.61	28,35.58	+ 5.97	समर्पण के रूप में ₹ 7,15.48 लाख की प्रत्याशित बचत नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-109.0101.5555-बड़े शहरों एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा	मूल पुनर्वि.	3,26.01 (-) 20.35	3,05.66	7,99.66	+ 4,94.00	समर्पण के रूप में ₹ 20.35 लाख की प्रत्याशित बचत नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

प्रभारित

- (5) ₹ 50.88 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2021 की ₹ 58.89 लाख का किया गया समर्पण आधिक्य एवं अवास्तविक था।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055.109.4491 - सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	मूल पुनर्वि.	1,50.00 (-) 56.67	93.33	1,01.34	+ 8.01	समर्पण के रूप में ₹ 56.67 लाख की प्रत्याशित बचत नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (7) ₹ 54,91.01 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 की ₹ 55,08.07 लाख का किया गया समर्पण आधिक्य एवं अवास्तविक था।
- (8) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई है:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4055.207.0195- पुलिस प्रशिक्षण शालाएं	मूल पुनर्वि.	2,60.01 (-) 1,24.96	1,35.05	1,35.05	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,24.96 लाख की प्रत्याशित बचत नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई।
4055-207.0270- अपराध अनुसंधान विभाग	मूल पुनर्वि.	39,00.01 (-) 12,04.08	26,95.93	26,95.93	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 12,04.08 लाख की प्रत्याशित बचत नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4055-207.4155- वेतार केन्द्र भोपाल ग्वालियर	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-) 96.18	49,03.82	6,41.82	(-) 42,62.00	समर्पण के रूप में ₹ 96.18 लाख की प्रत्याशित बचत नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4055-207.4492- सामान्य व्यय विशेष पुलिस	मूल पुनर्वि.	1,15.00 (-) 1,00.79	14.21	14.21	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,00.79 लाख की प्रत्याशित बचत नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई।
4055-207.0701.2643- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	33,72.00 (-) 23,29.33	10,42.67	10,42.67	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 23,29.33 लाख की प्रत्याशित बचत नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4055-208.0102.5385- रानी दुर्गावती पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	मूल पुनर्वि.	2,00.00 (-) 2,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 2,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई।
4055-208.0101.5385- रानी दुर्गावती पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	मूल पुनर्वि.	3,00.01 (-) 3,00.01	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 3,00.01 लाख की प्रत्याशित बचत नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई।
4055-800.0701.2643- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	11,49.00 (-) 2,59.22	8,89.78	8,89.78	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,59.22 लाख की प्रत्याशित बचत नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4055-800.0101.7186- बड़े शहरों में यातायात प्रबंधन	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-) 2,93.28	7,06.72	7,06.73	+ 0.01	समर्पण के रूप में ₹ 2,93.28 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,98.90 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 94.38 लाख) की प्रत्याशित बचत नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4055-800.0101.7346- केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र	मूल पुनर्वि.	21,00.00 (-) 18,92.49	2,07.51	2,07.51	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 18,92.49 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,28.80 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 63.69 लाख) की प्रत्याशित बचत नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने एवं संभावित बचत के कारण हुई।

(9) उपरोक्त टिप्पणी (8) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4055-207.0101.5555- बड़े शहरों एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा	मूल पुनर्वि.	21,00.00 (-) 3,18.91	17,81.09	30,43.09	+ 12,62.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,18.91 लाख की प्रत्याशित बचत नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 03—पुलिस समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4055-211.0101.3059- मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना	मूल	1,97,64.00	2,17,91.70	2,47,91.70	+ 30,00.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 20,27.70 लाख का आवर्धन निर्माण कार्य के लिये अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि.	20,27.70				

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

(मुख्य शीर्ष- 2013-मंत्रिपरिषद्, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2216-आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	94,33,43			
पूरक	0	94,33,43	51,31,00	(-) 43,02,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				7,94,60

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,00			
पूरक	0	3,00	0	(-)3,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1			
पूरक	58,00	58,01	19,77	(-) 38,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				38,24

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 43,02.43 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, केवल ₹ 7,94.60 लाख राशि 31 मार्च 2021 अभ्यर्पित किया गया।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-60.102.6241- दिसम्बर 1992 में घटित दंगों में मृत व्यक्तियों की विधवाओं को पेंशन	मूल पुनर्वि.	3,50.00 (-) 19.00	3,31.00	9.09	(-) 3,21.91	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 19.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2235.60.200.0686- साम्प्रदायिक दंगों में पीड़ितों को सहायता	मूल	3,90.00	3,90.00	0.00	(-) 3,90.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-60.200.2653- पूर्वदृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान, सहायक अनुदान	मूल पुनर्वि.	80.00 (-) 5.53	74.47	7.80	(-) 66.67	समर्पण के रूप में ₹ 5.53 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-60.200.0101.7330- आपदा सूचना एवं संचार तकनीक विकास	मूल पुनर्वि.	65.23 (-) 28.25	36.98	10.88	(-) 26.10	समर्पण के रूप में ₹ 28.25 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-60.200.0101.7331- आपदा प्रबंधन क्षमता विकास	मूल पुनर्वि.	1,45.46 (-) 86.39	59.07	11.98	(-) 47.09	समर्पण के रूप में ₹ 86.39 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3454-01.800.9946- जिला जनगणना पुस्तिका का प्रकाशन	मूल	4,43.00	4,43.00	1,77.20	(-) 2,65.80	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
3454-01.800.0801.9504- जनगणना 2021	मूल	29,31.10	29,31.10	11,72.44	(-) 17,58.66	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (3) ₹ 38.24 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जनवरी 2021 में प्राप्त ₹ 58.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (4) ₹ 38.24 लाख की सम्पूर्ण बचत 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित किया गया।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4235-60.800.1314- सैनिक आराम गृह	मूल	0.01				समर्पण के रूप में ₹ 38.24 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
	पूरक	58.00				
	पुनर्वि.	(-) 38.24	19.77	19.77	0.00	

अनुदान संख्या 05—जेल
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष— 2056-जेल, 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत व्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	4,11,98,11			
पूरक	10,00,00	4,21,98,11	3,95,96,04	(-) 26,02,07
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	30,30,00			
पूरक		30,30,00	27,94,54	(-) 2,35,46
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2021 में प्राप्त ₹ 10,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 26,02.07 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2056-001.2304- निर्देशन और प्रशासन	मूल पुनर्वि.	14,11.25 (-) 2,67.50	11,43.75	9,85.46	(-) 1,58.29	₹ 2,67.50 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 72.98 लाख की वृद्धि एवं ₹ 3,40.48 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कारागार में संविदा पर पदस्थ चिकित्सा अधिकारियों के वेतन के भुगतान एवं सातवें वेतन आयोग के बकाया के भुगतान के कारण हुई जबकि कमी संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 05—जेल समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2056-001.0801.2304-निर्देशन और प्रशासन	मूल	3,76.30	3,76.30	2,40.19	(-) 1,36.11	इस प्रावधान के अंतर्गत समान राशि की कमी एवं वृद्धि हुई। वृद्धि इस शीर्ष के अंतर्गत अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई जबकि कमी संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2056-101.0101.5044-जेल का आधुनिकीकरण	मूल	7,25.52	7,25.52	4,55.44	(-) 2,70.08	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2056-101.0101.5048-बंदियों के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण	मूल	1,56.01	1,56.01	34.77	(-) 1,21.24	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2056-101.0101.6855-जेलों और जिला अदालतों के बीच वीडियो क्रांफ्रेंसिंग की व्यवस्था	मूल	2,00.01	2,00.01	0.00	(-) 2,00.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूंजीगत:

- (3) ₹ 2,35.46 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.0849-जेलों की सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु निर्माण कार्य	मूल	12,00.00	12,00.00	10,88.80	(-) 1,11.20	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.2374-वर्कशॉप का निर्माण	मूल	7,00.00	7,00.00	5,99.74	(-) 1,00.26	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06-वित्त

(मुख्य शीर्ष- 2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं, 2054-खजाना एवं लेखा प्रशासन, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय, 6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज, 7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि, 7810-अन्तर्राज्यीय परिशोधन)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,72,96,22,54			
पूरक	4	1,72,96,22,58	1,49,60,15,90	(-) 23,36,06,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				33,50,02

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,30,05,47			
पूरक	0	3,30,05,47	5,45,76	(-) 3,24,59,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				6,01

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,30,70,03			
पूरक	0	1,30,70,03	44,79,33	(-) 85,90,70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				3,72,01

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 23,36,06.68 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 33,50.02 लाख की राशि समर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी	
2052-091.1349- उच्च शिक्षा ऋण का एक मुश्त भुगतान	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 50.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत एकमुश्त भुगतान हेतु बैंक से प्रस्ताव न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2052-091.4296- संचालनालय संस्थागत वित्त व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	6,65.03 (-) 2,99.68	3,65.35	3,65.89	+ 0.54	₹ 2,99.68 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10.11 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 3,09.79 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी संचालनालय स्तर पर मितव्ययीता अपनाये जाने एवं खरीद पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई जबकि वृद्धि संचालनालय संस्थागत वित्त में मरम्मत कार्य के कारण। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2052-091.6357- पी.पी.पी. प्रकोष्ठ का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	15,32.56 (-) 11,01.73	4,30.83	4,30.83	0.00	₹ 11,01.73 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10.11 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 10,91.62 लाख) अंशतः संचालनालय स्तर पर मितव्ययीता अपनाये जाने एवं खरीद पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई (₹ 10,91.62 लाख)। शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2052-091.9508- कर्मचारी आयोग	मूल	2,09.19	2,09.19	58.02	(-) 1,51.17	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-091.0101.5652-म.प्र. परियोजना विकास कोष योजना	मूल पुनर्वि.	75.00 (-) 75.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 75.00 लाख की प्रत्याशित बचत विभाग से प्रस्ताव न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2052-091.0101.7377-उच्च शिक्षा ऋण पर ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	2,50.00 (-) 80.38	1,69.62	1,69.62	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 80.38 लाख की प्रत्याशित बचत बैंक से विधयार्थियों के लिये उच्च शिक्षा ऋण हेतु ब्याज ग्रांट राशि की मांग न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2054-095.2304-निदेशन और प्रशासन	मूल	16,66.43	16,66.43	12,70.00	(-) 3,96.43	इस शीर्ष के अंतर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि ₹ 7.46 लाख की कमी एवं वृद्धि हुई। वृद्धि गृह निर्माण एवं आधारभूत संरचना विकास मंडल को भुगतान किये जाने के कारण हुई जबकि कमी संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2054-095.4307-संभागीय स्थापना	मूल	15,38.58	15,38.58	12,89.18	(-) 2,49.40	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2054-095.5329-लंबित देयकों के भुगतान	मूल पुनर्वि.	2,00,00.00 (-) 1,25,00.00	75,00.00	31,34.79	(-) 43,65.21	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 1,25,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2054-095.8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल	86,89.66	86,89.66	42,42.93	(-) 44,46.73	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी	
2054-097.1026- खजाना स्थापना	मूल	83,06.13	83,06.13	68,41.84	(-) 14,64.29	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2071-800.9135- म.प्र.पी.आई. कंपनी को संधारण अनुदान	मूल	10,00.00	10,00.00	72.45	(-) 9,27.55	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.101.9999- एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल पुनर्वि.	86,43,27.53 (-) 15,00,00.00	71,43,27.53	60,17,10.24	(-) 11,26,17.29	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 15,00,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.102.9998- मध्य प्रदेश	मूल पुनर्वि.	4,00,46.46 (-) 1,00,00.00	3,00,46.46	1,62,48.74	(-) 1,37,97.72	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 1,00,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.102.9999- एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल पुनर्वि.	1,90,86.42 (-) 90,00.00	1,00,86.42	21,31.00	(-) 79,55.42	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 90,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2071-01.103.9998- मध्य प्रदेश	मूल पुनर्वि.	2,04.86 (-) 40.00	1,64.86	9.66	(-) 1,55.20	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 40.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2071-01.103.9999- एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	2,50.00	2,50.00	28.04	(-) 2,21.96	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.104.9999- एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	9,95,27.00	9,95,27.00	71,57.78	(-) 9,23,69.22	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2071-01.111.9998- मध्य प्रदेश	मूल	7,04.51	7,04.51	2,21.10	(-) 4,83.41	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
3475-797.8094- रिजर्व फण्ड में हस्तान्तरण एवं जमा लेखे	मूल	95.00	95.00	0.00	(-) 95.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2071-01.101.5158- सेवा निवृत्त न्यायिक सदस्यों को देय भत्ते	मूल पुनर्वि.	84.94 40.00	1,24.94	1,25.43	+ 0.49	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 40.00 लाख की प्रावधान में आवर्धन के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2071-01.104.9998- मध्य प्रदेश	मूल पुनर्वि.	5,82,85.00 14,50,00.00	20,32,85.00	23,09,01.45	+ 2,76,16.45	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 14,50,00.00 लाख की प्रावधान में आवर्धन के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2071-01.115.9998- मध्य प्रदेश	मूल पुनर्वि.	2,48,23.59 4,15,00.00	6,63,23.59	4,87,97.67	(-) 1,75,25.92	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 4,15,00.00 लाख की प्रावधान में आवर्धन के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2071-01.115.9999- एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल पुनर्वि.	2,36,15.22 1,00,00.00	3,36,15.22	3,26,70.12	(-) 9,45.10	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 1,00,00.00 लाख की प्रावधान में आवर्धन के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2075-797.6857- प्रतिपूर्ति रिडमशन निधि में स्थानान्तरण	मूल	1,00.00	1,00.00	42,72.08	+ 41,72.08	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

प्रभारित

- (4) ₹ 3,24,59.71 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 6.01 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई है:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2054-095.5329- लंबित देयकों के भुगतान	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	0.00	(-) 1,00,00.00	सम्पूर्ण विनियोग ₹ 1,00,00.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.101.5158- सेवा निवृत्त न्यायिक सदस्यों को देय भत्ते	मूल	2,24.09	2,24.09	2.61	(-) 2,21.48	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2071-01.101.9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	1,00,50.00	1,00,50.00	38.57	(-) 1,00,11.43	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.102.9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-) 10,00.00	सम्पूर्ण विनियोग ₹ 10,00.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.103.9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण विनियोग ₹ 50.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.104.9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	5,00.00	5,00.00	55.96	(-) 4,44.04	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2071-01.105.9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	3.41	(-) 99,96.59	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2071-01.106.9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	5,50.00	5,50.00	35.90	(-) 5,14.10	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (6) ₹ 85,90.70 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 3,72.01 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6075.800.6787-गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	मूल	50,00.00	50,00.00	25,76.40	(-) 24,23.60	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06—वित्त समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6075.800.6788- राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर. बाण्ड्स के समाधान हेतु प्रावधान	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-) 10,00.00	सम्पूर्ण विनियोग ₹ 10,00.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
6075-800.6842- राज्य शासन के उपक्रमों की पुनर्संरचना हेतु ऋण सहायता	मूल	50,00.00	50,00.00	3,00.00	(-) 47,00.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
7610-201.9084- अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को ऋण	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण विनियोग ₹ 50.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर

(मुख्य शीर्ष- 2020-आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण, 2030-स्टाम्प और पंजीकरण, 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2043—राज्य माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत संग्रह प्रभार, 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	32,00,80,83			
पूरक	5,16,18,00	37,16,98,83	32,81,16,72	(-) 4,35,82,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				13,02,22

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	23,00			
पूरक	0	23,00	0	(-) 23,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	17,02,00			
पूरक	0	17,02,00	1,90,89	(-) 15,11,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				7,38,57

अनुदान संख्या 07-वाणिज्यिक कर जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 4,35,82.11 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 5,16,18.00 लाख का अनुपूरक अनुदान जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया (₹ 19,00.00 लाख) एवं मार्च 2021 में प्राप्त किया गया (₹ 4,97,18.00 लाख) अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 4,35,82.11 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 13,02.22 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2030-01.001.3561- मुख्यालय स्थापना	मूल पुनर्वि.	7,00.39 (-) 2,05.50	4,94.89	5,07.52	+ 12.63	₹ 2,05.50 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9.31 लाख की वृद्धि एवं ₹ 2,14.81 लाख (समर्पण के रूप में ₹ 2,10.50 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.32 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः पद रिक्त रहने, महंगाई भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाये जाने के कारण हुई (₹ 2,10.50 लाख) शेष कमी एवं वृद्धि के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2039-001.0101.8808- सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्य	मूल पुनर्वि.	4,62.00 (-) 2,18.34	2,43.66	2,43.66	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,18.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 07-वाणिज्यिक कर जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2030-03.001.5815- परिक्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	2,90.63 (-) 64.61	2,26.02	2,24.23	(-) 1.79	₹ 64.61 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.30 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 66.91 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी पद रिक्त रहने, महंगाई भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाये जाने के कारण हुई (₹ 66.91 लाख)। वृद्धि के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2039-001.0123- अधिक्षण	मूल पुनर्वि.	15,08,29.11 (-) 29,96.00	14,78,33.11	11,47,50.79	(-) 3,30,82.32	₹ 29,96.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 30,46.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः आई. आई.एम. इन्दौर में कम्प्यूटराइजेसन के लिये अतिरिक्त प्रशिक्षण दिये जाने के कारण हुई (₹ 40.00 लाख) जबकि कमी अंशतः लॉकडाउन के कारण कम मदिरा बिक्री के कारण हुई (₹ 29,31.00 लाख)। शेष कमी एवं वृद्धि के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2039-001.1470- जिला कार्यपालिक स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,51,85.56 1,76.00	1,53,61.56	1,33,23.84	(-) 20,37.72	प्रावधान में ₹ 1,76.00 लाख का आवर्धन लंबित देयकों एवं फीस की भुगतान के कारण हुई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 07-वाणिज्यिक कर जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2039-001.0101.8808-सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्य	मूल पुनर्वि.	7,86.58 3,20.00	11,06.58	4,29.92	(-) 6,76.66	प्रावधान में ₹ 3,20.00 लाख का आवर्धन विशेष सेवा के लिये मानदेय का भुगतान के कारण हुई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2039-102.1111-आबकारी सामग्री की खरीद	मूल	1,00.00	1,00.00	51.77	(-) 48.23	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2043-001.3569-मुख्यालय स्थापना व्यय	मूल	21,60.31	21,60.31	15,32.53	(-) 6,27.78	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2043-001.8808-सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्य	मूल पुनर्वि.	25,34.10 (-) 1,57.50	23,76.60	18,64.69	(-) 5,11.91	समर्पण के रूप में ₹ 1,57.50 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2043-101.1509-जिला स्थापना	मूल	2,03,50.71	2,03,50.71	1,66,63.27	(-) 36,87.44	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2039-104.1111-आबकारी सामग्री की खरीद	मूल पुनर्वि.	1,00.00 25,00.00	26,00.00	20,01.05	(-) 5,98.95	प्रावधान में ₹ 25,00.00 लाख का आवर्धन उत्पादकों को लॉकडाउन के कारण शासकीय दुकानों से देशी मदिरा बिक्री हेतु भुगतान किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर जारी

(5) पंचायत, भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि-

मध्य प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम, 1993 की धारा 74 एवं 75 के अंतर्गत पंचायत भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि का गठन किया गया था। प्रत्येक भू-धारी तथा सरकारी भूमि के पट्टेदार से ग्राम पंचायत क्षेत्र में उसके द्वारा धारित भूमि के संबंध में उपकर ऐसी भूमि पर निर्धारित भू-राजस्व या लगान के 50 पैसे प्रति रूपया या उसके किसी भाग पर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये उद्ग्रहीत किया जाता है तथा उन लिखितों पर जो खंड के भीतर स्थावर संपत्ति का दान, विक्रय या बंधक से संबंधित हों, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क एक प्रतिशत की दर से ऐसी संपत्ति के मूल्य या बंधक की दशा में उस रकम पर जो लिखित द्वारा प्रतिभूति की गई है, उद्ग्रहीत कर राज्य की संचित निधि के अंतर्गत शासन की प्राप्तियों में जमा की जाती है। जनपद, ग्राम तथा जिला पंचायतों के कार्यालय व्यय तथा कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु इस निधि का उपयोग किया जाता है। उपकर तथा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क मुख्य शीर्ष 0030-स्टाम्प और रजिस्ट्री फीस-01-स्टाम्प-न्यायिक एवं 02-स्टाम्प- न्यायिकेत्तर-800-अन्य प्राप्तियां-0035-मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहीत स्टाम्प शुल्क के अंतर्गत राजस्व में जमा किया जाता है तथा इस अनुदान में उपकर के आगम तथा गत वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा उगाही गई उपकर एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के समतुल्य राशि मुख्यशीर्ष 2030-स्टाम्प एवं पंजीकरण-02-स्टाम्प-न्यायिकेत्तर-797-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखाओं को/से अंतरण-6002-मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहीत अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क का पंचायत भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क में अंतरण के अंतर्गत राज्य की संचित निधि पर प्रभारित किया जाकर मुख्य शीर्ष 8229-विकास एवं कल्याण निधि-200-अन्य विकास एवं कल्याण निधियां-पंचायत, भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि में जमा किया जाता है।

1 अप्रैल 2020 को निधि का प्रारंभिक शेष ₹ 17,89,92.48 लाख था। वर्ष के दौरान कोई भी राशि इस निधि में जमा नहीं की गई तथा वर्ष के दौरान निधि में कोई राशि नामे नहीं की गई। 31 मार्च 2021 को निधि में जमा शेष ₹ 17,89,92.48 लाख था।

निधि के लेन-देन का लेखा वित्त लेखे 2020-21 के विवरण संख्या 21 एवं 22 में सम्मिलित है।

प्रभारित

- (6) सम्पूर्ण विनियोग ₹ 23.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (7) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर समाप्त

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2030-01.001.3561-	मूल	12.00	12.00	0.00	(-) 12.00	सम्पूर्ण विनियोग ₹ 12.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2039-001.1470-	मूल	10.00	10.00	0.00	(-) 10.00	सम्पूर्ण विनियोग ₹ 10.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (8) ₹ 15,11.11 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 7,38.57 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.1267-	मूल	8,50.00	8,50.00	1,77.45	(-) 6,72.55	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.6739-	मूल पुनर्वि.	4,30.00 (-) 4,16.57	13.43	13.43	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 4,16.57 लाख की प्रत्याशित बचत पी.आई. यु.पी.डब्लू.डी. से मांग पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई है। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.7311-	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-) 1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,00.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.7382-	मूल पुनर्वि.	3,22.00 (-) 3,22.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत पी.आई.यु.पी. डब्लू.डी. से मांग पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई है। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 08—मू—राजस्व तथा जिला प्रशासन

(मुख्य शीर्ष- 2029-मू-राजस्व, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन, 2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 4058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं में पूंजीगत परिव्यय, 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,)

राजस्व:
दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	19,01,47,13			
पूरक	16,00,06,00	35,01,53,13	31,84,71,25	(-) 3,16,81,88
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (25, 27 एवं 31 मार्च 2021)				2,16,66,75

राजस्व दत्तमत अनुभाग में (₹ 31,84,71,25,323) के कुल व्यय में 24.09.2020 एवं 02.11.2020 की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम से व्यय की गई राशि ₹ 3,50,00,00,000 सम्मिलित है जिसकी प्रतिपूर्ति वर्ष के दौरान की जा चुकी है।

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,99,49			
पूरक	0	3,99,49	96,49	(-) 3,03,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,03,42

पूंजीगत:
दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,71,10,01			
पूरक	1,63,38	1,72,73,39	1,31,67,19	(-) 41,06,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				23,16,04

अनुदान संख्या 08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 3,16,81.88 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जनवरी 2021 में प्राप्त ₹ 16,00,06.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 3,16,81.88 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 27 मार्च 2021 एवं 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 2,16,66.75 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2029-103.1472- जिला खर्च	मूल पुनर्वि.	8,67,66.86 (-) 75,88.46	7,91,78.40	7,84,16.20	(-) 7,62.20	₹ 75,88.46 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 60.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 76,48.46 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 60.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 75,88.46 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि इस शीर्ष के अंतर्गत अपर्याप्त राशि होने के कारण हुई (₹ 60.00 लाख) जबकि कमी आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने के कारण हुई (₹ 76,48.46 लाख)। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2029-103.0101.5390- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-) 8,46.36	1,53.64	1,53.87	+ 0.23	समर्पण के रूप में ₹ 8,46.36 लाख की प्रत्याशित बचत आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2029-800.0101.6345- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना	पूरक पुनर्वि.	9,76,00.00 (-) 99,00.00	8,77,00.00	8,42,00.00	(-) 35,00.00	समर्पण के रूप में ₹ 99,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत कृषक हितग्राहियों को राशि आबंटित किये जाने हेतु ₹ 3,50,00.00 लाख का आबंटन आकस्मिकता निधि में प्राप्त हुआ था, जिसे कम किया जाकर शेष राशि आवश्यकतानुसार आहरित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2053-093.1509-जिला स्थापना	मूल पुनर्वि.	3,14,01.14 75.17	3,14,76.31	2,59,65.76	(-) 55,10.55	₹ 75.17 लाख की आर्वधन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 24.83 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि संविदा कर्मचारियों के भुगतान (₹ 1,00.00 लाख) किये जाने के कारण हुई। शेष कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2053-094.0441-आदेशिका वाहक स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,30,45.96 (-) 16.45	1,30,29.51	1,23,84.54	(-) 6,44.97	समर्पण के रूप में ₹ 16.45 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2053-094.0619-उप संभागीय स्थापना	मूल पुनर्वि.	3,20,83.79 (-) 1,08.00	3,19,75.79	2,94,85.85	(-) 24,89.94	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 1,08.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2053-094.6924-प्रमुख राजस्व आयुक्त (स्थापना)	मूल	12,07.38	12,07.38	3,73.59	(-) 8,33.79	इस प्रावधान के अंतर्गत समान राशि की कमी एवं वृद्धि हुई है। वृद्धि देयकों के भुगतान किये जाने एवं कमी प्रशिक्षण कार्यक्रम न होने के कारण हुई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2053-101.0452-आयुक्त	मूल पुनर्वि.	27,41.97 8.00	27,49.97	20,99.10	(-) 6,50.87	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 8.00 लाख की आर्वधन संविदा कर्मचारियों के भुगतान किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2058-001.2286-नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री का कार्यालय	मूल पुनर्वि.	3,02.84 (-) 80.75	2,22.09	2,28.41	+ 6.32	₹ 80.75 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 0.21 लाख की वृद्धि एवं ₹ 80.96 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 0.21 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 80.75 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः मितव्ययिता अपनाये जाने के कारण हुई (₹ 80.75 लाख) जबकि वृद्धि वेतन एवं वाहन भत्ता के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। शेष कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन जारी

प्रभारित

- (4) ₹ 3,03.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 1,03.42 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2052-099.3657- राजस्व बोर्ड	मूल पुनर्वि.	1,88.00 (-) 1,02.42	85.58	95.49	+ 9.91	समर्पण के रूप में ₹ 1,02.42 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी
2053-093.1509- जिला स्थापना	मूल	2,09.99	2,09.99	1.00	(-) 2,08.99	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (6) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2021 में प्राप्त ₹ 1,63.38 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (7) ₹ 41,06.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 23,16.04 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4058-103.0101.3427- मशीनों एवं उपकरण छपाई की मशीनों की खरीद	मूल पुनर्वि.	6,12.00 (-) 3,64.65	2,47.35	2,47.35	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,64.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0103.5160- कम आबादी वाली तहसील में आवासीय परिसर का निर्माण	मूल	1,70.64	1,70.64	1,05.80	(-) 64.84	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0103.6664- तहसील जिला एवं संभाग के भवन निर्माण	मूल	20,80.00	20,80.00	17,65.18	(-) 3,14.82	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.6664- तहसील जिला एवं संभाग के भवन निर्माण	मूल	79,30.00	79,30.00	68,75.92	(-) 10,54.08	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.6980- भू-अभिलेख जिला एवं प्रशासन के स्तरों के सुधार की योजना (रा.नि./पटवारी आवास)	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 50.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.800.1509- जिला स्थापना	पूरक	1,62.00	1,62.00	1,08.86	(-) 53.14	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4070-800.6846- भूप्रबंधन	मूल पुनर्वि.	25,00.00 (-) 19,00.00	6,00.00	6,00.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 19,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 09—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष 2810-नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	62,59,12			
पूरक	0	62,59,12	60,41,01	(-) 2,18,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 2,18.11 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) यद्यपि ₹ 2,18.11 लाख की समग्र बचत कुल विनियोग के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उप शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुये हैं:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2810-01.001.2304- निदेशन और प्रशासन	मूल	1,86.46	1,86.46	1,46.64	(-) 39.82	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2810-60.600.0101.6759- अपरम्परागत ऊर्जा से संबंधित सर्वेक्षण कार्य	मूल	1,00.00	1,00.00	57.24	(-) 42.76	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2810-60.600.0101.3220- म.प्र. ऊर्जा विकास निगम को सहायक अनुदान	मूल	7,77.59	7,77.59	7,63.04	(-) 14.55	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 10-वन

(मुख्य शीर्ष- 2055-पुलिस, 2216-आवास, 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन, 3054-सड़कें तथा सेतु, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	16,84,43,37			
पूरक	71,95,55	17,56,38,92	15,87,81,22	(-) 1,68,57,70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (25 एवं 31 मार्च 2021)				2,06,15

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	25,99			
पूरक	20,00	45,99	23,91	(-) 22,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,33,27,47			
पूरक	0	10,33,27,47	9,15,46,44	(-) 1,17,81,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (25 मार्च 2021)				68

अनुदान संख्या 10—वन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2021 में ₹ 71,95.55 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,68,57.70 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, केवल ₹ 2,06.15 लाख राशि राशि 25 मार्च 2021 (₹ 2.70 लाख) एवं 31 मार्च 2021 (₹ 2,03.45 लाख) को अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-104.3895- वनों की अभिरक्षा हेतु विशेष पुलिस	मूल पुनर्वि.	20,17.72 (-) 2,03.45	18,14.27	18,06.02	(-) 8.25	₹ 2,03.45 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 2,04.45 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 2,03.45 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि बजट में कम राशि प्रावधान होने के कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने एवं लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई (₹ 1.00 लाख) जबकि कमी संभावित बचत (₹ 1.00 लाख) नयी पदों पर भर्ती न होने, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्षों के दर पर किये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने, कोविड के कारण कम शासकीय यात्रा किये जाने के कारण हुई (₹ 2,03.45 लाख)। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2406-01.001.0101.3555- मुख्यालय स्थापना	मूल	58,27.51	58,27.51	40,98.22	(-) 17,29.29	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-01.003.4462- वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	पूरक	3,07.57	3,07.57	65.10	(-) 2,42.47	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 10—वन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-01.003.0101.4462-	मूल	24,73.22	24,73.22	19,82.01	(-) 4,91.21	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन						
2406-01.004.0101.2330-	मूल	7,98.32	7,98.32	4,64.61	(-) 3,33.71	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
वन मानचित्रों का डिजिटलाइजेशन						
2406-01.004.0101.7781-	पूरक	20,00.00	20,00.00	0.00	(-) 20,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
मालिक मकबूजा लकड़ी का क्रय						
2406-01.101.0801.0664-	मूल	20,00.00	20,00.00	17,51.10	(-) 2,48.90	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
इको सिस्टम सर्विसेस इम्पूवमेंट प्रोजेक्ट						
2406-01.101.0430.7882-	मूल	11,10.00	11,10.00	8,41.90	(-) 2,68.10	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन संरक्षण समूह						
2406-01.101.0102.0812-	मूल	59,12.61	59,12.61	47,24.57	(-) 11,88.04	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना						
2406-01.190.0703.7458-	मूल	9,31.00	9,31.00	4,16.00	(-) 5,15.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) (केन्द्रीय प्रवर्तित)						
2406-01.190.0702.7458-	मूल	10,00.00	10,00.00	4,16.00	(-) 5,84.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) (केन्द्रीय प्रवर्तित)						
2406-01.204.2901-	मूल	5,91.35	5,91.35	3,89.71	(-) 2,01.64	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
बांस उत्पादन						
2406-01.800.0101.0535-	पूरक	21,00.00	21,00.00	0.00	(-) 21,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
वनोपज का विदोहन एवं निर्वहन						

अनुदान संख्या 10—वन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-02.110.0703.3730- वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	मूल	13,24.13	13,24.13	10,59.30	(-) 2,64.83	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2406-01.004.7781- मालिक मकबूजा लकड़ी का क्रय	मूल	35,00.00	35,00.00	54,40.34	+ 19,40.34	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2406-01.800.0101.3896- वन्य प्राणियों द्वारा जन हानि करने पर क्षतिपूर्ति	मूल पुनर्वि.	9,07.86 2,42.84	11,50.70	10,30.28	(-) 1,20.42	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,42.84 लाख की आवेदन शासन द्वारा कम बजट प्रावधान किये जाने के कारण हुई। वृद्धि संविदा कर्मचारियों के भुगतान किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

प्रभारित

- (5) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2021 ₹ 20.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 22.08 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (7) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-01.101.0101.0812- कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना	मूल पूरक	14.47 20.00	34.47	12.44	(-) 22.03	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 10—वन जारी

पूँजीगत:

दत्तमत

- (8) ₹ 1,17,81.03 लाख की उपलब्ध अत्यधिक बचत के विरुद्ध, 25 मार्च 2021 को अल्प राशि ₹ 0.68 लाख अभ्यर्पित की गई।
- (9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4406-01.101.0703.7488- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	मूल	10,00.00	10,00.00	3,20.00	(-) 6,80.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4406-01.101.0702.7488- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	मूल	30,00.00	30,00.00	9,60.00	(-) 20,40.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4406-01.101.0701.7488- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	मूल	20,00.00	20,00.00	14,36.47	(-) 5,63.53	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4406-01.101.0101.5387- कार्य योजनाओं का निर्माण	मूल	5,50.00	5,50.00	4,81.88	(-) 68.12	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4406-01.102.0703.3730- वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	मूल	35,00.00	35,00.00	5,11.44	(-) 29,88.56	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4406-01.800.5399- मध्यप्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन योजना	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 (-) 24,55.38	75,44.62	76,70.63	+ 1,26.01	समर्पण के रूप में ₹ 24,55.38 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा कैपा के लिये नये बजट शीर्ष की स्वीकृत किये जाने के कारण पूर्व बजट शीर्ष से आहरण न किये जाने के कारण हुई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 10—वन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4406-01.800.9664- केम्पा प्रतिपूरक वनीकरण	मूल	78,08.05	78,08.05	67,81.75	(-) 10,26.30	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4406-01.800.9668- केम्पा ब्याज	मूल पुनर्वि.	48,69.12 (-) 44,50.55	4,18.57	29.64	(-) 3,88.93	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 44,50.55 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः राज्य कैंपा प्राधिकरण का गठन न किये जाने एवं आवश्यकता से अधिक बजट प्रावधान किये जाने के कारण हुई है (₹ 44,50.55 लाख)। शेष कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

(10) उपरोक्त टिप्पणी (9) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4406-01.102.0103.5109- ग्रामों के पुनर्वास हेतु मुआवजा	मूल पुनर्वि.	2,50.00 70.00	3,20.00	3,20.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 70.00 लाख की आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4406-01.800.9667- केम्पा निवल वर्तमान मूल्य	मूल पुनर्वि.	2,70,69.80 69,05.92	3,39,75.72	3,09,02.15	(-) 30,73.57	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 69,05.92 लाख की आवर्धन वित्त विभाग द्वारा कैंपा के लिये नये बजट शीर्ष की स्वीकृत किये जाने के कारण पूर्व बजट शीर्ष से आहरण न किये जाने शासन द्वारा कम बजट प्रावधान किये जाने के कारण हुई। वृद्धि संविदा कर्मचारियों के भुगतान किये जाने (₹ 24,55.38 लाख), राज्य स्तरीय समन्वय समिति और राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा एपीओ अनुमोदन राशि की तुलना में कम आवंटन राशि प्राप्त होने (₹ 24,50.55) लाख के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 11—उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन

(मुख्य शीर्ष- 2230-श्रम तथा रोजगार कौशल विकास, 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4875-अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 6856-पेट्रो-केमिकल उद्योगों के लिये कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,18,62,27			
पूरक	0	3,18,62,27	3,17,09,99	(-) 1,52,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,48,31

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	25			
पूरक	0	25	0	(-) 25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				25

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,92,50,02			
पूरक	0	5,92,50,02	5,78,19,99	(-) 14,30,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				14,30,03

अनुदान संख्या 11—उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन समाप्त

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 1,52.28 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 1,48.31 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (2) सम्पूर्ण बचत ₹ 14,30.03 लाख 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा

(मुख्य शीर्ष- 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2801-बिजली, 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	47,90,62,26			
पूरक	55,26,38,00	1,03,17,00,26	1,03,11,03,44	(-) 5,96,82
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				3

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-)1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	11,20,57,11			
पूरक	38,62,00	11,59,19,11	5,07,51,13	(-) 6,51,67,98
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (फरवरी एवं मार्च 2021)				6,51,68,18

अनुदान संख्या 12-ऊर्जा जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 5,96.82 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 55,26,38.00 लाख का अनुपूरक अनुदान जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया (₹ 19,61,38.00 लाख) एवं मार्च 2021 में प्राप्त किया गया (₹ 35,65.00 लाख) अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 5,96.82 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 0.03 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) विद्युत ऊर्जा विकास निधि:-

ऊर्जा विकास निधि का गठन उपभोक्ताओं को स्वयं या उनके कर्मचारियों द्वारा उपभोगित करने के लिये विक्रय या आपूर्ति की गई कुल विद्युत ऊर्जा यूनिट पर दस पैसे प्रति यूनिट की दर से सरकार द्वारा अधिरोपित ऊर्जा विकास उपकर से किया गया, जिसका उपयोग ऊर्जा (सभी पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक ऊर्जा के प्रकार), अनुसंधान एवं विकास योजनओं में विद्युत की उत्पादन क्षमता, पारेषण वितरण में वृद्धि सहित ऊर्जा स्रोत का सर्वेक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम आदि में किया जाता है। यह उपकर राजस्व शीर्ष "0043-विद्युत पर कर एवं शुल्क 800-अन्य प्राप्तियों" में जमा किया जाता है। तथा उपकर से राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की समस्त आगम के समतुल्य राशि राज्य की संचित निधि में इस मांग संख्या के मुख्य शीर्ष "2045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क 103-संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क-3218-मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अंतरण" को प्रभारित कर ऊर्जा विकास निधि में जमा किया जाता है।

इस निधि में 01 अप्रैल 2020 को ₹ 21,79,59.62 लाख का प्रारंभिक शेष था। वर्ष के दौरान ₹ 10,65,00.00 लाख राशि निधि में जमा की गई एवं निधि से कोई भी राशि व्यय नहीं की गई। 31 मार्च 2021 को निधि में ₹ 32,44,59.62 लाख के अंतशेष था।

इस निधि के लेन-देन मुख्य शीर्ष "8229 विकास एवं कल्याण निधि 110-विद्युत विकास निधि के अन्तर्गत सम्मिलित हैं, जिसका लेखा वित्त लेखे 2020-21 के विवरण संख्या 21 में दिया गया है।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2021 ₹ 38,62.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा समाप्त

- (5) ₹ 6,51,68.18 लाख का किया गया अभ्यर्पण ₹ 6,51,67.98 लाख की उपलब्ध बचत से अत्यधिक एवं अवास्तविक था।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4801-02.190.0101.5332- मध्यप्रदेश पॉवरजनरेटिंग कंपनी के वर्तमान विद्युत	मूल पुनर्वि.	36,00.00 (-) 36,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से जारी राशि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई है। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4801-02.190.0101.6323- 2 गुना 660 मेगावॉट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना	मूल पुनर्वि.	1,50,00.00 (-) 1,20,00.00	30,00.00	30,00.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,20,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से जारी राशि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
6801-190.0101.5336- विद्युत ग्रहों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-) 20,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से जारी राशि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई है। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
6801-205.1201.9655- स्मार्ट मीटर एवं स्काडा योजना हेतु ऋण	मूल पुनर्वि.	3,30,00.00 (-) 3,30,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कम्पनी से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई है।
4801-02.190.0101.9656- गांधी सागर जल विद्युत गृह लाईफ एक्सटेंशन	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-) 20,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4801-05.190.0410.9654- स्मार्ट मीटर एवं स्काडा योजना हेतु अंशपूजी	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-) 50,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कम्पनी से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई है।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास

(मुख्य शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2408-खाद्य भण्डारण तथा भांडागार, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2801-बिजली, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,04,61,36,51			
पूरक	36,00,84,74	1,40,62,21,25	1,35,42,46,68	(-) 5,19,74,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				5,18,63,24

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	34,00			
पूरक	0	34,00	14,00	(-) 20,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				20,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	4			
पूरक	0	4	0	(-) 4
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				4

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 5,19,74.57 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, ₹ 36,00,84.74 लाख का अनुपूरक अनुदान जनवरी 2021 (₹ 16,00,84.74 लाख) एवं मार्च 2021 (₹ 20,00,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 5,19,74.57 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 5,18,63.24 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) यद्यपि ₹ 5,19,74.57 लाख की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उप शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुये हैं:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-102.1201.0733- ग्रीन कृषि	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-) 1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 36.83 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 63.17 लाख) अंशतः भारत सरकार द्वारा फंड जारी न किये जाने से संभावित बचत के कारण हुई (₹ 36.83 लाख)। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-102.0703.7243- कृषि वानिकी सब मिशन	मूल पुनर्वि.	1,59.75 (-) 99.83	59.92	59.92	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 99.83 लाख की प्रत्याशित बचत उपलब्ध केन्द्रांश की तुलना में अधिक बजट प्रावधान के कारण आनुपातिक निधि प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-102.0703.7497- सब मिशन रेनफेड एरिया डेवलपमेंट	मूल पुनर्वि.	1,68.48 (-) 1,52.07	16.41	16.41	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,52.07 लाख की प्रत्याशित बचत उपलब्ध केन्द्रांश की तुलना में अधिक बजट प्रावधान के कारण आनुपातिक निधि प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-102.0703.7498-सब मिशन आन फार्म वाटर मैनेजमेंट	मूल पुनर्वि.	5,83.07 (-) 1,41.84	4,41.23	4,41.23	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,41.84 लाख की प्रत्याशित बचत जिला स्तर पर देयक जेनरेट न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-102.0702.7243-कृषि वानिकी सब मिशन	मूल पुनर्वि.	1,09.85 (-) 22.72	87.13	87.13	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 22.72 लाख की प्रत्याशित बचत उपलब्ध केंद्रांश की तुलना में अधिक बजट प्रावधान के कारण आनुपातिक निधि प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-102.0702.7497-सब मिशन रेनफेड एरिया डेवलपमेंट	मूल पुनर्वि.	2,17.47 (-) 1,80.69	36.78	36.78	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,80.69 लाख की प्रत्याशित बचत उपलब्ध केंद्रांश की तुलना में अधिक बजट प्रावधान के कारण आनुपातिक निधि प्राप्त न होने के कारण हुई।
2401-102.0702.7498-सब मिशन आन फार्म वाटर मैनेजमेंट	मूल पुनर्वि.	7,33.38 (-) 1,12.58	6,20.80	6,20.80	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,12.58 लाख की प्रत्याशित बचत जिला स्तर पर देयक जेनरेट न होने के कारण हुई।
2401-102.0701.7243-कृषि वानिकी सब मिशन	मूल पुनर्वि.	4,29.80 (-) 1,95.37	2,34.43	2,34.43	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,95.37 लाख की प्रत्याशित बचत उपलब्ध केंद्रांश की तुलना में अधिक बजट प्रावधान के कारण आनुपातिक निधि प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-102.0701.7497-सब मिशन रेनफेड एरिया डेवलपमेंट	मूल पुनर्वि.	5,62.00 (-) 4,62.66	99.34	99.34	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 4,62.66 लाख की प्रत्याशित बचत उपलब्ध केंद्रांश की तुलना में अधिक बजट प्रावधान के कारण आनुपातिक निधि प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-102.0701.7498- सब मिशन आन फार्म वाटर मैनेजमेंट	मूल	18,83.62	19,47.50	19,47.50	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,94.54 लाख की प्रत्याशित बचत जिला स्तर पर देयक जेनरेट न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पूरक	2,58.42				
	पुनर्वि.	(-) 1,94.54				
2401-102.0701.7499- सब मिशन स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट	मूल	19,48.90	37,48.56	37,48.56	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,50.73 लाख की प्रत्याशित बचत उपलब्ध केंद्रांश की तुलना में अधिक बजट प्रावधान के कारण आनुपातिक निधि प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पूरक	19,50.39				
	पुनर्वि.	(-) 1,50.73				
2401-105.0702.1227- परम्परागत खेती विकास योजना	मूल	8,39.99	6,71.72	6,71.72	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,99.87 लाख की प्रत्याशित बचत उपलब्ध केंद्रांश की तुलना में अधिक बजट प्रावधान के कारण आनुपातिक निधि प्राप्त न होने के कारण हुई।
	पूरक	2,31.60				
	पुनर्वि.	(-) 3,99.87				
2401-105.0701.1227- परम्परागत खेती विकास योजना	मूल	25,19.98	24,09.30	24,09.30	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 7,75.52 लाख की प्रत्याशित बचत उपलब्ध केंद्रांश की तुलना में अधिक बजट प्रावधान के कारण आनुपातिक निधि प्राप्त न होने के कारण हुई।
	पूरक	6,64.84				
	पुनर्वि.	(-) 7,75.52				
2401-105.0101.9197- राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था का गठन व संचालन	मूल	1,86.41	1,11.84	1,11.84	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 74.57 लाख की प्रत्याशित बचत संस्थान के लिये फंड की आवश्यकता न होने के कारण हुई।
	पुनर्वि.	(-) 74.57				
2401-108.0702.7500- नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पाल्म मिशन अण्डर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल	4,54.55	3,83.35	3,83.35	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 7,92.35 लाख की प्रत्याशित बचत उपलब्ध केंद्रांश की तुलना में अधिक बजट प्रावधान के कारण आनुपातिक निधि प्राप्त न होने के कारण हुई।
	पूरक	7,21.15				
	पुनर्वि.	(-) 7,92.35				
2401-109.0703.7494- सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लानींग मटेरियल	मूल	4,93.89	3,82.63	3,82.63	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,83.03 लाख की प्रत्याशित बचत उपलब्ध केंद्रांश की तुलना में अधिक बजट प्रावधान के कारण आनुपातिक निधि प्राप्त न होने के कारण हुई।
	पूरक	2,71.77				
	पुनर्वि.	(-) 3,83.03				

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-109.0702.7492-सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा)	मूल पुनर्वि.	8,79.11 (-) 1,87.36	6,91.75	6,91.75	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,87.36 लाख की प्रत्याशित बचत उपलब्ध केंद्रांश की तुलना में अधिक बजट प्रावधान के कारण आनुपातिक निधि प्राप्त न होने के कारण हुई।
2401-109.0701.7493-नेशनल ई गर्वनेंस प्लान	मूल पुनर्वि.	2,36.00 (-) 2,36.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,35.96 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 0.04 लाख) इस योजना में भारत सरकार से फंड जारी करना बंद किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-113.0103.6482-कृषि शक्ति योजना	मूल पुनर्वि.	65.08 (-) 62.88	2.20	2.20	0.00	₹ 62.88 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 0.44 लाख की वृद्धि एवं ₹ 63.32 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 0.44 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 62.88 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि लेखानुदान की तुलना में मूल बजट प्रावधान में कम बजट आवंटन किये जाने के कारण हुई जबकि कमी कोविड के कारण ट्रैक्टर का कम संचालन एवं कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी में कमी के कारण हुई।
2401-800.0103.5321-भावांतर/फ्लेट रेट योजना	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 (-) 1,00,00.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 99,99.99 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 0.01 लाख) शासन स्तर से सोयाबीन के भावान्तर दर का निर्धारण लंबित होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-800.0102.5321-भावांतर/फ्लेट रेट योजना	मूल पुनर्वि.	1,15,00.00 (-) 1,15,00.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,14,99.99 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 0.01 लाख) शासन स्तर से सोयाबीन के भावान्तर दर का निर्धारण लंबित होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-800.0101.5321- भावांतर/प्लेट रेट योजना	मूल पुनर्वि.	2,85,00.00 (-) 2,84,99.81	0.19	0.19	0.00	₹ 2,84,99.81 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 93,40.17 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 1,91,59.64 लाख) शासन स्तर से सोयाबीन के भावान्तर दर का निर्धारण लंबित होने के कारण हुई।

प्रभारित

- (4) ₹ 20.00 लाख की सम्पूर्ण बचत 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित की गई।
 (5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-001.0119- अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)	मूल पुनर्वि.	24.00 (-) 10.00	14.00	14.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 10.00 लाख की प्रत्याशित बचत अधीनस्थ कार्यालय द्वारा राशि की मांग न किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-113.4204- शासकीय मशीन ट्रेक्टर स्टेशन योजना	मूल पुनर्वि.	10.00 (-) 10.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत न्यायिक कारणों से भुगतान आदेश जारी नहीं होने हुई।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (6) ₹ 0.04 लाख की सम्पूर्ण बचत 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन

(मुख्य शीर्ष— 2059-लोक निर्माण कार्य, 2403-पशुपालन, 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	8,94,20,10			
पूरक	40,19,90	9,34,40,00	8,42,00,78	(-) 92,39,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	13,88			
पूरक	0	13,88	10,16	(-) 3,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	9,57,75			
पूरक	0	9,57,75	7,64,90	(-) 1,92,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				6

अनुदान संख्या 14—पशुपालन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, ₹ 40,19.90 लाख का अनुपूरक अनुदान जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया (₹ 20,19.90 लाख) एवं मार्च 2021 में प्राप्त किया गया (₹ 20,00.00 लाख) अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 92,39.22 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-001.4297-	मूल	10,70.11	10,70.11	8,84.86	(-) 1,85.25	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
संचालनालय स्तर						
2403-001.0702.7595-	मूल	3,91.00	3,91.00	2,13.70	(-) 1,77.30	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय पशुधन मिशन						
2403-101.5393-	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-) 2,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
डेरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी महाविद्यालय की स्थापना						
2403-101.5482-	मूल	4,00.00	4,00.00	2,14.95	(-) 1,85.05	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन						
2403-101.0703.1458-	मूल	65.61	65.61	0.00	(-) 65.61	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
महत्वपूर्ण पशुरोगों की विधिवत रोकथाम						
2403-101.0701.0752-	मूल	82.88	82.88	1.74	(-) 81.14	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
पी.पी.आर. रोग नियंत्रण						
2403-101.0701.1458-	मूल	4,81.13	4,81.13	2,26.35	(-) 2,54.78	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
महत्वपूर्ण पशुरोगों की विधिवत रोकथाम						
2403-101.0701.1926-	मूल	40.00	40.00	0.00	(-) 40.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
पशु चिकित्सालयों एवं पशु औषधालयों का सुदृढीकरण						
2403-101.0101.6998-	मूल	11,57.86	11,57.86	10,00.60	(-) 1,57.26	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
पशुओं के रोगों की रोकथाम हेतु टीका उत्पादन पर व्यय						

अनुदान संख्या 14—पशुपालन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-101.0101.7647-109-चलित पशु कल्याण सेवाएं	मूल	8,37.35	15,87.35	9,83.41	(-) 6,03.94	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
	पूरक	7,50.00				
2403-102.2567-पशु प्रजनन प्रक्षेत्र	मूल	11,08.85	11,08.85	9,25.33	(-) 1,83.52	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2403-102.0101.1108-गहन पशु विकास परियोजना	मूल पुनर्वि.	3,11,13.63 (-) 22,50.29	2,88,63.34	2,72,54.78	(-) 16,08.56	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 22,50.29 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत होने के कारण हुई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2403-109.2737-प्रशिक्षण केन्द्र	मूल	4,13.36	4,13.36	3,36.19	(-) 77.17	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2403-109.9512-मण्डला में वेटनरी डिप्लोमा हेतु शिक्षण संस्थान की स्थापना	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-) 1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-800.8703-दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना	मूल	1,72.27	1,72.27	0.52	(-) 1,71.75	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 1,92.85 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को अतिअल्प राशि ₹ 0.06 लाख केवल अभ्यर्पित की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4403-101.0103.6750-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का अधोसंरचना विकास	मूल	1,29.85	1,29.85	93.49	(-) 36.36	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 14-पशुपालन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4403-101.0102.6750- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का अधोसंरचना विकास	मूल	2,81.80	2,81.80	1,69.97	(-) 1,11.83	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4403-101.0101.5093- पशु चिकित्सालयों का सुदृढीकरण	मूल	1,16.80	1,16.80	97.56	(-) 19.24	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 15— विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण

(मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2801-बिजली, 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	20,45,75			
पूरक	0	20,45,75	12,57,54	(-) 7,88,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	0	(-) 1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,00,00			
पूरक	0	5,00,00	4,99,48	(-) 52
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 15— विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण समाप्त

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 7,88.21 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
 (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.001.7216- विमुक्त जाति मुख्यालय	मूल पुनर्वि.	1,04.43 3.17	1,07.60	61.24	(-) 46.36	₹ 3.17 लाख का आवर्धन बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7.54 लाख की वृद्धि एवं ₹ 4.37 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई जबकि कमी के साथ अंतिम बचत पद रिक्त रहने, सेवानिवृत्त होने, कोविड के कारण फंड का उपयोग न होने से उत्पन्न संभावित बचत के कारण हुई।
2225-01.277.0103.7393- विमुक्त जाति छात्रावास	मूल	16,81.78	16,81.78	10,29.40	(-) 6,52.38	इस शीर्ष में पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (₹ 1,15.58 लाख) की कमी एवं वृद्धि हुई। वृद्धि मजदूरी के भुगतान किये जाने के कारण हुई जबकि कमी एवं अंतिम बचत आई.एफ.एम.एस. में तकनीकी समस्या होने के कारण मजदूरी का भुगतान विस्तृत शीर्ष 12-001 एवं 12-003 न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (3) ₹ 0.52 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 16—मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास

(मुख्य शीर्ष— 2405-मछली उद्योग, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4405—मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	89,62,82			
पूरक	37,89,30	1,27,52,12	1,12,43,38	(-) 15,08,74
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	17,35			
पूरक	0	17,35	2,99	(-) 14,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	78,20			
पूरक	0	78,20	0	(-) 78,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 15,08.74 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, ₹ 37,89.30 लाख का जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 16—मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास जारी

- (2) ₹ 15,08.74 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2405-001.2304-निर्देशन और प्रशासन	मूल पुनर्वि.	8,43.91 39.34	8,83.25	7,75.27	(-) 1,07.98	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 39.34 लाख की आवृद्धन गृह किराये भत्ता शीर्ष के अंतर्गत कम बजट प्रावधान किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय किये जाने के कारण हुई।
2405-101.0162-मत्स्योद्योग के लिए जिला स्तर पर अमला	मूल पुनर्वि.	43,16.27 (-) 39.34	42,76.93	36,92.45	(-) 5,84.48	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 39.34 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2405-101.0703.0665-नील क्रांति (ब्लू रिवोल्यूशन)	मूल	3,73.40	3,73.40	2,41.55	(-) 1,31.85	बचत कोविड के कारण व्यय न किये जाने के कारण हुई।
2405-101.0703.7579-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	पूरक	2,71.97	2,71.97	2,11.29	(-) 60.68	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2405-101.0701.0665-नील क्रांति (ब्लू रिवोल्यूशन)	मूल	13,60.00	13,60.00	13,01.86	(-) 58.14	बचत कोविड के कारण व्यय न किये जाने के कारण हुई।
2405-101.0701.7579-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	पूरक	28,22.29	28,22.29	25,62.80	(-) 2,59.49	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2405-101.0101.3314-मत्स्य बीज उत्पादन	मूल	5,49.55	5,49.55	5,08.65	(-) 40.90	इस शीर्ष में पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि ₹ 46.54 लाख की कमी एवं वृद्धि हुई। वृद्धि मत्स्य बीज उत्पादन शीर्ष में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण जबकि कमी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत कोविड के कारण व्यय न किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 16—मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2405-800.0701.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल	6,21.50	6,21.50	4,65.92	(-) 1,55.58	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

प्रभारित

- (4) ₹ 14.36 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
 (5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2405-101.0162- मत्स्योद्योग के लिए जिला स्तर पर अमला	मूल	17.35	17.35	2.99	(-) 14.36	बचत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (6) ₹ 78.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
 (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4405-109.0101.3321- मत्स्यालय	मूल	76.77	76.77	0.00	(-) 76.77	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 17-सहकारिता

(मुख्य शीर्ष- 2425-सहकारिता, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 6425-सहकारिता के लिये कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	6,10,70,62			
पूरक	0	6,10,70,62	5,71,37,83	(-) 39,32,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,00			
पूरक	0	2,00	0	(-) 2,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	30,26,52			
पूरक	0	30,26,52	10,62,08	(-) 19,64,44
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 17-सहकारिता जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 39,32.79 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
 (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-101.9909-सहकारी न्यायाधिकरण की स्थापना	मूल	1,71.01	1,71.01	1,20.77	(-) 50.24	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2425-107.0103.5006-प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान	मूल	2,19.52	2,19.52	67.96	(-) 1,51.56	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2425-107.0103.9134-प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	15,47.20 (-) 11,03.72	4,43.48	0.00	(-) 4,43.48	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 11,03.72 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2425-107.0103.9254-सहकारी बैंको के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	36,02.41 (-) 36,02.41	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन के द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2425-107.0102.2091-मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना	मूल पुनर्वि.	5,80.11 (-) 5,80.11	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन के द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2425-107.0102.9134-प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान	मूल	22,24.10	22,24.10	0.00	(-) 22,24.10	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 17-सहकारिता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-107.0101.9134-	मूल	58,98.70	58,98.70	19,21.96	(-) 39,76.74	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान						
2425-108.2352-	मूल	20,00.00	20,00.00	0.00	(-) 20,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण						
2425-800.0910.6965-	मूल	7,85.71	7,85.71	3,45.43	(-) 4,40.28	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
एकीकृत सहकारी विकास परियोजना						

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-107.0102.2341-	मूल	19,02.50				पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 5,80.11 लाख का आवर्धन मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना में कम राशि का प्रावधान किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना	पुनर्वि.	5,80.11	24,82.61	47,06.71	+ 22,24.10	
2425-107.0101.2091-	मूल	15,38.52				पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 4,03.55 लाख का आवर्धन शासन द्वारा प्रारंभ में कम राशि का प्रावधान किये जाने के कारण हुई।
मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना	पुनर्वि.	4,03.55	19,42.07	19,42.07	0.00	
2425-107.0101.2341-	मूल	44,96.85	44,96.85	84,73.59	+ 39,76.74	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना						
2425-107.0101.9254-	मूल	1,37,34.14				पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 47,06.13 लाख का आवर्धन शासन द्वारा प्रारंभ में कम राशि का प्रावधान किये जाने के कारण हुई।
सहकारी बैंको के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	पुनर्वि.	47,06.13	1,84,40.27	1,84,40.27	0.00	

अनुदान संख्या 17-सहकारिता समाप्त

पुंजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 19,64.44 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4425-107.0910.6965- एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	मूल	13,06.98	13,06.98	5,74.16	(-) 7,32.82	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
6425-106.0103.7827- अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक	मूल	57.60	57.60	0.00	(-) 57.60	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
6425-106.0102.7827- अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक	मूल	82.80	82.80	0.00	(-) 82.80	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
6425-106.0101.7827- अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक	मूल	2,19.60	2,19.60	0.00	(-) 2,19.60	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
6425-107.0910.6965- एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	मूल	13,09.49	13,09.49	4,70.42	(-) 8,39.07	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 18—श्रम

(मुख्य शीर्ष— 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2230-श्रम तथा रोजगार तथा कौशल विकास)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	8,13,04,48			
पूरक	1,62,50,00	9,75,54,48	9,38,05,33	(-) 37,49,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				16,74,67

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,00			
पूरक	0	3,00	0	(-) 3,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				2,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 37,49.15 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, ₹ 1,62,50.00 लाख का जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 37,49.15 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 16,74.67 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) यद्यपि ₹ 37,49.15 लाख की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उप शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुये हैं:—

अनुदान संख्या 18—श्रम समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.102.3676- राज्य बीमा अस्पताल	मूल	8.20	8.20	1.51	(-) 6.69	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-01.101.0101.5538- बाल श्रमिक सर्वेक्षण/ पुनर्वास योजना	मूल	20.01	20.01	2.84	(-) 17.16	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2230-01.102.0101.6380- इंदौर में स्थित हाइजिन लैब का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन	मूल	10.00	10.00	1.82	(-) 8.18	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

(मुख्य शीर्ष- 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211-परिवार कल्याण, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	72,30,87,01			
पूरक	1,57,84,00	73,88,71,01	70,80,76,01	(-) 3,07,95,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				3,30,74

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	25,50			
पूरक	0	25,50	4,12	(-) 21,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				50

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,74,42,51			
पूरक	1	1,74,42,52	1,45,27,85	(-) 29,14,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				4,67,35

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 1,57,84.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

- (2) ₹ 3,07,95.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 3,30.74 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।

प्रभारित

- (3) ₹ 21.38 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 0.50 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।

- (4) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01.001.0101.2283-निदेशन और प्रशासन	मूल	25.00	25.00	4.12	(-) 20.88	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 29,14.67 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 4,67.35 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।

- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-01.110.1701.7648-अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	मूल	6,00.00	6,00.00	5,12.87	(-) 87.13	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4210-01.110.0102.1473-जिला सिविल अस्पताल एवं औषधालय	मूल	5,00.00	5,00.00	2,33.16	(-) 2,66.84	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-01.110.0101.1320-नर्सिंग अधोसंरचना का उन्नयन एवं सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	1,72.01 (-) 60.00	1,12.01	1,08.32	(-) 3.69	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 60.00 लाख का प्रत्याशित बचत स्वीकृत कार्य में पांच माह के आधार पर संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-01.110.0101.1473- जिला सिविल अस्पताल एवं औषधालय	मूल	8,55.00	8,55.00	6,27.60	(-) 2,27.40	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-01.110.0101.2283- निदेशन और प्रशासन	मूल	5,00.00	5,00.00	93.58	(-) 4,06.42	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-02.103.0102.2777- स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक)	मूल	4,03.75	4,03.75	1,36.39	(-) 2,67.36	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4210-02.103.0102.5507- मुख्यमंत्री सुषेण संजीवनी योजना	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-) 60.00	40.00	0.00	(-) 40.00	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 60.00 लाख का प्रत्याशित बचत स्वीकृत कार्य में पांच माह के आधार पर संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4210-02.103.0101.2777- स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक)	मूल	7,09.00	7,09.00	2,99.00	(-) 4,10.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4210-02.103.0101.7317- ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन	मूल	1,50.00	1,50.00	85.00	(-) 65.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4210-02.104.1703.5056- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	मूल	4,00.00	4,00.00	3,10.18	(-) 89.82	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4210-02.104.1401.6882- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण (नाबार्ड)	मूल पुनर्वि.	18,00.00 (-) 7,00.00	11,00.00	10,98.01	(-) 1.09	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 7,00.00 लाख का प्रत्याशित बचत स्वीकृत कार्य में पांच माह के आधार पर संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-02.104.0102.5056- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-) 12,00.00	8,00.00	7,48.13	(-) 51.87	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 12,00.00 लाख का प्रत्याशित बचत स्वीकृत कार्य में पांच माह के आधार पर संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4210-04.107.0101.1070- खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम (खाद्य प्रयोग शाला सहित)	मूल पुनर्वि.	3,05.97 (-) 2,97.46	8.51	8.51	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,97.46 लाख का प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4210-04.107.0101.5305- ड्रग्स रेगुलेटरी सिस्टम का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	1,03.71 (-) 1,03.57	0.14	0.14	0.00	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 1,03.57 लाख का प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य एवं क्रय न होने के कारण हुई (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

(7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-01.110.1703.7648- अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,70.00 60.00	2,30.00	2,29.83	(-) 0.17	पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधान में ₹ 60.00 लाख का आवर्धन वार्षिक बजट में ऋणात्मक राशि होने एवं स्वीकृत कार्य के लिये अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4210-01.110.0103.7648- अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	3,30.00 7,00.00	10,30.00	10,15.17	(-) 14.83	पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधान में ₹ 7,00.00 लाख का आवर्धन वार्षिक बजट में ऋणात्मक राशि होने एवं स्वीकृत कार्य के लिये अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-01.110.0102.7648- अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	मूल	3,00.00	8,60.00	7,53.14	(-) 1,06.86	पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधान में ₹ 5,60.00 लाख का आवर्धन वार्षिक बजट में ऋणात्मक राशि होने एवं स्वीकृत कार्य के लिये अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि.	5,60.00				
4210-01.110.0101.7648- अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	मूल	14,50.00	18,50.00	18,13.73	(-) 36.27	पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधान में ₹ 4,00.00 लाख का आवर्धन वार्षिक बजट में ऋणात्मक राशि होने एवं स्वीकृत कार्य के लिये अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि.	4,00.00				
4210-02.104.0103.5056- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	मूल	12,00.00	14,00.00	13,39.99	(-) 60.01	पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख का आवर्धन वार्षिक बजट में ऋणात्मक राशि होने एवं स्वीकृत कार्य के लिये अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि.	2,00.00				

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

(मुख्य शीर्ष- 2215-जलपूर्ति तथा सफाई, 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,37,80,06			
पूरक	0	5,37,80,06	5,47,71,84	9,91,78
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,00,00			
पूरक	0	5,00,00	6,67	(-) 4,93,33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	40,67,38,23			
पूरक	0	40,67,38,23	39,51,34,63	(-) 1,16,03,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

(1) दत्तमत अनुदान से हुये ₹ 9,91,78,671 के आधिक्य व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

(2) प्रावधान में आधिक्य मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-01.001.2714- प्रशासन	मूल	3,92,77.83	3,92,77.83	4,13,81.98	+ 21,04.15	प्रावधान में समान राशि ₹ 9,03.12 लाख की पुनर्विनियोजन द्वारा कमी एवं वृद्धि हुई। वृद्धि मजदूरी मद से भुगतान न होने के कारण हुई जबकि कमी संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2215-01.101.5300- स्थानीय संस्थाओं की जल प्रदाय योजनाओं का संधारण	मूल	54.00	54.00	1,28.78	+ 74.78	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2215-01.101.0101.0545- प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण	मूल	31.00	31.00	41.27	+ 10.27	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत बचत द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-01.001.2294- संचालनालय की स्थापना	मूल	39,64.17	39,64.17	32,61.85	(-) 7,02.32	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2215-01.102.0101.8415- ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण	मूल	4,20.00	4,20.00	3,91.19	(-) 28.81	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2215-01.800.0701.1196- ग्रामीण जल प्रदाय सर्वेक्षण एवं जांच पड़ताल	मूल	1,00.00	1,00.00	36.00	(-) 64.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

<p>(4) उचंत लेन देनः—</p>
<p>इस अनुदान के राजस्व अनुभाग (दत्तमत) में वर्ष 2020-21 के दौरान उचंत शीर्ष के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया था। लघु शीर्ष "उचंत" में अस्थाई प्रकृति के लेन-देन दर्ज किये जाते हैं, जो कि या तो संबंधित निर्माण कार्य के अंतिम व्यय के रूप में समायोजनीय नहीं होते हैं या जिनका उचित वर्गीकरण शीघ्र ही सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देनों को यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया गया है तो उन्हें वर्ष प्रति वर्ष अग्रणीत किया जाता है। उचंत शीर्ष के अन्तर्गत चार उप-खण्ड होते हैं।</p>
<p>(i) क्रय (ii) भण्डार (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम (iv) कार्यशाला उचंत।</p>
<p>प्रत्येक उपभाग के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा कार्य-विधि जो अपनाई जाती है, निम्नानुसार स्पष्ट की गई हैः—</p>
<p>(i) क्रय— राज्य में 1983-84 से प्रचलित नई लेखा पद्धति के परिप्रेक्ष्य में यह उप शीर्ष अक्रियाशील हो गया है, तथापि केवल विगत वर्षों के शेषों को अग्रणीत किया जाता है और बाद के वर्षों में इस शीर्ष से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।</p>
<p>(ii) भण्डार— इस शीर्ष में किसी निश्चित कार्य के लिये नहीं अपितु संभाग के सामान्य उपयोग हेतु अधिग्रहीत सामग्री का मूल्य नामे किया जाता है। इसे निर्माण कार्यों पर उपयोग के लिये प्रदत्त या बेची गई अथवा अन्य संभागों को अंतरित की गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। इसलिये यह शीर्ष स्टॉक में रखी गई सामग्रियों के पुस्तक मूल्य तथा सामग्रियों के उत्पादन से संबंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, के योग के नामें शेष दर्शायेगा।</p>
<p>(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम—इस शीर्ष में उधार बेचे गए सामान के मूल्य, प्राप्त जमा या निधि से अधिक जमा निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई नगदी या भण्डारों की हानियां और सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियां आदि के नामे आते हैं। इस प्रकार इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष, वसूली योग्य राशियां दर्शाते हैं।</p>
<p>(iv) कार्यशाला उचंत—किये गए कार्यों के प्रभार या लोक निर्माण कार्य विभाग की कार्यशालाओं में अन्य परिचालन संबंधी प्रभार, जिनकी वसूली या समायोजन लंबित हैं, इस शीर्ष के नामे डाले जाते हैं।</p>
<p>वर्ष 2020-21 के दौरान अनुदान के अंतर्गत लेखाबद्ध किये गए विभिन्न उचंत उप शीर्षों में उचंत लेन-देनों का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंतशेषों सहित नीचे दिया गया हैः—</p>

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

विवरण	1 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष नामे+जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2021 को अंत शेष नामे +जमा (-)
(लाख ₹ में)				
2215—जल पूर्ति तथा सफाई				
(i) क्रय	(-) 44,10.17	0.00	0.00	(-) 44,10.17
(ii) भण्डार	+ 9,43.73	0.00	0.00	+ 9,43.73
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+ 2,03,09.20	0.00	0.00	+ 2,03,09.20
योग	+ 1,68,42.76	0.00	0.00	+ 1,68,42.76

प्रभारित

- (5) ₹ 4,93.33 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-01.001.2294-संचालनालय की स्थापना	मूल	5,00.00	5,00.00	6.67	(-) 4,93.33	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (7) ₹ 1,16,03.60 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (8) यद्यपि ₹ 1,16,03.60 लाख की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उप शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुये हैं:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.101.0701.3862-लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग प्रयोगशालाएं	मूल	10,98.00	10,98.00	6,27.72	(-) 4,70.28	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4215-01.102.0702.9029-सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजना (एन.सी.ई. एफ.)	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-) 9,03.12	10,96.88	5,85.46	(-) 51,14.22	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 9,03.12 लाख की प्रत्याशित बचत लेखानुदान एवं मूल बजट में अंतर के समायोजन के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.800.1403.7301- पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	1,28,00.00 (-) 40,43.00	87,57.00	36,93.56	(-) 50,63.44	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 40,43.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4215-01.800.1402.7301- पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	1,76,00.00 (-) 16,89.00	1,59,11.00	1,02,31.75	(-) 56,79.25	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 16,89.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4215-01.800.1401.7301- पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	4,96,00.00 (-) 1,05,54.00	3,90,46.00	2,77,95.23	(-) 1,12,50.77	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 1,05,54.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4215-01.800.1202.1323- जायका से प्राप्त ऋण से जल योजनाओं का निर्माण	मूल	23,00.00	23,00.00	4,00.00	(-) 22,96.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4215-01.800.1201.1323- जायका से प्राप्त ऋण से जल योजनाओं का निर्माण	मूल	61,00.00	61,00.00	1,28.00	(-) 60,87.20	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4215-01.800.0703.7163- सहायक गतिविधियां	मूल पुनर्वि.	8,04.00 (-) 2,19.00	5,85.00	2,43.92	(-) 3,41.08	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 2,19.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.800.0702.7163- सहायक गतिविधिया	मूल	10,37.00	10,37.00	3,46.69	(-) 6,90.31	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

- (9) उपरोक्त टिप्पणी (8) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.102.1203.2316- ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना	मूल	1,40,16.00	1,40,16.00	2,05,15.98	+ 64,99.98	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4215-01.102.1202.2316- ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना	मूल	1,92,72.00	1,92,72.00	2,62,71.97	+ 69,99.97	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4215-01.102.1201.2316- ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना	मूल	5,43,12.00	5,43,12.00	6,94,76.33	+ 1,51,64.33	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4215-01.102.0702.2580- पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	20,65.83 9,03.12	29,68.95	29,81.45	+ 12.50	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,03.12 लाख का प्रावधान में आवर्धन लेखानुदान एवं मूल बजट में अंतर के समायोजन के कारण हुई। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 21—लोक सेवा प्रबंधन
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2053-जिला प्रशासन, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	60,35,01			
पूरक	0	60,35,01	46,92,08	(-) 13,42,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				8,71,33

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,00,00			
पूरक	0	2,00,00	90,63	(-) 1,09,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 13,42.93 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 8,71.33 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2053-093.5379- लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	3,75.00 (-) 0.63	3,74.37	3,32.48	(-) 41.89	समर्पण के रूप में ₹ 0.63 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 21—लोक सेवा प्रबंधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2053-093.1201.7628- सर्व सेवा परियोजना का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-) 4,20.00	5,80.00	1,60.00	(-) 4,20.00	समर्पण के रूप में ₹ 4,20.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2053-093.0101.6483- अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान	मूल पुनर्वि.	16,45.00 (-) 8,70.60	7,74.40	7,74.40	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 8,70.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2053-800.1923- मॉय एम.पी. प्रकोष्ठ के क्रियान्वयन हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	1,60.00 70.00	2,30.00	2,30.00	0.00	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 70.00 लाख का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2053-800.7047- लोक सेवा केन्द्रों को अनुदान	मूल पुनर्वि.	4,00.00 1,00.00	5,00.00	5,00.00	0.00	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 1,00.00 लाख का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2053-800.0101.5722- कॉल सेन्टर की स्थापना	मूल पुनर्वि.	19,30.00 2,50.00	21,80.00	21,80.00	0.00	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 2,50.00 लाख का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

पूँजीगत:

- (4) ₹ 1,09.37 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
 (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 21—लोक सेवा प्रबंधन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.6783- लोक सेवा केन्द्रों का निर्माण	मूल	2,00.00	2,00.00	90.63	(-) 1,09.37	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019—20, 2018—19 एवं 2017—18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास

(मुख्य शीर्ष- 2059-लोक निर्माण कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2215-जलपूर्ति तथा सफाई, 2216-आवास, 2217-शहरी विकास, 3054-सड़कें तथा सेतु, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 6217-शहरी विकास के लिए कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	20,52,96,13			
पूरक	18,21,67,58	38,74,63,71	38,56,66,31	(-) 17,97,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				6,49,48

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	11,00			
पूरक	0	11,00	0	(-) 11,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				10,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	15,25,89,73			
पूरक	2,91,98,00	18,17,87,73	18,00,19,50	(-) 17,68,23
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				17,68,17

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,00,00			
पूरक	0	10,00,00	4,72,20	(-) 5,27,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				5,27,80

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 17,97.40 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 18,21,67.58 लाख का अनुपूरक अनुदान जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया (₹ 2,39,37.58 लाख) एवं मार्च 2021 में प्राप्त किया गया (₹ 15,82,30.00 लाख) अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 17,97.40 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 6,49.48 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) यद्यपि ₹ 17,97.40 लाख की समग्र बचत कुल विनियोग के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उप शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुये हैं:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2059-80.001.1899- तीन निर्माण उप संभाग की स्थापना	मूल पुनर्वि.	7,95.69 (-) 86.08	7,09.61	6,83.56	(-) 26.04	समर्पण के रूप में ₹ 86.08 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा मासिक/तिमाही सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2059-80.001.4002- विद्युत एवं यांत्रिक संभाग एवं उप संभाग	मूल पुनर्वि.	3,26.72 (-) 39.24	2,87.48	2,89.15	+ 1.67	समर्पण के रूप में ₹ 39.24 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा मासिक/तिमाही सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2059-80.001.4025- विभागाध्यक्ष भवनों का रख रखाव	मूल पुनर्वि.	3,15.65 (-) 72.63	2,43.02	2,45.60	+ 2.58	समर्पण के रूप में ₹ 72.63 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा मासिक/तिमाही सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2217-05.191.0101.9836- नगरीय पथ व्यवसायी उत्थान योजना	मूल	4,00.00	4,00.00	1,76.00	(-) 2,24.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2217-05.192.0101.9836- नगरीय पथ व्यवसायी उत्थान योजना	मूल	3,00.00	3,00.00	1,32.00	(-) 1,68.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2217-05.800.6148- नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय	मूल	15,91.75	15,91.75	13,48.85	(-) 2,42.90	इस शीर्ष के अंतर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि ₹ 3.00 लाख की कमी एवं वृद्धि हुई है। कमी एवं वृद्धि के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2217-05.800.0102.5373- युवा स्वाभिमान योजना	मूल पुनर्वि.	15.00 (-) 15.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2217-05.800.0101.7029- राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगरीय प्रबंधन संस्थान	मूल पुनर्वि.	7,00.00 (-) 5,40.00	1,60.00	70.40	(-) 89.60	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 5,40.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

- (4) ₹ 11.00 लाख की सम्पूर्ण विनियोग की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 10.00 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2059-80.001.3296- मण्डल की स्थापना का व्यय (रा.आ.बा.सा. परि.)	मूल पुनर्वि.	10.00 (-) 10.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा मासिक/तिमाही सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2217-05.800.6148- नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (6) ₹ 17,68.23 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 2,91,98.00 लाख का अनुपूरक अनुदान जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया (₹ 2,15,00.00 लाख) एवं मार्च 2021 (₹ 76,98.00 लाख) में प्राप्त किया गया अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (7) ₹ 17,68.23 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 17,68.17 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (8) यद्यपि ₹ 17,68.23 लाख की समग्र बचत कुल विनियोग के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उप शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुये हैं:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4070-800.2633- अग्निशमन सेवा	मूल पुनर्वि.	28.00 (-) 28.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत नयी पदों पर भर्ती न होने, कोविड के कारण महंगाई भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान पूर्व वर्ष के दरों पर किये जाने एवं कम शासकीय यात्रा के कारण हुई है।
4217-01.051.0101.0284- अरिहायशी भवन	मूल पुनर्वि.	5,50.00 (-) 4,07.51	1,42.49	1,42.49	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 4,07.51 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा मासिक/तिमाही सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4217-60.800.1201.7336- एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	मूल पुनर्वि.	40,05.60 (-) 3,83.00	36,22.60	36,22.60	0.00	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 3,83.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6217-60.800.1203.7336- एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	मूल पुनर्वि.	46,00.00 (-) 2,94.00	43,06.00	43,06.00	0.00	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 2,94.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
6217-60.800.1202.7336- एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	मूल पुनर्वि.	63,00.00 (-) 4,02.00	58,98.00	58,98.00	0.00	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 4,02.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
6217-60.800.1201.7336- एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	मूल पुनर्वि.	1,76,00.00 (-) 11,23.00	1,64,77.00	1,64,77.00	0.00	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 11,23.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

(9) उपरोक्त टिप्पणी (8) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4217-60.800.1201.2043- मेट्रो रेल	मूल पुनर्वि.	2,00,00.00 24,00.00	2,24,00.00	2,24,00.00	0.00	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 24,00.00 लाख की आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
6217-60.800.1201.5374- मध्यप्रदेश अर्बन सर्विस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.) फेस-2	मूल पुनर्वि.	70,00.00 18,19.00	88,19.00	88,19.00	0.00	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 18,19.00 लाख की आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

प्रभारित

(10) ₹ 5,27.80 लाख की संपूर्ण बचत 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास समाप्त

(11) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4217-01.050.0101.3115- भू-अर्जन हेतु मुआवजा	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-) 5,27.80	4,72.20	4,72.20	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 5,27.80 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा मासिक/तिमाही सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन

(मुख्य शीर्ष- 2700-मुख्य सिंचाई, 2701-मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई, 2705-कमान क्षेत्र का विकास, 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	11,81,38,72			
पूरक	0	11,81,38,72	10,52,07,09	(-) 1,29,31,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,13,18,98

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	48,81,40,28			
पूरक	3,35,00,06	52,16,40,34	51,98,06,18	(-) 18,34,16
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				33,04,75

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00,00			
पूरक	0	1,00,00	94,80	(-) 5,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				5,00

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 1,29,31.63 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 1,13,18.98 लाख अभ्यर्पित किया गया।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2700-11.101.0102.2894- बाँध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	17,25.49 (-) 2,17.58	15,07.91	14,43.43	(-) 64.48	समर्पण के रूप में ₹ 2,17.58 लाख की प्रत्याशित बचत वार्षिक वेतन वृद्धि पर शासन द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2700-13.101.0101.2894- बाँध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	23,83.73 (-) 66.53	23,17.20	20,60.84	(-) 2,56.36	₹ 66.53 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 96.53 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 66.53 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः शासन द्वारा महंगाई भत्ता घोषणा नहीं किये जाने (₹ 66.53 लाख) के कारण हुई। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2700-16.101.0102.2894- बाँध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	3,85.78 (-) 1,24.10	2,61.68	2,32.78	(-) 28.90	₹ 1,24.10 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,29.10 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 1,24.10 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः शासन द्वारा महंगाई भत्ता घोषणा नहीं किये जाने (₹ 1,24.10 लाख) के कारण हुई। शेष कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2700-27.101.1573-सुकता परियोजना	मूल पुनर्वि.	2,53.55 (-) 95.94	1,57.61	1,47.20	(-) 10.41	₹ 95.94 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 65.94 लाख) की प्रत्याशित बचत अंशतः शासन द्वारा महंगाई भत्ता घोषणा नहीं किये जाने (₹ 65.94 लाख) के कारण हुई। शेष कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2700-80.005.0101.9957-कार्यपालिक स्थापना (सर्वेक्षण एवं अन्वेषण)	मूल पुनर्वि.	27,57.91 (-) 4,16.63	23,41.28	23,35.98	(-) 5.30	₹ 4,16.63 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 0.75 लाख की वृद्धि एवं ₹ 4,17.38 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 0.75 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 4,16.63 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः शासन द्वारा महंगाई भत्ता घोषणा नहीं किये जाने (₹ 1,24.10 लाख) के कारण हुई। शेष कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2701-80.001.0275-आबियाना स्थापना	मूल पुनर्वि.	37,44.81 (-) 4,60.88	32,83.93	32,91.25	+ 7.32	₹ 4,60.88 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 4,63.88 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 63.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 4,00.88 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः शासन द्वारा महंगाई भत्ता घोषणा नहीं किये जाने (₹ 4,00.88 लाख) के कारण हुई। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2701-80.001.0101.0814- कार्यपालिक स्थापना (विद्युत यांत्रिकी)	मूल पुनर्वि.	20,43.39 (-) 3,68.08	16,75.31	16,93.80	+ 18.49	₹ 3,68.08 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 80.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 2,88.08 लाख) की प्रत्याशित बचत अंशतः शासन द्वारा महंगाई भत्ता घोषणा नहीं किये जाने एवं वार्षिक वेतन वृद्धि पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई (₹ 2,49.62 लाख)। शेष कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2701-80.001.0101.0815- कार्यपालिक स्थापना	मूल पुनर्वि.	3,97,17.35 (-) 50,05.42	3,47,11.93	3,41,84.95	(-) 5,26.98	₹ 50,05.42 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 21,20.52 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 28,84.90 लाख) की प्रत्याशित बचत अंशतः शासन द्वारा महंगाई भत्ता घोषणा नहीं किये जाने एवं वार्षिक वेतन वृद्धि पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई (₹ 24,90.15 लाख)। शेष कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2701-80.001.0101.3300- मण्डल स्थापना	मूल पुनर्वि.	42,51.41 (-) 8,69.17	33,82.24	33,50.18	(-) 32.06	₹ 8,69.17 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 8,76.17 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 8,69.17 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः शासन द्वारा महंगाई भत्ता घोषणा नहीं किये जाने एवं वार्षिक वेतन वृद्धि पर प्रतिबंध लगाये जाने (₹ 7,00.00 लाख) के कारण हुई। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2701-80.001.0101.3556- मुख्यालय स्थापना यूनिट—एक	मूल पुनर्वि.	90,51.07 (-) 14,29.33	76,21.74	75,85.09	(-) 36.65	₹ 14,29.33 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10.20 लाख की वृद्धि एवं ₹ 14,39.53 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,10.20 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 9,29.33 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः शासन द्वारा महंगाई भत्ता घोषणा नहीं किये जाने एवं वार्षिक वेतन वृद्धि पर प्रतिबंध लगाये जाने (₹ 5,73.48 लाख) के कारण हुई। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2701-80.052.0101.0693- औजार और संयंत्र	मूल पुनर्वि.	45,56.12 (-) 7,99.76	37,56.36	37,54.81	(-) 1.55	₹ 7,99.76 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,02.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 9,01.76 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,27.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 4,74.76 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः शासन द्वारा महंगाई भत्ता घोषणा नहीं किये जाने एवं वार्षिक वेतन वृद्धि पर प्रतिबंध लगाये जाने (₹ 4,25.36 लाख) के कारण हुई। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2701-80.799.0101.1051- स्टॉक	मूल	1,00.01	1,00.01	0.00	(-) 1,00.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2701-80.800.0101.2250- नहरें तथा तालाबें	मूल पुनर्वि.	1,05,99.71 (-) 20,35.05	85,64.66	85,13.71	(-) 50.95	₹ 20,35.05 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 20,50.05 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,10.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 15,40.05 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः शासन द्वारा महंगाई भत्ता घोषणा नहीं किये जाने एवं वार्षिक वेतन वृद्धि पर प्रतिबंध लगाये जाने (₹ 11,76.21 लाख) के कारण हुई। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2705-800.0701.3701- राज्य स्तर पर आयाकट सेल	मूल पुनर्वि.	9,73.98 1,25.52	10,99.50	6,98.80	(-) 4,00.70	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,25.52 लाख का प्रावधान में आवर्धन के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2700-33.101.0101.3300- मण्डल स्थापना	मूल पुनर्वि.	82.44 27.44	1,09.88	1,21.18	+ 11.30	₹ 27.44 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 22.56 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2700-33.101.0101.3556- मुख्यालय स्थापना यूनिट—एक	मूल पुनर्वि.	1,62.09 26.04	1,88.13	2,18.94	+ 30.81	₹ 26.04 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 40.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 13.96 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2700-36.101.0101.0815- कार्यपालिक स्थापना	मूल पुनर्वि.	2,40.90 46.40	2,87.30	2,87.20	(-) 0.10	₹ 46.40 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 65.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 18.60 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2701-80.800.0102.2250- नहरें तथा तालाबें	मूल पुनर्वि.	17,55.42 7,38.21	24,93.63	26,98.94	+ 2,05.31	₹ 7,38.21 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,00.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 1,61.79 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः शासन द्वारा महंगाई भत्ता घोषणा नहीं किये जाने, वार्षिक वेतन वृद्धि पर प्रतिबंध लगाये जाने एवं आहरण की तिमाही सीमा निर्धारित किये जाने (₹ 1,39.73 लाख) के कारण हुई। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2705-800.0701.5734- परियोजना प्रशासन जल संसाधन रीवा कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन प्रकोष्ठ रीवा	मूल	11.79	11.79	15.94	+ 4.15	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

(4) उचंत लेन-देन:—

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग (दत्तमत) में वर्ष 2020-21 के दौरान उचंत शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित किये गये हैं। उचन्त के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) में की गई हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उप-शीर्षों के अन्तर्गत लेखांकित उचंत लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:—

विवरण	1 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2021 को अंत शेष नामे + जमा(-)
2701—मध्यम सिंचाई		(₹ लाख में)		
(i) क्रय	(-) 23,09.78	0.00	0.00	(-) 23,09.78
(ii) भण्डार	+ 5,33.63	0.00	0.00	+ 5,33.63
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 37,59.12	0.00	0.00	+ 37,59.12
(iv) कार्यशाला उचंत	+ 6,64.04	0.00	0.00	+ 6,64.04
योग	+ 26,47.01	0.00	0.00	+ 26,47.01

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 18,34.16 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 3,35,00.06 लाख का अनुपूरक अनुदान, जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 1,75,00.06 लाख एवं मार्च 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 1,60,00.00 लाख अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 33,04.75 लाख का अभ्यर्पण, ₹ 18,34.16 लाख की उपलब्ध बचत से अधिक और अवास्तविक था।
- (7) यद्यपि ₹ 18,34.16 लाख की समग्र बचत कुल विनियोग के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उप शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुये हैं:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-01.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-) 48,66.00	1,34.00	2,08.14	+ 74.14	₹ 48,66.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 48,65.00 लाख + समर्पण के रूप ₹ 1.00 लाख) निर्माण कार्य की कम प्रगति एवं कम राशि के कारण हुई (₹ 48,66.00 लाख)। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-21.800.0101.6596- सुधार सुदृढीकरण एवं पुर्नस्थापना	मूल पुनर्वि.	7,50.00 (-) 6,76.20	73.80	73.48	(-) 0.32	₹ 6,76.20 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,72.70 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 3.50 लाख) निर्माण कार्य की कम प्रगति एवं कम राशि के कारण हुई (₹ 6,76.20 लाख)। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4700-56.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	22,29.00 (-) 17,75.90	4,53.10	0.00	(-) 4,53.10	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,75.90 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की कम प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4700-68.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	1,62,00.00 (-) 1,11,27.00	50,73.00	55,73.00	+ 5,00.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,11,27.00 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की कम प्रगति के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4700-78.800.0102.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	60,00.00 (-) 59,99.99	0.01	0.00	(-) 0.01	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 59,99.99 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की कम प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4700-78.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	1,25,00.00 (-) 1,05,60.00	19,40.00	0.00	(-) 19,40.00	₹ 1,05,60.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19,40.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,25,00.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी निर्माण कार्य की कम प्रगति के कारण हुई जबकि वृद्धि भूमि अधिग्रहण के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-B3.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-) 49,99.99	0.01	0.00	(-) 0.01	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 49,99.99 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की कम प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4700-B5.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-) 9,92.00	8.00	7.25	(-) 0.75	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,92.00 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की कम प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4700-B8.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	40,00.00 (-) 39,85.00	15.00	14.18	(-) 0.82	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 39,85.00 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की कम प्रगति एवं कार्य प्रारंभ न किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4700-C1.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	1,50,00.00 (-) 1,28,71.00	21,29.00	21,28.11	(-) 0.89	₹ 1,28,71.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,28,70.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 1.00 लाख) निर्माण कार्य की कम प्रगति एवं कार्य प्रारंभ न किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4700-C3.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	2,00,00.00 (-) 1,98,11.00	1,89.00	1,43.91	(-) 45.09	₹ 1,98,11.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,97,05.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 1,06.00 लाख) निर्माण कार्य की कम प्रगति कार्य प्रारंभ न किये जाने एवं कम राशि के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-C4.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	1,50,00.00 (-) 1,49,99.99	0.01	0.00	(-) 0.01	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,49,99.99 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की कम प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4701-62.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 49.99	0.01	0.00	(-) 0.01	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 49.99 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की कम प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4701-66.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	2,50.00 (-) 2,49.99	0.01	0.00	(-) 0.01	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,49.99 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की कम प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4701-80.800.0102.1913- हिरवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-) 16,50.05	3,49.95	3,49.95	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,50.05 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की कम प्रगति के कारण हुई।
4701-80.800.0102.3366- मध्यम परियोजनाओं निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-) 1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 99.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 1.00 लाख) निर्माण कार्य की कम प्रगति एवं कम राशि के कारण हुई।
4701-80.800.0101.0639- जूडी मध्यम सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	30,00.00 (-) 25,92.41	4,07.59	4,07.58	(-) 0.01	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25,92.41 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की कम प्रगति एवं संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4701-80.800.0101.0643- बघराजी नहर परियोजना	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-) 19,99.90	0.10	0.00	(-) 0.10	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19,99.90 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की कम प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4701-80.800.0101.1905- कैथ मध्य सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	30,00.00 (-) 29,99.99	0.01	0.00	(-) 0.01	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 29,99.99 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की कम प्रगति एवं संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4701-80.800.0101.5450- कान्था खेडी मध्यम सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-) 19,75.00	25.00	24.94	(-) 0.06	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19,75.00 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की कम प्रगति एवं संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4701-A4.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	23,90.32 (-) 23,90.31	0.01	0.00	(-) 0.01	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 23,90.31 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की कम प्रगति एवं कार्य प्रारंभ न किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4701-A9.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	40,00.00 (-) 36,59.00	3,41.00	3,40.74	(-) 0.26	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 36,59.00 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की कम प्रगति एवं कार्य प्रारंभ न किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4702-800.0103.3828- लघु सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	1,00,55.00 (-) 1,00,55.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00,55.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,00,49.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 6.00 लाख) निर्माण कार्य की कम प्रगति एवं कम राशि के कारण हुई।
4705-800.0701.6648- वृहद एवं मध्यम परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र विकास, फील्ड चैनल का निर्माण, करेक्सन आफ सिस्टम डिफिशियेंसी	मूल पुनर्वि.	22,60.00 (-) 15,90.00	6,70.00	4,45.00	(-) 2,25.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,90.00 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की कम प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4711-01.103.0101.5455- ग्वारीघाट से तिलवारा घाट तक घाटों का निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	20.00 (-) 19.99	0.01	0.00	(-) 0.01	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19.99 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की कम प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

(8) उपरोक्त टिप्पणी (7) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-01.800.0102.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	70,00.00 28,49.01	98,49.01	98,48.99	(-) 0.02	₹ 28,49.01 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 32,99.71 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 4,50.70 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी निर्माण कार्य की कम प्रगति एवं कम राशि के कारण हुई जबकि वृद्धि भूमि अधिग्रहण के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-13.800.0103.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	50,00.00 39,41.00	89,41.00	91,11.72	+ 1,70.72	₹ 39,41.00 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50,00.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 10,59.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी निर्माण कार्य की कम प्रगति एवं कम राशि के कारण हुई जबकि वृद्धि भूमि अधिग्रहण के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4700-18.800.1401.6596- सुधार सुदृढीकरण एवं पुनर्स्थापना	मूल पुनर्वि.	16,00.00 2,63.99	18,63.99	28,88.62	+ 10,24.63	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,63.99 लाख का आवर्धन निर्माण कार्य के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4700-35.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	32,99.92 16,50.00	49,49.92	49,49.69	(-) 0.23	₹ 16,50.00 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25,00.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 8,50.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी निर्माण कार्य की कम प्रगति जबकि वृद्धि निर्माण कार्य के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-50.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल	1,75,00.00	2,78,57.99	2,77,57.90	(-) 1,00.09	₹ 1,03,57.99 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,09,25.99 लाख की वृद्धि एवं ₹ 5,68.00 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,58.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 10.00 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी निर्माण कार्य की कम प्रगति एवं कम राशि जबकि वृद्धि निर्माण कार्य के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि.	1,03,57.99				
4700-79.800.0101.6596- सुधार सुदृढीकरण एवं पुनर्स्थापना	मूल	2,50.00	3,50.00	3,50.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,00.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी निर्माण कार्य की कम प्रगति जबकि वृद्धि निर्माण कार्य के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई।
	पुनर्वि.	1,00.00				
4700-83.800.0801.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	पूरक	25,00.00	70,00.00	45,00.00	(-) 25,00.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 45,00.00 लाख का आवर्धन निर्माण कार्य के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि.	45,00.00				
4700-84.800.1201.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल	5,50,00.00	7,66,60.26	8,18,77.88	+ 52,17.62	₹ 2,16,60.00 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,16,85.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 25.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी कम राशि जबकि वृद्धि निर्माण कार्य के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि.	2,16,60.26				

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-87.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	1,25,00.00 99,51.00	2,24,51.00	2,24,51.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 99,51.00 लाख निर्माण कार्य एवं भूमि अधिग्रहण के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई।
4700-B9.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	75,00.00 36,03.00	1,11,03.00	1,11,03.00	0.00	₹ 36,03.00 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 56,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 19,97.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी निर्माण कार्य की कम प्रगति जबकि वृद्धि निर्माण कार्य के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई।
4701-25.800.0102.3366- मध्यम परियोजनाओं निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	6,45.96 2,92.06	9,38.02	9,31.11	(-) 6.91	₹ 2,92.06 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 7.94 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई। कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4701-54.800.0102.3366- मध्यम परियोजनाओं निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	1,00.00 1,00.05	2,00.05	1,99.81	(-) 0.24	₹ 1,00.05 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,20.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 19.95 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई जबकि कमी निर्माण कार्य के कम प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4701-80.800.0101.1908- आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	60,00.00 28,03.00	88,03.00	88,02.99	(-) 0.01	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 28,03.00 लाख निर्माण कार्य के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4701-80.800.0101.3368- मध्यम सिंचाई निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	12,73.45 4,50.00	17,23.45	19,34.21	+ 2,10.76	₹ 4,50.00 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,60.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 2,10.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई जबकि कमी निर्माण कार्य के कम प्रगति एवं कम राशि के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4701-80.800.0101.5583- सेमरी तालाब	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-) 13.39	86.61	1,86.59	+ 99.98	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13.39 लाख निर्माण कार्य के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4701-95.800.0102.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	15,00.00 6,70.00	21,70.00	21,69.58	(-) 0.42	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,70.00 लाख निर्माण कार्य के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन समाप्त

(9) उचंत लेन-देन:-

इस अनुदान के पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग में "उचंत" के अंतर्गत 2020-21 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। "उचंत" के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) में की गई हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उप शीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अन्तशेषों सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	1 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2021 को अंत शेष नामे + जमा (-)
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (लाख ₹ में)				
(i) क्रय	(-) 22,89.29	0.00	0.00	(-)22,89.29
(ii) भण्डार	+ 40,22.86	0.00	0.00	+ 40,22.86
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 11,87.16	0.00	0.00	+ 11,87.16
(iv) कार्यशाला उचंत	(-) 2,11.06	0.00	0.00	(-)2,11.06
योग	+ 27,09.67	0.00	0.00	+ 27,09.67
4801—विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
(i) क्रय	(-)12.92	0.00	0.00	(-)12.92
(ii) भण्डार	+ 62.67	0.00	0.00	+ 62.67
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 12.74	0.00	0.00	+ 12.74
(iv) कार्यशाला उचंत	+ 2.22	0.00	0.00	+ 2.22
योग	+ 64.71	0.00	0.00	+ 64.71

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल

(मुख्य शीर्ष- 3053-नागर विमानन, 3054-सड़कें तथा सेतु, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 5054-सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	11,58,13,89			
पूरक	1,21,00,00	12,79,13,89	10,72,59,69	(-) 2,06,54,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	50,09,52,06			
पूरक	4,18,00,00	54,27,52,06	53,95,52,81	(-) 31,99,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,55,00,00			
पूरक	0	2,55,00,00	12,35,94	(-) 2,42,64,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,30,00,00

अनुदान संख्या 24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2021 में प्राप्त ₹ 1,21,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,06,54.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3054-01.337.0701.0134- अनुरक्षण और मरम्मत- साधारण मरम्मत	पूरक	25,00.00	25,00.00	5,13.73	(-) 19,86.27	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
3054-03.337.0101.0134- अनुरक्षण और मरम्मत- साधारण मरम्मत	मूल पुनर्वि.	14,47.59 5,00.00	19,47.59	6,05.67	(-) 13,41.92	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 5,00.00 लाख का आवर्धन वर्षा ऋतु के बाद सड़क की मरम्मत के लिये राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
3054-04.337.0103.0134- अनुरक्षण और मरम्मत- साधारण मरम्मत	मूल पूरक	6,00.00 8,00.00	14,00.00	12,37.00	(-) 1,63.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
3054-04.337.0102.0134- अनुरक्षण और मरम्मत- साधारण मरम्मत	मूल पूरक	91,88.85 8,00.00	99,88.85	81,27.61	(-) 18,61.24	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3054-04.337.0101.0134- अनुरक्षण और मरम्मत- साधारण मरम्मत	मूल पूरक पुनर्वि.	7,03,34.45 15,00.00 (-) 40,00.00	6,78,34.45	5,54,05.20	(-) 1,24,29.25	₹ 40,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 65,00.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वर्षा ऋतु के बाद सड़क की मरम्मत के लिये राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
3054-04.800.0103.7081- मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	मूल	12,00.00	12,00.00	8,67.34	(-) 3,32.66	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
3054-80.001.2418- निष्पादन	मूल	60,45.56	60,45.56	51,86.85	(-) 8,58.71	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
3054-80.001.3300- मण्डल स्थापना	मूल	27,38.04	27,38.04	22,71.52	(-) 4,66.52	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
3054-80.001.3561- मुख्यालय स्थापना	मूल पुनर्वि.	66,64.40 (-) 8,95.00	57,69.40	46,49.34	(-) 11,20.06	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,95.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3054-03.337.0101.0134- अनुरक्षण और मरम्मत- साधारण मरम्मत	मूल	20,00.00	43,95.00	43,97.66	+ 2.66	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,95.00 लाख का आवर्धन के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
	पूरक	15,00.00				
	पुनर्वि.	8,95.00				
3054-04.800.0101.7081- मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	मूल	1,05,00.00	1,90,00.00	1,90,51.54	+ 51.54	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 35,00.00 लाख का आवर्धन वर्षा ऋतु के बाद सड़क की मरम्मत के लिये राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
	पूरक	50,00.00				
	पुनर्वि.	35,00.00				

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 31,99.25 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, ₹ 4,18,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान जनवरी 2021 (₹ 1,68,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया एवं मार्च (₹ 2,50,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 31,99.25 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(7) केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता:-

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्प्रीट पर उत्पादन शुल्क तथा आयात कर की प्राप्तियों में से किया जाता है। इस निधि से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास की योजनाओं पर व्यय हेतु राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान के अंतर्गत जमा की जाती है और उसके समतुल्य राशि "3054-सड़कें तथा पुल-800 'अन्य व्यय", जिसके लिए अनुदान संख्या 24 "लोक निर्माण कार्य सड़कें एवं पुल में प्रावधान किया गया है, के नामे डालकर जमा लेखा "8449"-अन्य जमा केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता को अंतरित कर दी जाती है।

वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि से ₹ 5,35,13.00 लाख (₹ 73,93.00 लाख + ₹ 4,61,20.00 लाख) का अनुदान प्राप्त हुआ जिसे व्यय शीर्ष 3054 के माध्यम से जमा लेखे 8449 में हस्तान्तरित नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा व्यय शीर्ष 5054 से ₹ 4,78,91.20 लाख व्यय किया गया।

अनुदान संख्या 24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल समाप्त

प्रभारित

- (8) ₹ 2,42,64.06 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 2,30,00.00 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (9) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5053-02.102.0101.3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-) 5,00.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
5054-80.800.0103.3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	मूल पुनर्वि.	42,50.00 (-) 42,46.40	3.60	3.60	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 42,46.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
5054-80.800.0102.3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	मूल पुनर्वि.	55,00.00 (-) 53,44.49	1,55.51	1,39.63	(-) 15.88	समर्पण के रूप में ₹ 53,44.49 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
5054-80.800.0101.3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	मूल पुनर्वि.	1,52,50.00 (-) 1,34,09.11	18,40.89	10,92.71	(-) 7,48.18	समर्पण के रूप में ₹ 1,34,09.11 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 25—खनिज साधन

(मुख्य शीर्ष—2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 4853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	47,76,12			
पूरक	1,20,00	48,96,12	40,33,56	(-) 8,62,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,50,05,00			
पूरक	0	7,50,05,00	7,19,44,00	(-) 30,61,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	9,00,01			
पूरक	0	9,00,01	77,56	(-) 8,22,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 25—खनिज साधन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 1,20.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 8,62.56 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2853-02.001.0101.2294- संचालनालय की स्थापना	मूल पूरक	31,93.99 1,20.00	33,13.99	26,20.64	(-) 6,93.35	इस शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में समान राशि (₹ 2.80 लाख प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि दर्ज हुई। कमी संभावित बचत के कारण एवं वृद्धि वरिष्ठ कार्यालय भोपाल, चार क्षेत्रीय कार्यालय एवं 52 जिला खनिज शाखा के शासकीय वाहनों के पेट्रोल एवं डीजल के बिलों के भुगतान करने के कारण हुई। बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

प्रभारित

- (4) ₹ 30,61.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 8,22.45 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4853-01.004.0420.2713- प्रयोगशाला स्थापना	मूल	99.94	99.94	37.73	(-) 62.21	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 25—खनिज साधन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4853-01.800.0420.0182- खनिजों का सर्वेक्षण	मूल	8,00.01	8,00.01	39.83	(-) 7,60.18	अत्याधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2205-कला एवं संस्कृति, 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,31,58,29			
पूरक	10,00,00	1,41,58,29	1,28,98,98	(-) 12,59,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				6,91,91

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,00			
पूरक	0	2,00	0	(-) 2,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	21,95,04			
पूरक	0	21,95,04	17,64,59	(-) 4,30,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				10,42

अनुदान संख्या 26—संस्कृति जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2021 (₹ 5,00.00 लाख) एवं मार्च 2021 (₹ 5,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 10,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 12,59.31 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 6,91.91 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-03.103.7043-जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरने हेतु अनुदान	मूल	1,15.00	1,15.00	39.80	(-) 75.20	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2021)।
2202-03.103.7981-ललित कला संस्था	मूल	3,09.26	3,09.26	2,58.91	(-) 50.35	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2021)।
2202-03.103.7982-संगीत महाविद्यालय	मूल	8,54.74	8,54.74	6,70.58	(-) 1,84.16	इस शीर्ष में पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (₹ 1.50 लाख प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी संभावित बचत के कारण एवं वृद्धि कम बजट होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2205-102.6379-संस्कृति संचालनालय का स्थापना व्यय	मूल	2,85.54	2,85.54	2,15.57	(-) 69.97	इस शीर्ष में पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (₹ 14.72 लाख प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी संभावित बचत के कारण एवं वृद्धि कम बजट होने एवं वाहन खरीद मद में राशि की कमी होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2205-102.8458-स्वराज भवन	मूल पुनर्वि.	2,21.29 (-) 69.63	1,51.66	1,54.63	+ 2.97	₹ 69.63 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोग ₹ 66.63 लाख + समर्पण ₹ 3.00 लाख) व्यय न होने के कारण हुई (₹ 66.63 लाख)। शेष राशि ₹ 3.00 लाख के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2205-103.2304-निदेशन एवं प्रशासन	मूल पुनर्वि.	14,63.49 (-) 2,53.47	12,10.02	12,11.81	+ 1.79	₹ 2,53.47 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 3,55.05 लाख (समर्पण ₹ 2,63.47 लाख + पुनर्विनियोग ₹ 91.58 लाख) की कमी एवं ₹ 1,01.58 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण बिल प्राप्त न होने, कोविड-19 के कारण प्रशिक्षण का आयोजन नहीं होना, वास्तविक व्यय, मांग प्राप्त न होना एवं कोविड के कारण कार्य पूर्ण नहीं होना था। वृद्धि का कारण विभिन्न विस्तृत शीर्ष कोषालय सर्वर में उपलब्ध न होने के कारण वेतन बिलों के भुगतान, 12-000 से किया गया, त्यौहार अग्रिम योजना के अंतर्गत त्यौहार अग्रिम का भुगतान, गणतंत्र दिवस की झांकी तैयार करने के भुगतान, संग्रहालय ओरछा, भोपाल एवं पन्ना में प्रदर्शनी के लंबित बिलों के भुगतान करना था. अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2205-107.0101.4283-संग्रहालय	मूल पुनर्वि.	10,74.51 (-) 1,12.16	9,62.35	9,66.36	+ 4.01	₹ 1,12.16 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 1,47.66 लाख की कमी एवं ₹ 35.50 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि का कारण कर्मचारियों को त्यौहार अग्रिम की राशि स्वीकृत करने एवं संग्रहालय रामवन में कार्यरत होमगार्ड के वेतन भुगतान तथा त्रीवेणी संग्रहालय के कर्मचारियों के वेतन बिलों के भुगतान करना था. कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3454-02.110.0101.6041- जिला विचरणिका पुनरीक्षण	मूल पुनर्वि.	94.97 (-) 24.99	69.98	48.05	(-) 21.93	₹ 24.99 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 32.22 लाख (समर्पण ₹ 0.22 लाख + पुनर्विनियोग ₹ 32.00 लाख) की कमी एवं ₹ 7.23 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि का कारण कम बजट होना था। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 4,30.45 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को ₹ 10.42 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-04.800.0701.7721- टैगोर कला केन्द्रों की स्थापना	मूल	6,00.00	6,00.00	5,01.12	(-) 98.88	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-04.800.0101.0749- वेदान्त पीठ की स्थापना	मूल	25.00	25.00	0.00	(-) 25.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-04.800.0101.7067- संस्कृत भवन का निर्माण	मूल	1,25.00	1,25.00	0.00	(-) 1,25.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2021)।
4202-04.800.0101.7982- संगीत महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	5,00.00 (-) 3,99.00	1,01.00	29.99	(-) 71.01	₹ 3,99.00 लाख की प्रत्याशित बचत सभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति समाप्त

- (6) उपरोक्त टिप्पणी (5) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-04.800.0701.6941- रविन्दर भवन परिसर का उन्नयन	मूल पुनर्वि.	5,00.00 3,99.00	8,99.00	7,98.88	(-) 1,00.12	₹ 3,99.00 लाख की निधि के आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा
(प्रारंभिक शिक्षा)

(मुख्य शीर्ष— 2202-सामान्य शिक्षा, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:
दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,77,02,97,33			
पूरक	8,56,41,00	1,85,59,38,33	1,75,88,07,40	(-) 9,71,30,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				62,46,58

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,00			
पूरक	0	2,00	50	(-) 1,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,50

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,90,00,01			
पूरक	0	3,90,00,01	3,45,37,22	(-) 44,62,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				44,62,79

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2021 (₹ 7,88,41.00 लाख) एवं मार्च 2021 (₹ 68,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 8,56,41.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 9,71,30.93 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को ₹ 62,46.58 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.101.0702.5330- समग्र शिक्षा अभियान	मूल पूरक पुनर्वि.	8,86,66.66 1,98,00.00 (-) 12,30.97	10,72,35.69	7,29,25.80	(-) 3,43,09.89	₹ 12,30.97 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में राशि का आहरण केन्द्रीय क्षेत्रीय निधि के अनुसार किए जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-01.101.0103.3491- माध्यमिक शालाएं	मूल	4,45,18.12	4,45,18.12	1,97,38.97	(-) 2,47,79.15	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2202-01.101.0103.4396- सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना	मूल	9,90,40.41	9,90,40.41	1,37,43.29	(-) 8,52,97.12	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2202-01.101.0102.3491- माध्यमिक शालाएं	मूल	6,39,16.67	6,39,16.67	2,39,16.37	(-) 4,00,00.30	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2202-01.101.0102.4396- सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना	मूल	14,23,70.59	14,23,70.59	1,55,82.53	(-) 12,67,88.06	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2202-01.101.0101.0729- स्काउट गाईड गतिविधियां	मूल पुनर्वि.	80.00 (-) 80.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में कोरोना महामारी के दौरान शालाओं को न खोले जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2202-01.101.0101.0730- माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-) 1,00.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में कोरोना महामारी के कारण शालाओं को न खोले जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-01.102.0803.6344- मदरसों में गुणवत्ता परख शिक्षा एवं अद्योसंरचनात्मक विकास	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-) 1,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-01.102.0802.6344- मदरसों में गुणवत्ता परख शिक्षा एवं अद्योसंरचनात्मक विकास	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-) 1,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-01.108.0103.2267- निःशुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	1,00.64 (-) 1,00.64	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में कोरोना महामारी के दौरान शालाओं को न खोले जाने के कारण हुई।
2202-01.108.0102.2267- निःशुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	1,44.67 (-) 1,44.67	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में कोरोना महामारी के दौरान शालाओं को न खोले जाने के कारण हुई।
2202-01.108.0101.2267- निःशुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	3,83.69 (-) 3,83.69	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में कोरोना महामारी के दौरान शालाओं को न खोले जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-02.101.0101.1233- वर्तमान शालाओं को शालाओं को अंग्रेजी माध्यम की शालाओं में उन्नयन	मूल पुनर्वि.	60.00 (-) 60.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में कोरोना महामारी के दौरान शालाओं को न खोले जाने के कारण हुई।
2202-02.105.0703.7657- पढ़ना लिखना अभियान	पूरक पुनर्वि.	1,48.20 (-) 1,48.20	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
2202-02.105.0702.7657- पढ़ना लिखना अभियान	पूरक पुनर्वि.	79.29 (-) 79.29	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
2202-02.105.0701.7657- पढ़ना लिखना अभियान	पूरक पुनर्वि.	5,13.51 (-) 5,13.51	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
2202-03.103.0101.2071- राजा राम मोहन राय लायब्रेरी	मूल पुनर्वि.	80.00 (-) 80.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में कोरोना महामारी के दौरान शालाओं को न खोले जाने के कारण हुई।
2202-03.103.0101.7616- शालाओं में मुल्यांकन	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-) 1,00.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में कोरोना महामारी के दौरान शालाओं को न खोले जाने के कारण हुई।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.101.0701.1502- जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्था—मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये	मूल पुनर्वि.	16,47.63 3,83.34	20,30.97	20,63.91	+ 32.94	₹ 3,83.34 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,24.67 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 41.33 लाख की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि वार्षिक बजट में ऋणात्मक शेष एवं स्वीकृत कार्य हेतु आवश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2202-01.101.0701.5330- समग्र शिक्षा अभियान	मूल पूरक	13,90,00.00 3,29,00.00	17,19,00.00	25,39,83.93	+ 8,20,83.93	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2019-20 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2202-01.101.0101.3491- माध्यमिक शालाएं	मूल	36,04,74.33	36,04,74.33	40,33,46.46	+ 4,28,72.13	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2202-01.101.0101.4396- सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना	मूल	68,30,38.16	68,30,38.16	80,88,44.78	+ 12,58,06.62	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2019-20 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2202-01.102.0801.6344- मदरसों में गुणवत्तापरख शिक्षा एवं अधोसंरचनात्मक विकास	मूल	1,00.00	1,00.00	4,00.56	+ 3,00.56	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 44,62.79 लाख की उपलब्ध संपूर्ण बचत, 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.201.0702.5330-समग्र शिक्षा अभियान	मूल	77,05.00	77,05.00	54,11.87	(-) 22,93.13	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.201.0103.2068-प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास	मूल पुनर्वि.	6,40.00 (-) 6,40.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में आवश्यकता अनुसार आहरण किए जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.201.0103.5658-छात्रावास भवन निर्माण एवं अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास	मूल पुनर्वि.	1,60.00 (-) 1,60.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में आवश्यकता अनुसार आहरण किए जाने के कारण हुई।
4202-01.201.0102.2068-प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास	मूल पुनर्वि.	9,20.00 (-) 3,98.44	5,21.56	0.00	(-) 5,21.56	₹ 3,98.44 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में आवश्यकता अनुसार आहरण किए जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.201.0102.5658-छात्रावास भवन निर्माण एवं अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास	मूल पुनर्वि.	2,30.00 (-) 2,30.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में आवश्यकता अनुसार आहरण किए जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.201.0101.2068-प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास	मूल पुनर्वि.	24,40.00 (-) 24,40.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में आवश्यकता अनुसार आहरण किए जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.201.0101.5658-छात्रावास भवन निर्माण एवं अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास	मूल पुनर्वि.	6,10.00 (-) 4,40.86	1,69.14	1,69.14	0.00	₹ 4,40.86 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में आवश्यकता अनुसार आहरण किए जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) समाप्त

- (7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.201.0701.5330- समग्र शिक्षा अभियान	मूल	2,04,35.00	2,04,35.00	2,31,81.91	+ 27,46.91	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मण्डल

(मुख्य शीर्ष- 2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	97,62,28			
पूरक	0	97,62,28	80,22,25	(-) 17,40,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				17,28,81

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	65,21			
पूरक	0	65,21	26,85	(-) 38,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				37,56

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 17,40.03 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 17,28.81 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2011-02.101.4007- विधायक	मूल पुनर्वि.	45,99.27 (-) 10,73.43	35,25.84	35,27.42	+ 1.58	₹ 10,73.43 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 10,73.43 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 0.19 लाख) वास्तविक व्यय एवं सहायता अनुदान के तहत ब्याज अनुदान के लिए सरकारी आदेश जारी न होने के कारण। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मण्डल समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2011-02.101.6110- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता प्रतिपक्ष की निजी स्थापना	मूल पुनर्वि.	4,74.65 (-) 1,47.20	3,27.45	3,27.37	(-) 0.08	₹ 1,47.20 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,47.40 लाख की कमी (समर्पण ₹ 1,32.40 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 15.00 लाख) और ₹ 0.19 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण वास्तविक व्यय एवं पद रिक्त रहने के कारण हुई, जबकि वृद्धि का कारण मूल बजट में प्रावधान न होना था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2021)।
2011-02.101.6801- माननीय विधायकों के लेपटॉप का क्रय	मूल पुनर्वि.	75.00 (-) 49.56	25.44	25.44	0.00	₹ 49.56 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में माननीय विधायकों द्वारा लेपटॉप क्रय न करने के कारण हुई।
2011-02.103.4312- संसदीय कार्य विभाग	मूल पुनर्वि.	2,48.14 (-) 40.86	2,07.28	2,06.97	(-) 0.31	₹ 40.86 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में संभावित बचत, पद रिक्त रहने एवं वेतन एवं डी.ए की वृद्धि पर रोक लगने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2021)।

प्रभारित

- (3) ₹ 38.36 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 37.56 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2011-02.101.0125- अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते	मूल पुनर्वि.	65.01 (-) 37.56	27.45	26.85	0.60	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य

(मुख्य शीर्ष- 2014-न्याय प्रशासन, 2015-निर्वाचन, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियाँ अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास कार्य पर पूंजीगत परिव्यय एवं 7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	16,93,68,04			
पूरक	7,00,01	17,00,68,05	12,63,36,52	(-) 4,37,31,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				4,22,13,74

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,70,41,59			
पूरक	0	1,70,41,59	1,25,03,29	(-) 45,38,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				44,06,14

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,20,00,02			
पूरक	0	2,20,00,02	1,49,21,72	(-) 70,78,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, ₹ 7,00.01 लाख का अनुपूरक अनुदान जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य जारी

- (2) ₹ 4,37,31.53 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को ₹ 4,22,13.74 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-103.0701.9634- पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत फास्टट्रेक कोर्ट की स्थापना	मूल पूरक पुनर्वि.	32,77.07 टोकन (-) 19,69.14	13,07.94	12,77.01 (-) 30.93	₹ 19,69.14 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किए जाने के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2014-105.1487- स्केनिंग तथा अंकीकरण	मूल पुनर्वि.	1,80.00 (-) 36.00	1,44.00	90.00 (-) 54.00	₹ 36.00 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किए जाने के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2014-105.4497- सामान्य स्थापना	मूल पुनर्वि.	9,60,82.16 (-) 2,23,67.34	7,37,14.82	7,28,14.02 (-) 9,00.80	₹ 2,23,67.34 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 2,41,87.04 लाख की कमी (समर्पण ₹ 2,23,67.34 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 18,19.70 लाख) एवं ₹ 18,19.70 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण संभावित बचत, रिक्त पद, दूसरे न्यायिक वेतन आयोग की रिपोर्ट/सिफारिशें लागू नहीं किए जाने एवं कोविड-19 के कारण केवल अति आवश्यक प्रकरणों को आनलाईन सुने जाने के कारण हुई। जबकि वृद्धि का कारण अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई मांग को पूरा करने, विशेष त्यौहार अग्रिम स्वीकृत करने, सम्पत्ति कर के भुगतान, न्यायिक भवन उमरिया के उपयोगिता शुल्क, जिला न्यायालय की स्थापना, व्यवहार न्यायालय क्लास 1 एवं 2 के किराया भुगतान। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 29-विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-105.5446-अधीनस्थ न्यायालयों के आवास गृहों का अनुरक्षण कार्य	मूल	1,78.40	1,78.40	66.71	(-) 1,11.69	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2014-105.6020-ग्राम न्यायालय	मूल पुनर्वि.	37,88.15 (-) 12,42.03	25,46.12	25,05.20	(-) 40.92	₹ 12,42.03 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 12,96.53 लाख की कमी (समर्पण ₹ 12,42.03 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 54.50 लाख) एवं ₹ 54.50 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण संभावित बचत, 031-अंतरिम राहत का व्यय 18-001 से किए जाने एवं सातवें वेतन आयोग के लाभ नहीं दिए जाने के कारण हुई। वृद्धि का कारण कम बजट एवं सम्पत्तुरी भत्ते में अधिक आवश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2014-105.6211-केन्द्रीय जांच ब्यूरो हेतु गठित विशेष न्यायालय	मूल पुनर्वि.	7,98.53 (-) 4,93.02	3,05.51	2,96.56	(-) 8.95	₹ 4,93.02 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 5,00.02 लाख की कमी (समर्पण ₹ 4,93.02 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 7.00 लाख) एवं ₹ 7.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण संभावित बचत एवं सातवें वेतन आयोग के लाभ नहीं दिए जाने के कारण हुई। वृद्धि का कारण मकान किराए एवं विशेष त्यौहार अग्रिम के भुगतान किए जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2014-105.8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-) 6,91.70	13,08.30	13,08.30	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 6,91.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2014-105.0101.1486-स्टेक होल्डर की सुविधाओं का उन्नयनीकरण	मूल पुनर्वि.	2,50.00 (-) 2,50.00	0.00	0.00	0.00	प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2014-105.0101.2450-न्याय प्रशासन	मूल	2,18.50	2,18.50	97.03	(-) 1,21.47	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-105.0101.9065- अधीनस्थ कार्यालय के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	9,00.00 (-) 4,36.59	4,63.41	4,63.41	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 4,36.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2014-114.6251- उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय के अभिभाषकों की फीस एवं अन्य भुगतान	मूल पुनर्वि.	1,16.00 (-) 71.12	44.88	45.06	+ 0.18	समर्पण के रूप में ₹ 71.12 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2015-105.4311- संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार	मूल पुनर्वि.	47,80.14 (-) 27,38.06	20,42.08	20,42.85	+ 0.77	₹ 27,38.06 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 27,71.06 लाख की कमी (समर्पण ₹ 17,35.56 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 10,35.50 लाख) एवं ₹ 33.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि/कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2052-090-0101-9066- विधि विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	2,25.00 (-) 85.90	1,39.10	1,39.09	(-) 0.01	समर्पण के रूप में ₹ 85.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2052-800.1950- राज्य विधि आयोग का पुनर्गठन	मूल पुनर्वि.	2,74.94 (-) 2,14.40	60.54	60.23	(-) 0.31	समर्पण के रूप में ₹ 2,14.40 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2235-60.200.0102.5136- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुदान	मूल पुनर्वि.	1,40.00 (-) 1,17.71	22.29	22.29	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,17.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2235-60.200.0101.5104- स्थायी लोक अदालत	मूल पुनर्वि.	90.00 (-) 78.90	11.10	11.09	0.01	समर्पण के रूप में ₹ 78.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 29-विधि और विधायी कार्य जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2015-102.1304- एजुकेशन तथा इलेक्ट्रॉल पार्टिसिपेशन (स्वीप)	मूल	6,05.00	14,60.68	14,60.93	+ 0.25	₹ 2,55.68 लाख की निधियों को आवर्धन प्रावधान में ₹ 18,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 15,44.32 लाख की कमी का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
	पूरक	6,00.00				
	पुनर्वि	2,55.68				

प्रभारित

- (5) ₹ 45,38.30 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को ₹ 44,06.14 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-102.0573- उच्च न्यायालय (प्रभारित)	मूल	1,52,64.59	1,19,43.56	1,18,20.08	(-) 1,23.48	₹ 33,21.03 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 35,64.23 लाख की कमी (समर्पण ₹ 33,21.03 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 2,43.20 लाख) एवं ₹ 2,43.20 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण संभावित बचत, रिक्त पद, दूसरे न्यायिक वेतन आयोग की रिपोर्ट/सिफारिशें लागू नहीं किए जाने एवं कोविड-19 के कारण केवल अति आवश्यक प्रकरणों को आनलाईन सुने जाने के कारण हुई। जबकि वृद्धि का कारण विशेष त्यौहार अग्रिम का भुगतान, अनुसंधान सहायकों को मानदेय एवं म.प्र राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर में निदेशक रीट्रीट का आयोजन किए जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षन्तर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पुनर्वि.	(-) 33,21.03				

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-102.7702- उच्च न्यायालय में कम्प्यूटराईजेशन	मूल पुनर्वि.	11,60.00 (-) 6,50.36	5,09.64	5,09.64	0.00	₹ 6,50.36 लाख की प्रत्याशित बचत विनियोग में ₹ 1,20.53 लाख की कमी (समर्पण ₹ 1,15.93 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 4.60 लाख) एवं ₹ 4.60 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण संभावित बचत था, जबकि वृद्धि का कारण विशेष त्यौहार अग्रिम के भुगतान किया जाना था।
2014-102.0101.0573- उच्च न्यायालय (प्रभारित)	मूल पुनर्वि.	6,00.00 (-) 4,18.00	1,82.00	1,73.32	(-) 8.68	₹ 4,18.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2015-106.4006- राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार	मूल पुनर्वि.	17.00 (-) 16.74	0.26	0.26	0.00	₹ 16.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (7) ₹ 70,78.30 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 0.01 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.9074- उच्च न्यायालय का भवन एवं आवासीय परिसर का निर्माण	मूल	18,60.00	18,60.00	0.00	(-) 18,60.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4059-01.051.0101.9511- म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी का भवन निर्माण	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-) 5,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 29-विधि और विधायी कार्य समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4216-01.106.0701.6222- न्याय प्रशासन (स्टाफ के आवासगृहों का निर्माण)	मूल	60,00.00	60,00.00	34,72.07	(-) 25,27.93	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4216-01.106.0101.9074- उच्च न्यायालय का भवन एवं आवासीय परिसर का निर्माण	मूल	10,00.00	10,00.00	1,19.97	(-) 8,80.03	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास

(मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2216-आवास, 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505-ग्रामीण रोजगार, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 3054-सड़क तथा सेतु, 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	9,30,80,51			
पूरक	0	9,30,80,51	8,75,47,49	(-) 55,33,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (25 एवं 31 मार्च 2021)				36,25,71

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,81			
पूरक	0	6,81	0	(-) 6,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (25 एवं 31 मार्च 2021)				1,81

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	28,67,96,04			
पूरक	0	28,67,96,04	27,86,94,65	(-) 81,01,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				64,69,81

अनुदान संख्या 30-ग्रामीण विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 55,33.02 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 25 एवं 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 36,25.71 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-001.0101.1033- विकास खण्ड कार्यालय	मूल पुनर्वि.	1,18,57.42 (-) 27,33.21	91,24.21	91,30.55	+ 6.34	₹ 27,33.21 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 15,47.85 लाख समर्पण + ₹ 11,85.36 लाख पुनर्विनियोजन) कम मांग के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2515-800.0101.1208- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	मूल पुनर्वि.	1,63,29.50 (-) 4.97	1,63,24.53	1,45,34.30	(-) 17,90.23	₹ 4.97 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

- (3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2505-01.702.0101.6930- म.प्र. ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद	मूल पुनर्वि.	1,98.14 3,71.86	5,70.00	5,70.00	0.00	₹ 3,71.86 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य गारंटी परिषद में पदस्थ कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु किया गया।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-001.0103.1033- विकास खण्ड कार्यालय	मूल	11,79.42	14,00.19	13,96.70	(-) 3.49	₹ 2,20.77 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,19.01 लाख की वृद्धि एवं ₹ 98.24 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अधिक मांग एवं कमी कम मांग के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि.	2,20.77				
2515-001.0102.1033- विकास खण्ड कार्यालय	मूल	18,20.55	21,36.05	21,37.79	+ 1.74	₹ 3,15.50 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,65.16 लाख की वृद्धि एवं ₹ 49.66 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अधिक मांग एवं कमी कम मांग के कारण हुई।
	पुनर्वि.	3,15.50				

पूंजीगत:

दत्तमत

(4) ₹ 81,01.39 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को ₹ 64,69.81 लाख अभ्यर्पित किये गये।

अनुदान संख्या 31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी

(मुख्य शीर्ष- 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	99,08,45			
पूरक	6,00,00	1,05,08,45	79,40,50	(-) 25,67,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,38

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	0	(-) 1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 25,67.95 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जनवरी 2021 प्राप्त किया गया ₹ 6,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 25,67.95 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 1.38 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3451-101.3686-राज्य योजना मण्डल	मूल	4,78.02	4,78.02	3,06.64	(-) 1,71.38	इस शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में समान राशि (₹ 1.30 लाख प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि दर्ज हुई। कमी/वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20, 2018-19, एवं 2017-18 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
3451-101.0101.5612-विकेन्द्रीकृत योजना का सुदृढीकरण	मूल	1,02.02	1,02.02	0.96	(-) 1,01.06	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20, 2018-19, एवं 2017-18 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
3451-101.0101.7613-प्रदेश में क्रियान्वित परियोजनाओं की मानिट्रिंग, सलाहकार सेवाएं, नवाचार, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मूल	10,94.28	10,94.28	49.93	(-) 10,44.35	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20, 2018-19, एवं 2017-18 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
3454-02.001.8048-आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	मूल पुनर्वि.	66,27.18 (-) 1.38	66,25.80	54,56.88	(-) 11,68.92	₹ 1.38 लाख (समर्पण) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
3454-02.201.0512-राज्य सेम्पल सर्वेक्षण	मूल	64.65	64.65	1.10	(-) 63.55	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 32—जनसंपर्क

(मुख्य शीर्ष- 2013-मंत्रिपरिषद, 2015-निर्वाचन, 2029-मू-राजस्व, 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2041-वाहन कर, 2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2051-लोक सेवा आयोग, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन, 2054-खजाना और लेखा प्रशासन, 2055-पुलिस, 2056-जेल, 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2202-सामान्य शिक्षा, 2203-तकनीकी शिक्षा, 2205-कला एवं संस्कृति, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2217-शहरी विकास, 2220-सूचना तथा प्रचार, 2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 2401-फसल कृषि कर्म, 2403-पशु पालन, 2405-मछली उद्योग, 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन, 2425-सहकारिता, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2701-मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई, 2810- नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 3054-सड़क तथा सेतु, 3452-पर्यटन, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4220-सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,45,36,94			
पूरक	5,00,00	3,50,36,94	3,30,94,40	(-) 19,42,54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10			
पूरक	0	10	0	(-) 10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 32— जनसंपर्क जारी

पूँजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,00,00			
पूरक	0	5,00,00	53,82	(-) 4,46,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 5,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 19,42.54 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2220-01.001.2304- निर्देशन एवं प्रशासन	मूल 96,15.63	96,15.63	86,68.61	(-) 9,47.02	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2220-01.001.8688- मध्यप्रदेश सूचना केन्द्र नई दिल्ली	मूल 1,57.74	1,57.74	92.89	(-) 64.85	प्रावधान में समान राशि (₹ 4.00 लाख) की वृद्धि एवं कमी की गई। कमी का कारण विस्तृत शीर्ष-001 वेतन में संभावित बचत होना था। जबकि, वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)
2220-60.101.0103.5621- जनहितकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार	मूल 1,49.26	1,49.26	50.30	(-) 98.96	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 32— जनसंपर्क समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2220-60.101.0102.5621-	मूल	1,34.54	1,34.54	69.64	(-) 64.90	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
जनहितकारी योजनाओं का प्रचार—प्रसार						
2220.60.106.7660-	पूरक	5,00.00	5,00.00	0.00	(-) 5,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
कार्यक्रम आयोजन एवं प्रबंधन						

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 4,46.18 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4220-60.101.0101.0684-	मूल	5,00.00	5,00.00	53.82	(-) 4,46.18	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
कार्यालय भवन निर्माण						

अनुदान संख्या 33-जनजातीय कार्य

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	78,62,99,09			
पूरक	20,88,00	78,83,87,09	61,94,50,09	(-) 16,89,37,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				17,48,14,45

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,00			
पूरक	0	5,00	0	(-) 5,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				5,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,98,78,50			
पूरक	12,25,20	11,11,03,70	6,64,32,01	(-) 4,46,71,69
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				5,97,47,91

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 20,88.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 31 मार्च 2021 को ₹ 17,48,14.45 लाख का समर्पण, ₹ 16,89,37.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध अधिक एवं अवास्तविक था।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.101.0102.2773- प्राथमिक शालाएं	मूल	28,22,53.48	19,09,27.39	19,12,65.89	+ 3,38.50	₹ 9,13,26.09 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 9,13,47.79 लाख की कमी (समर्पण ₹ 5,77,93.60 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 3,35,54.19 लाख) एवं ₹ 21.70 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वेतन वृद्धि का भुगतान नहीं किए जाने, संभावित बचत, कोषालय द्वारा बिल पारित नहीं किए जाने एवं अन्य विस्तृत शीर्ष में शामिल किए जाने, यात्रा देयक प्रस्तुत न होने, चिकित्सा अग्रिम के मामले प्राप्त नहीं होने, भत्तों में बचत और अतिथि शिक्षकों की पदस्थापना न होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि अतिरिक्त आवश्यकता एवं लंबित चिकित्सा देयकों के क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाना था। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि.	(-) 9,13,26.09				

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.101.0102.3496- माध्यमिक शालाएँ	मूल पुनर्वि.	16,65,62.51 (-) 4,68,40.15	11,97,22.36	11,49,19.17	(-) 48,03.19	₹ 4,68,40.15 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 4,74,17.86 लाख की कमी (समर्पण ₹ 4,19,96.63 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 54,21.23 लाख) एवं ₹ 5,77.71 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वेतन वृद्धि का भुगतान न किए जाने, कुछ विस्तृत शीर्ष अन्य विस्तृत शीर्ष में समाहित किए जाने, यात्रा देयक प्राप्त न होने, चिकित्सा अग्रिम के मामले प्राप्त न होने, भत्तों में बचत एवं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति न होने के कारण हुई। जबकि वृद्धि का कारण आंशिक रूप से अतिरिक्त आवश्यकता एवं चिकित्सा देयकों के क्षतिपूर्ति भुगतान किए जाने के कारण हुई। शेष वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2202-02.109.0581- शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी शालाएँ	मूल पुनर्वि.	99,98.41 (-) 42,77.54	57,20.87	57,17.41	(-) 3.46	₹ 42,77.54 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 34,77.54 लाख+ ₹ 8,00.00 लाख पुनर्विनियोजन द्वारा) किए जाने का कारण कुछ विस्तृत शीर्ष का समायोजन अन्य विस्तृत शीर्ष में किए जाने से एवं वेतन के आहरण अन्य शीर्ष से किए जाने के कारण हुई। अंतिम अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-02.109.0102.0581- शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी शालाएं	मूल पुनर्वि.	6,72,15.54 (-) 1,70,97.21	5,01,18.33	5,01,59.13	+ 40.80	₹ 1,70,97.21 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,89,93.89 लाख की कमी (समर्पण ₹ 1,82,50.96 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 7,42.93 लाख) एवं ₹ 18,96.68 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण कुछ विस्तृत शीर्ष का समायोजन अन्य विस्तृत शीर्ष में किए जाने से एवं वेतन के आहरण अन्य शीर्ष से किए जाने के कारण हुई। वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2225-01.001.0103.2304- निदेशन एवं प्रशासन	मूल पुनर्वि.	2,26.34 (-) 70.18	1,56.16	1,51.03	(-) 5.13	₹ 70.18 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही समर्पण के रूप में किए जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2225-02.001.0802.5155- योजनाओं का अनुश्रवण और मूल्यांकन अनुच्छेद 275(1)	मूल पुनर्वि.	6,40.00 (-) 5,48.89	91.11	91.10	(-) 0.01	₹ 5,48.89 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही समर्पण के रूप में किए जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.001.0102.1481- जिला प्रशासन	मूल पुनर्वि.	1,00,06.94 (-) 14,16.97	85,89.97	85,92.22	+ 2.25	₹ 14,16.97 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 14,82.60 लाख की कमी (समर्पण ₹ 14,16.97 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 65.63 लाख) एवं ₹ 65.63 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वेतन वृद्धि का भुगतान न किए जाने, कुछ विस्तृत शीर्ष अन्य विस्तृत शीर्ष में समाहित किए जाने, यात्रा देयक प्राप्त न होने, चिकित्सा अग्रिम के मामले प्राप्त न होने, भत्तों में बचत एवं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति न होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि के विशिष्ट कारण एवं अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2225-02.102.0102.2321- नेतृत्व विकास एवं भारत दर्शन	मूल पुनर्वि.	1,57.00 (-) 1,48.52	8.48	8.75	+ 0.27	₹ 1,48.52 लाख की प्रत्याशित बचत काविड-19 के कारण कार्यक्रम का आयोजन न होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2225-02.102.0102.2324- आकांक्षा योजना	मूल पुनर्वि.	10,93.02 (-) 8,13.32	2,79.70	2,80.00	+ 0.30	₹ 8,13.32 लाख की प्रत्याशित बचत सत्र की शुरुआत न होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.277.0102.0494- आश्रम	मूल पुनर्वि.	1,60,46.61 (-) 60,99.43	99,47.18	99,83.03	+ 35.85	₹ 60,99.43 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 82,97.97 लाख की कमी (समर्पण ₹ 51,08.22 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 31,89.75 लाख) एवं ₹ 21,98.53 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण वेतन वृद्धि का भुगतान न किए जाने, महंगाई भत्ते में वृद्धि न होने, भत्तों में बचत, जिला कार्यालयों द्वारा राशि का आहरण न किए, कुछ विस्तृत शीर्षों का समायोजन अन्य शीर्षों में किए, यात्रा भत्ता देयक प्राप्त न होने एवं आवश्यकता न होने के कारण बचत। जबकि वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये है (अगस्त 2021)।
2225-02.277.0102.0495- जूनियर छात्रावास	मूल पुनर्वि.	87,65.52 (-) 9,69.98	77,95.54	78,07.68	+ 12.14	₹ 9,69.98 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 26,99.72 लाख की कमी (समर्पण ₹ 18,39.79 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 8,59.93 लाख) एवं ₹ 17,29.74 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण वेतन वृद्धि का भुगतान न किए जाने, महंगाई भत्ते में वृद्धि न होने, कुछ विस्तृत शीर्षों का समायोजन अन्य शीर्षों में किए जाने के कारण बचत। जबकि वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.277.0102.0762- म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसिडेंसियल एकेडेमिक सोसायटी	मूल पुनर्वि.	99,28.25 (-) 42,83.02	56,45.23	56,45.59	+ 0.36	₹ 42,83.02 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 42,95.46 लाख की कमी (समर्पण ₹ 32,85.46 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 10,10.00 लाख) एवं ₹ 12.44 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण वेतन वृद्धि का भुगतान न किए जाने, महंगाई भत्ते में वृद्धि न होने, कुछ विस्तृत शीर्षों का समायोजन अन्य शीर्षों में किए जाने के कारण बचत। जबकि वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2225-02.277.0102.0978- क्रीडा परिसर	मूल पुनर्वि.	16,32.06 (-) 9,51.43	6,80.63	6,80.13	(-) 0.50	₹ 9,51.43 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 10,25.23 लाख की कमी (समर्पण ₹ 9,59.07 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 66.16 लाख) एवं ₹ 73.80 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वेतन वृद्धि का भुगतान न किए जाने, महंगाई भत्ते में वृद्धि न होने, खेलों व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन न होने, जिला कार्यलय द्वारा चिकित्सा देयकों एवं अन्य देयकों का आहरण न किए जाने, खेल संस्थानों का बंद रहना एवं कुछ विस्तृत शीर्ष अन्य विस्तृत शीर्षों में शामिल किए जाने के कारण हुई। जबकि वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.277.0102.2604- मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग	मूल पुनर्वि.	1,81.42 (-) 56.97	1,24.45	1,24.45	0.00	₹ 56.97 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 63.82 लाख की कमी (समर्पण ₹ 56.97 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 6.85 लाख) एवं ₹ 6.85 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण वेतन वृद्धि न होने, मंहगाई भत्ते में वृद्धि न होने, आवश्यकता न होने के कारण बचत, कुछ विस्तृत शीर्ष अन्य विस्तृत शीर्ष में शामिल किए जाने के कारण हुई। जबकि वृद्धि के विशिष्ट कारण के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2225-02.277.0102.8012- शैक्षणिक संस्थाआ, आश्रम, छात्रावासो हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत छात्रावासों, आश्रमों एवं शैक्षणिक संस्थाओं को उत्कृष्ट पुरस्कार न बांटे जाने के कारण हुई।
2225-02.277.0102.8842- विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति/ जनजाति के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति	मूल पुनर्वि.	2,20.00 (-) 1,18.68	1,01.32	1,01.32	0.00	₹ 1,18.68 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 18.68 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1,00.00 लाख) राशि की आवश्यकता न होने के कारण हुई। शेष राशि की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2225-02.277.0102.9673- एकीकृत छात्रावास योजना	मूल पुनर्वि.	1,13,21.95 (-) 91,76.89	21,45.06	21,45.06	0.00	₹ 91,76.89 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 96,76.89 लाख की कमी (समर्पण ₹ 73,86.89 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 22,90.00 लाख) एवं ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी व्ययों की आवश्यकता न होने के कारण बचत हुई। जबकि वृद्धि के विशिष्ट कारण सूचिन नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.800.0334- आदिवासी अन्वेषण संस्था	मूल पुनर्वि.	6,35.33 (-) 1,18.82	5,16.51	5,17.02	+ 0.51	₹ 1,18.82 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 1,18.92 लाख की कमी (समर्पण ₹ 1,18.82 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 0.10 लाख) एवं ₹ 0.10 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी संभावित बचत, जबकि वृद्धि मंहगाई भत्तों में कम बजट प्रावधान किए जाने से हुई। शेष बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2225-02.800.0802.3728- आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास	मूल पुनर्वि.	8,24.87 (-) 7,43.27	81.60	66.60	(-) 15.00	₹ 7,43.27 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किए जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.800.0802.6500- विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास	मूल पुनर्वि.	1,40,00.00 (-) 91,82.36	48,17.64	48,17.64	0.00	₹ 91,82.36 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किए जानों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2225-02.800.0602.5211- आई.टी.डी.पी. / माडा पॉकेट / क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	4,00.00 (-) 3,50.64	49.36	49.36	0.00	₹ 3,50.64 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किए जानों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2225-02.800.0102.4719- अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के लिए सहायता योजना	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-) 89.79	10.21	10.23	+ 0.02	₹ 89.79 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किए जानों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2225-02.800.0102.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	9,45.00 (-) 7,07.21	2,37.79	2,37.79	0.00	₹ 7,07.21 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किए जानों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.800.0102.9819- विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-) 76.54	23.46	23.46	0.00	₹ 76.54 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किए जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2225-02.800.0102.9855- वन्या प्रकाशन	मूल पुनर्वि.	5,50.00 (-) 1,79.72	3,70.28	3,69.76	(-) 0.52	₹ 1,79.72 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किए जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202.02.109.0102.8844- कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं (कक्षा ग्यारहवीं)	मूल पुनर्वि.	0.01 22,81.49	22,81.50	22,81.50	0.00	₹ 22,81.49 लाख की निधियों का आवर्धन के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2225-02.102.0102.2326- पीव्हीटीजी आहार अनुदान योजना	मूल पुनर्वि.	2,18,00.00 93,32.60	3,11,32.60	3,12,12.00	+ 79.40	₹ 93,32.60 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 94,12.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 79.40 लाख समर्पण द्वारा की गई कमी का निवल प्रभाव थी। कमी जिला कार्यालयों द्वारा राशि का आहरण न किए जाने कारण हुई। जबकि वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-03.277.0802.2676-11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति	मूल पुनर्वि.	1,72,50.00 41,35.38	2,13,85.38	2,14,05.88	+ 20.50	₹ 41,35.38 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,01,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 59.64.62 लाख की कमी समर्पण किए जाने का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अतिरिक्त आवश्यकता तथा पिछले वर्ष के लंबित देयकों के भुगतान करना था। जबकि कमी संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2225-02.277.0102.0671-एच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान	मूल पुनर्वि.	33,00.00 48,50.54	81,50.54	88,75.25	+ 7,24.71	₹ 48,50.54 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 60,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 11,49.46 लाख समर्पण द्वारा की गई कमी का निवल प्रभाव थी। कमी संभावित बचत, कोषालय द्वार देयक पारित न किए जाने, कुछ विस्तृत शीर्षों का समायोजन अन्य विस्तृत शीर्ष में किए जाने, यात्रा देयक प्राप्त न होने, चिकित्सा अग्रिम के देयक न प्राप्त होने, भत्तों में बचत एवं अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति न होने के कारण हुई। जबकि वृद्धि अशासकीय संस्थाओं के स्टाफ को पांचवें वेतन आयोग के वेतन एरियर के भुगतान किए जाने से हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.277.0102.1868- तकनीकी शिक्षा मण्डल (मेपसेट)	मूल पुनर्वि.	44.00 40.84	84.84	89.00	+ 4.16	₹ 40.84 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 56.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 15.16 लाख की कमी का निवल प्रभाव थी। कमी व्यय की आवश्यकता न होने के कारण, जबकि अतिरिक्त धन की आवश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2225-02.277.0102.7763- अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता	मूल पुनर्वि.	1,15,00.00 14,62.92	1,29,62.92	1,29,64.83	+ 1.91	₹ 14,62.92 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 32,16.33 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 17,53.41 लाख की कमी का निवल प्रभाव थी। कमी व्यय की आवश्यकता न होने के कारण, जबकि अतिरिक्त धन की आवश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2225-02.277.0102.8801- सैनिक स्कूल/निजी संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति	मूल पुनर्वि.	1,10.00 1,51.87	2,61.87	2,61.87	0.00	₹ 1,51.87 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,54.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 2.13 लाख की कमी का निवल प्रभाव थी। कमी व्यय की आवश्यकता न होने के कारण, जबकि अतिरिक्त धन की आंशिक आवश्यकता होने के कारण हुई। शेष वृद्धि के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.277.0102.8805-राज्य शासन अनु. जाति/जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 9 एवं 10)	मूल पुनर्वि.	44,00.00 46,63.28	90,63.28	90,63.28	0.00	₹ 46,63.28 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 55,00.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 8,36.72 लाख की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि पिछले वर्ष के लंबित देयकों के भुगतान किए जाने से हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2225-02.800.0702.5191-अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण (आकस्मिकता योजना) नियम 2015 के अंतर्गत राहत	मूल पुनर्वि.	28,65.00 7,93.30	36,58.30	36,62.80	+ 4.50	₹ 7,93.30 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,00.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 6.70 लाख की कमी का निवल प्रभाव थी। कमी संभावित बचत होने के कारण, जबकि अतिरिक्त धन की आवश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 12,25.20 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) 31 मार्च 2021 को ₹ 5,97,47.91 लाख का समर्पण, ₹ 4,46,71.69 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध अधिक एवं अवास्तविक था।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-02.102.0802.7881-आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275(1)	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-) 7,23.13	42,76.87	44,11.13	+ 1,34.26	₹ 7,23.13 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किए जाने के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-02.277.1702.0762-म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसिडेंसियल एकेडेमिक सोसायटी	मूल	8,40.00	8,40.00	7,17.47	(-) 1,22.53	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4225-02.277.0802.7881-आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275(1)	मूल पुनर्वि.	4,30,60.00 (-) 2,75,01.93	1,55,58.07	2,85,97.82	+ 1,30,39.75	₹ 2,75,01.93 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में डी.डी.ओं द्वारा राशि का आहरण न किए जाने के कारण हुई जबकि अत्याधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4225-02.277.0102.6502-कॉलेज छात्रावास	मूल पुनर्वि.	3,00.00 (-) 1,04.79	1,95.21	1,95.21	0.00	₹ 1,04.79 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में जिला कार्यालयों द्वारा कार्य पूर्ण न होने के कारण राशि का आहरण न किए जाने के कारण हुई।
4225-02.800.0802.3728-आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास	मूल पुनर्वि.	8,07.00 (-) 3,07.00	5,00.00	5,00.00	0.00	₹ 3,07.00 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किए जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4225-02.800.0602.5211-आई.टी.डी.पी./माडा पॉकेट / क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	3,82,07.51 (-) 3,00,32.68	81,74.83	99,66.20	+ 17,91.37	₹ 3,00,32.68 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किए जाने के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4225-02.800.0102.4722-अनुसूचित जाति /जनजाति की बस्तियों का विकास	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-) 7,46.03	42,53.97	42,84.64	+ 30.67	₹ 7,46.03 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में जिला कार्यालयों द्वारा राशि का आहरण न किए जाने एवं 20 प्रतिशत राशि का पूर्ण विमुक्त न किए जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 34-सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

(मुख्य शीर्ष- 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	7,37,28,80			
पूरक	95,49	7,38,24,29	6,68,89,58	(-) 69,34,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				72,12,55

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,20			
पूरक	0	1,20	0	(-) 1,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,20

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2021 में ₹ 95.49 लाख में प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 72,12.55 लाख का अभ्यर्पण, ₹ 69,34.71 लाख की उपलब्ध बचत से अधिक और अवास्तविक था।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-02.001.2304-निदेशन और प्रशासन	मूल पुनर्वि.	47,23.17 (-) 5,05.81	42,17.36	42,34.76	+ 17.40	₹ 5,05.81 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 5,16.91 लाख की कमी (समर्पण ₹ 5,05.81 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 11.10 लाख) एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11.10 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। ₹ 11.10 लाख की कमी रिक्त पदों के कारण हुई। जबकि वृद्धि कम बजट के कारण हुई। शेष बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2235-02.101.0103.0073-अंध मूक बधिर शालाओं को अनुदान	मूल पुनर्वि.	9,79.50 (-) 1,26.88	8,52.62	8,52.62	0.00	₹ 1,26.88 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2235-02.101.0103.0079-दृष्टि श्रवण बाधित शालाएं तथा संस्थाएं	मूल पुनर्वि.	1,58.67 (-) 55.37	1,03.30	1,04.10	+ 0.80	₹ 55.37 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2235-02.101.0102.0073-अंध मूक बधिर शालाओं को अनुदान	मूल पुनर्वि.	13,41.29 (-) 1,95.66	11,45.63	11,64.20	+ 18.57	₹ 1,95.66 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2235-02.101.0102.0079-दृष्टि श्रवण बाधित शालाएं तथा संस्थाएं	मूल पुनर्वि.	1,94.17 (-) 99.88	94.29	95.57	+ 1.28	₹ 99.88 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-02.101.0101.0073- अंध मूक बधिर शालाओं को अनुदान	मूल पुनर्वि.	38,76.97 (-) 7,71.81	31,05.16	31,05.16	0.00	₹ 7,71.81 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2235-02.101.0101.0079- दृष्टि श्रवण बाधित शालाएं तथा संस्थाएं	मूल पुनर्वि.	14,64.02 (-) 2,03.19	12,60.83	12,63.58	+ 2.75	₹ 2,03.19 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2235-02.101.0101.2084- श्रवण बाधित निःशक्तजनों को आई.टी.आइ. प्रशिक्षण	मूल पुनर्वि.	2,00.05 (-) 1,69.63	30.42	30.42	0.00	₹ 1,69.63 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.104.0801.9642- वरिष्ठजनों का कल्याण	मूल पुनर्वि.	1,50.00 (-) 1,45.87	4.13	4.13	0.00	₹ 1,45.87 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2235-02.200.0795- कला पथक	मूल पुनर्वि.	8,97.70 (-) 1,25.65	7,72.05	7,76.07	+ 4.02	₹ 1,25.65 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2235-02.200.1985- दूरदर्शन कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	3,79.26 (-) 57.35	3,21.91	3,22.8	+ 0.97	₹ 57.35 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2235-02.800.0801.9477- नशीली दवा में कमी लाने के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना	मूल पुनर्वि.	2,47.00 (-) 1,99.21	47.79	47.79	0.00	₹ 1,99.21 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.800.0103.6710- दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना)	मूल पुनर्वि.	24,23.03 (-) 4,95.14	19,27.89	18,95.62	(-) 32.27	₹ 4,95.14 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-02.800.0102.6710- दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना)	मूल पुनर्वि.	35,89.87 (-) 7,72.43	28,17.44	27,75.02	(-) 42.42	₹ 7,72.43 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.800.0101.6693- कन्या अभिभावक पेंशन योजना	मूल पुनर्वि.	23,62.26 (-) 4,30.05	19,32.21	19,32.21	0.00	₹ 4,30.05 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2235-02.800.0101.6710- दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना)	मूल पुनर्वि.	89,87.10 (-) 14,74.87	75,12.23	74,96.58	(-) 15.65	₹ 14,74.87 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 7,64.87 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 7,10.00 लाख) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2235-60.102.0703.7084- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	मूल पुनर्वि.	17,50.00 (-) 8,04.22	9,45.78	9,45.78	0.00	₹ 8,04.22 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2235-60.102.0702.7084- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	मूल पुनर्वि.	20,25.00 (-) 8,04.22	12,20.78	15,36.74	+ 3,15.96	₹ 8,04.22 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के साथ ही अत्याधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-60.800.0101.6554- समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	1,21.00 (-) 46.02	74.98	74.41	(-) 0.57	₹ 46.02 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-02.800.0101.6692- मुख्यमंत्री निकाह योजना	मूल पुनर्वि.	11,59.00 5,13.80	16,72.80	16,78.13	+ 5.33	₹ 5,13.80 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,10.00 लाख की वृद्धि समर्पण द्वारा ₹ 1,96.19 की कमी का निवल प्रभाव थी। कमी/वृद्धि के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

(मुख्य शीर्ष-2851- ग्राम तथा लघु उद्योग, 4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,96,24,70			
पूरक	0	3,96,24,70	3,61,98,80	(-) 34,25,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2			
पूरक	0	2	0	(-) 2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,90,50,03			
पूरक	0	2,90,50,03	1,21,51,35	(-) 1,68,98,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (19 एवं 31 मार्च 2021)				1,67,35,88

अनुदान संख्या 35-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 34,25.90 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
 (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2851-001.3370- मध्यवर्ती कार्यालय	मूल	15,26.60	15,26.60	12,93.97	(-) 2,32.63	इस शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में समान राशि (₹ 24.85 लाख प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि दर्ज हुई। कमी संभावित बचत, वेतन वृद्धि पर रोक होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि टोकन प्रावधान, लंबित देयकों, वित्त वर्ष 2019-20 एवं 2020-2021 के प्रशासनिक रिपोर्ट के कराये गए प्रिन्ट के भुगतान एवं पेट्रोल मुल्य में वृद्धि के कारण लंबित भुगतान किए जाने हेतु। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2851-200.1464- जिला उद्योग केन्द्र	मूल पुनर्वि.	66,73.43 (-) 35.71	66,37.72	57,78.62	(-) 8,59.10	₹ 35.71 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 81.67 लाख की कमी एवं ₹ 45.96 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी संभावित बचत एवं कोविड-19 के कारण हुई। जबकि वृद्धि अगामी माहो में भुगतान हेतु, श्री सी.के. पूषाण, प्रबंधक, गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय डीन की स्वीकृती से स्वयं के इलाज हेतु, जिला कार्यालयों द्वारा मांग, आई.एफ. एम.आई.एस में मैपिंग न होने से एवं जिला उत्तर-मध्यम केन्द्र दतिया एवं जबलपुर में पदस्थ दैनिक मजदूरों को अकुशल स्थाई श्रेणी प्रदान करने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2851-800.0103.2124- एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/सुविधा प्रदाय योजना	मूल	21,00.00	21,00.00	4.90	(-) 20,95.10	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2851-800.0103.7571- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	मूल पुनर्वि.	1,50.00 (-) 96.00	54.00	39.91	(-) 14.09	₹ 96.00 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा संबंधित विभागों द्वारा मांग न किए जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2851-800.0102.7571- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-) 64.00	36.00	26.46	(-) 9.54	₹ 64.00 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा संबंधित विभागों द्वारा मांग न किए जाने एवं ब्याज सब्सिडी का भुगतान किए जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2851-800.0101.2373- इंक्वैवेशन एवं स्टार्टअप योजना	मूल पुनर्वि.	5,00.00 (-) 1,69.00	3,31.00	3,25.01	(-) 5.99	₹ 1,69.00 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा संबंधित विभागों द्वारा मांग न किए जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2851-800.0101.7571- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	मूल पुनर्वि.	5,00.00 (-) 2,61.42	2,38.58	1,64.81	(-) 73.77	₹ 2,61.42 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा संबंधित विभागों द्वारा मांग न किए जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (3) ₹ 1,68,98.68 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 19 एवं 31 मार्च 2021 को ₹ 1,67,35.88 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4851.101.0101.5380- आटो टेस्टिंग ट्रेक हेतु भूअर्जन मुआवजा	मूल पुनर्वि.	1,68,00.00 (-) 1,67,11.89	88.11	88.11	0.00	₹ 1,67,11.89 लाख की प्रत्याशित बचत आटो टेस्टिंग ट्रेक पीतमपुर की अधिग्रहीत भूमि के संदर्भ मामलों में माननीय जिला न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा स्थगन किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 36—परिवहन

(मुख्य शीर्ष- 2041-वाहन कर, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय एवं 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	97,08,85			
पूरक	0	97,08,85	79,49,64	(-) 17,59,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				12,28,95

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	4,00			
पूरक	0	4,00	75	(-) 3,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	13,60,00			
पूरक	टोकन	13,60,00	10,74,55	(-) 2,85,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 17,59.21 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 12,28.95 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 36-परिवहन जारी

(2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2041-001.3561- मुख्यालय स्थापना	मूल पुनर्वि.	9,68.20 (-) 2,17.51	7,50.69	7,01.57	(-) 49.12	₹ 2,17.51 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 2,46.56 लाख की कमी (समर्पण ₹ 2,17.51 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 29.05 लाख) एवं ₹ 29.05 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी आई.एफ.एम.आई.एस माड्यूल में वेतन शीर्ष 12 से वेतन आहरित करने का विकल्प उपलब्ध न होने के कारण महंगाई भत्ता का आहरण न होने एवं कोविड-19 के कारण जुलाई 2020 के महंगाई भत्ते तथा वेतन वृद्धि पर रोक लगाए जाने के कारण हुई। जबकि वृद्धि परिवहन विभाग और मेसर्स लिंक उत्सव ऑटो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के बीच उत्पन्न विवाद के लिए माननीय ट्रिब्यूनल द्वारा कम बजट और 10 अतिरिक्त सुनवाई के बराबर पुरस्कार शुल्क का भुगतान, 5 सुनवाई के बराबर पठन शुल्क और एक अतिरिक्त सुनवाई शुल्क की मांग की गई थी। उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एच.एस.आर.पी) की स्थापना किए जाने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2041-001.8348- राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण	मूल	2,02.37	2,02.37	74.32	(-) 1,28.05	₹ 1,28.05 लाख की बचत कम व्यय एवं राज्य शासन के द्वारा कोविड के कारण वार्षिक वेतन वृद्धि तथा जुलाई 2020 महंगाई भत्ते पर रोक लगाए जाने से हुई।
2041-101.4280- जिला स्थापना	मूल पुनर्वि.	38,24.32 (-) 6,10.87	32,13.45	29,90.89	(-) 2,22.56	₹ 6,10.87 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 6,29.87 लाख की कमी (समर्पण ₹ 6,10.87 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 19.00 लाख) एवं ₹ 19.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी आई.एफ.एम.आई.एस माड्यूल में वेतन शीर्ष 12-000 से वेतन आहरित करने का विकल्प उपलब्ध न होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि कम बजट होने के कारण। बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)

अनुदान संख्या 36—परिवहन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2041-102.0679-उड़नदस्ता एवं चेक पोस्ट की स्थापना	मूल पुनर्वि.	21,13.96 (-) 2,17.57	18,96.39	19,65.84	+ 69.45	₹ 2,17.51 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 2,23.57 लाख की कमी (समर्पण ₹ 2,17.57 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 6.00 लाख) एवं ₹ 6.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वेतन वृद्धि तथा मंहगाई भत्ते पर रोक लगाए जाने से हुई। जबकि वृद्धि भृत्यों को कपड़ा धुलाई भत्ता के भुगतान किए जाने एवं उड़नदस्ता एवं चेक पोस्ट के कर्मचारियों को यातायात भत्ता प्रदाय किये जाने से हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (3) ₹ 2,85.45 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-80.201.0101.7311-कार्यालय भवनों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	13,60.00 (-)3,16.75	10,43.25	8,09.08	(-) 2,34.17	₹ 3,16.75 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा परिवहन प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण कार्य प्रारंभ न होने से कम व्यय होने के कारण बचत हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
5055-800.0101.1231-म.प्र. इंटर सिटी ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी	मूल पूरक पुनर्वि.	0.00 Token 3,16.75	3,16.75	2,65.47	(-) 51.28	₹ 3,16.75 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा म.प्र. इंटर सिटी ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी सागर बस स्टैंड के निर्माण किए जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 37-पर्यटन

(मुख्य शीर्ष- 3452-पर्यटन, 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	51,20,46			
पूरक	0	51,20,46	50,62,49	(-) 57,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				58,27

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	80			
पूरक	0	80	0	(-) 80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				80

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	50,34,03			
पूरक	0	50,34,03	50,33,00	(-) 1,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,03

अनुदान संख्या 37—पर्यटन समाप्त

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 58.27 लाख का अभ्यर्पण, ₹ 57.97 लाख की उपलब्ध बचत से अधिक और अवास्तविक था।
- (2) हालांकि ₹ 57.97 लाख की कुल बचत कुल प्रावधान के 5 प्रतिशत से कम थी, निम्नलिखित उप-शीर्षों के तहत उल्लेखनीय विविधताएं देखी गई हैं:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3452-80.001.0101.2529-पर्यटन संचालनालय	मूल पुनर्वि.	94.01 (-) 58.26	35.75	36.05	+ 0.30	₹ 58.26 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किए जाने साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 1.03 लाख की संपूर्ण बचत 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 38-आयुष

(मुख्य शीर्ष- 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	4,53,80,24			
पूरक	89,64,10	5,43,44,34	4,17,38,53	(-) 1,26,05,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,14,62,86

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	8,00			
पूरक	0	8,00	0	(-) 8,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	19,45,01			
पूरक	0	19,45,01	18,64,45	(-) 80,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 38—आयुष जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2021 (₹ 44,82.05 लाख) एवं मार्च 2021 (₹ 44,82.05 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 89,64.10 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,26,05.81 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 1,14,62.86 लाख का अभ्यर्पण किया गया।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-02.101.0703.1277- राष्ट्रीय मिशन आफ आयुष मेडिसनल प्लांट मिशन सहित	मूल	3,00.00	1,50.00	1,19.13	(-) 30.87	₹ 3,62.82 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किए जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पूरक	2,12.82				
	पुनर्वि.	(-) 3,62.82				
2210-02.101.0702.1277- राष्ट्रीय मिशन आफ आयुष मेडिसनल प्लांट मिशन सहित	मूल	4,20.00	1,69.61	1,28.16	(-) 41.45	₹ 23,84.25 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किए जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पूरक	21,33.86				
	पुनर्वि.	(-) 23,84.25				
2210-02.101.0701.1277- राष्ट्रीय मिशन आफ आयुष मेडिसनल प्लांट मिशन सहित	मूल	9,80.00	11,51.90	10,81.88	(-) 70.02	₹ 64,45.52 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किए जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (अगस्त 2021)।
	पूरक	66,17.42				
	पुनर्वि.	(-) 64,45.52				
2210-02.101.0103.4194- शासकीय आयुर्वेदिक फार्मसी एवं डिपो	मूल	1,69.15	1,23.05	1,11.92	(-) 11.13	प्रावधान में ₹ 46.10 लाख (समर्पण ₹ 4.79 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 41.31 लाख) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि.	(-) 46.10				

अनुदान संख्या 38—आयुष जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-02.101.0102.4194- शासकीय आयुर्वेदिक फार्मसी एवं डिपा	मूल पुनर्वि.	1,16.43 (-) 78.45	37.98	28.50	(-) 9.48	प्रावधान में ₹ 78.45 लाख (समर्पण ₹ 13.26 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 65.19 लाख) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (अगस्त 2021)।
2210-02.101.0101.0461- आयुर्वेद प्रशासन का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	19,55.51 (-) 1,68.15	17,87.36	17,38.35	(-) 49.01	प्रावधान में ₹ 1,68.15 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (अगस्त 2021)।
2210-02.101.0101.4286- संचालक आयुर्वेद एवं प्रशासन	मूल पुनर्वि.	8,12.96 (-) 1,25.40	6,87.56	6,66.91	(-) 20.65	प्रावधान में ₹ 1,25.40 लाख (समर्पण ₹ 1,17.40 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 8.00 लाख) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-02.103.0102.3613- यूनानी फार्मसी	मूल पुनर्वि.	1,18.24 (-) 71.15	47.09	43.88	(-) 3.21	प्रावधान में ₹ 71.15 लाख (समर्पण ₹ 3.35 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 67.80 लाख) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (अगस्त 2021)।
2210-02.103.0101.3613- यूनानी फार्मसी	मूल पुनर्वि.	1,53.95 (-) 45.62	1,08.33	1,02.36	(-) 5.97	प्रावधान में ₹ 45.62 लाख (समर्पण ₹ 5.15 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 40.47 लाख) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (अगस्त 2021)।
2210-02.103.0101.8564- भोपाल यूनानी महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	10,72.29 (-) 1,11.35	9,60.94	9,44.51	(-)16.43	₹ 1,11.35 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किए जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 38—आयुष समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-05-101-0101-0469- आयुर्वेद महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	46,76.48 (-) 14,25.01	32,51.47	31,96.78	(-) 54.69	₹ 14,25.01 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 16,25.01 लाख की कमी (समर्पण ₹ 7,45.01 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 8,80.00 लाख) एवं ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2210-05-102-0101-8068- शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	17,69.89 (-) 63.09	17,06.80	15,75.15	(-) 1,31.65	₹ 63.09 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-05.101.0103.0469- आयुर्वेद महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	9,17.95 2,92.08	12,10.03	11,65.49	(-) 44.54	₹ 2,92.08 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,90.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 97.92 लाख की कमी की निवल प्रभाव थी। कमी/वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2210-05.101.0102.0469- आयुर्वेद महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	16,66.49 4,64.15	21,30.64	20,51.13	(-) 79.51	₹ 4,64.15 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,30.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 65.85 लाख की कमी की निवल प्रभाव थी। कमी/वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 80.56 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

(मुख्य शीर्ष- 2408-खाद्य भण्डारण तथा भांडागार, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4408-खाद्य भण्डारण और भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय, 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय एवं 6408-खाद्य भण्डारण एवं भांडागार के लिए कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	8,78,53,29			
पूरक	10,13	8,78,63,42	8,63,98,80	(-) 14,64,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				2,86,07

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,10			
पूरक	0	1,10	0	(-) 1,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				60

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,87,31			
पूरक	0	3,87,31	69,93	(-) 3,17,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,47,00

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया, ₹ 10.13 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 14,64.62 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 2,86.07 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (3) हालांकि ₹ 14,64.62 लाख की कुल बचत कुल प्रावधान के 5 प्रतिशत से कम थी, निम्नलिखित उप-शीर्षों के तहत उल्लेखनीय विविधताएं देखी गई हैं:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2408.01.001.0629- उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ	मूल	22,91.88	22,91.88	19,17.27	(-) 3,74.61	इस शीर्ष में पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (₹ 80.59 लाख प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी (₹ 80.59 लाख) संभावित बचत के कारण हुई, शेष कमी के साथ ही वृद्धि एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(अगस्त 2021)।
2408-01.001.1471- जिला कार्यालय	मूल पुनर्वि.	42,83.08 (-) 2,30.00	40,53.08	37,26.52	(-) 3,26.56	₹ 2,30.00 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,65.00 लाख की कमी एवं ₹ 35.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2408-01.102.0801-5420- समन्वित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रबंधन योजना	मूल	2,85.93	2,85.93	89.93	(-) 1,96.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(अगस्त 2021)।
2408-01.102.0701.7367- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन	मूल पुनर्वि.	4,00.03 (-) 44.28	3,55.75	1,87.30	(-) 1,68.45	₹ 44.28 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2408-01.102.0101.7723- शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	1,64.00 (-) 0.51	1,63.49	1,17.30	(-) 46.19	₹ 0.51 लाख समर्पण के रूप में किए जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2408-01.190.0103.6242- मिट्टी तेल के सार्वजनिक वितरण के लिये सार्वजनिक क्षेत्रों के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	मूल	6.08	6.08	0.47	(-) 5.62	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(अगस्त 2021)।
2408.01.800.0701.9253- उपभोक्ता जागरुकता कल्याण योजना	मूल	1,00.00	1,00.00	65.15	(-) 34.85	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(अगस्त 2021)।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2408-01.001.0701.6878- उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना	मूल Token	Token	Token	2,50.00	+ 2,49.99	टोकन प्रावधान के विरुद्ध अत्यधिक आधिक्य किए जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(अगस्त 2021)।
2408-01.101.0102.0570- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सहकारी समितियों को खाद्यान्न की बिक्री से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति	मूल Token	Token	Token	4,83.92	+ 4,83.91	टोकन प्रावधान के विरुद्ध अत्यधिक आधिक्य किए जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(अगस्त 2021)।
2408-01.102.0103.9087- खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान	मूल पुनर्वि.	22.00 50.60	72.60	1,12.82	+ 40.22	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.60 लाख की निधियों का आवर्धन किए जाने के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(अगस्त 2021)।
2408-01.102.0102.9087- खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान	मूल पुनर्वि.	30.00 1,64.05	1,94.05	1,53.84	(-) 40.21	₹ 1,64.05 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों के वितरण करने के लिए शक्कर के बिलों का भुगतान किए जाने के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2408-01.800.5310-समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत उपार्जित दालों का रियायती दर पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में हितग्राहियों को वितरण	मूल	Token	Token	0.24	+ 0.23	टोकन प्रावधान के विरुद्ध अत्यधिक आधिक्य किए जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(अगस्त 2021)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 3,17.38 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को ₹ 1,47.00 लाख अभ्यर्पित किये गये।
 (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4408-01.800.7723-शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का सुदृढीकरण	मूल	65.01	65.01	4.37	(-) 60.64	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(अगस्त 2021)।
4408-01.800.0801.0629-उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ	मूल	68.35	68.35	15.58	(-) 52.77	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
5475-800.6113-संभागीय कार्यालय का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	1,93.90 (-) 1,47.00	46.90	46.90	0.00	₹ 1,47.00 लाख की समर्पण के रूप में बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(अगस्त 2021)।
6408.01.190.0173-अन्न का क्रय	मूल	60.00	60.00	3.08	(-) 56.92	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या 40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)**

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2204-खेल तथा युवा सेवाएं, 2205- कला एवं संस्कृति, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	33,75,63,60			
पूरक	0	33,75,63,60	27,17,23,84	(-) 6,58,39,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				9,01,60

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	30,00			
पूरक	0	30,00	0	(-) 30,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,05,40,62			
पूरक	0	3,05,40,62	3,03,19,17	(-) 2,21,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,46,20

**अनुदान संख्या 40-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) जारी**

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 6,58,39.76 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 9,01.60 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-01.001.9230-संचालक कार्यालयों की स्थापना	मूल	25,14.12	25,14.12	20,73.53	(-) 4,40.59	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2202-02.109.0581-शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी शालाएं	मूल पुनर्वि.	27,17,35.55 (-) 19,98.93	26,97,36.62	21,93,06.99	(-) 5,04,29.63	₹ 19,98.93 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा किए जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.109.0103.0701-अतिथि शिक्षकों का मानदेय	मूल	48,00.01	48,00.01	41,91.12	(-) 6,08.89	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2202-02.109.0103.6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	मूल पुनर्वि.	3,27.58 1,12.00	4,39.58	2,09.57	(-) 2,30.01	₹ 1,12.00 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा किए जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.109.0102.0701-अतिथि शिक्षकों का मानदेय	मूल पुनर्वि.	69,00.03 (-) 1,70.00	67,30.03	24,29.02	(-) 43,01.01	₹ 1,70.00 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा किए जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या 40-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) जारी**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02.109.0102.6007- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	मूल पुनर्वि.	5,12.23 1,61.00	6,73.23	3,09.31	(-) 3,63.92	₹ 1,61.00 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा किए जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.109.0101.0701- अतिथि शिक्षकों का मानदेय	मूल	1,83,00.08	1,83,00.08	1,37,00.16	(-) 45,99.92	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2202-02.109.0101.6968- शालाओं का उन्नयन	मूल	45,15.97	45,15.97	28,98.93	(-) 16,17.04	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2202-80.001.3858- लोक शिक्षण संचालनालय	मूल	31,64.05	31,64.05	26,45.15	(-) 5,18.90	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-80.107.0102.5133- विविध छात्रवृत्तिया	मूल	2,33.85	2,33.85	1.75	(-) 2,32.10	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2202-80.107.0101.5133- विविध छात्रवृत्तिया	मूल	18,73.00	18,73.00	12,66.96	(-) 6,06.04	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2204.101.1797- शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय एवं आवासीय खेलकूद विद्यालय	मूल	2,78.63	2,78.63	2,23.66	(-) 54.97	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2204-102.3755- राष्ट्रीय सैन्य दल – वरिष्ठ संभाग	मूल पुनर्वि.	47,41.64 (-) 9,01.60	38,40.04	38,41.45	+ 1.41	₹ 9,01.60 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में कोविड-19 के कारण कैडेटों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया और एनसीसी कार्यालयों द्वारा शिविरों का आयोजन नहीं किया गया। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या 40-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) जारी**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2205-105.4395- पुस्तकालय की स्थापना एवं संचालन	मूल	11,77.56	11,77.56	10,43.09	(-) 1,34.47	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

- (3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02.109.0101.0816- छात्रावासों की स्थापना एवं संचालन	मूल पुनर्वि.	1,15.94 5,20.81	6,36.75	4,76.72	(-) 1,60.03	₹ 5,20.81 लाख की निधियों का आवर्धन किए जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.109.0101.5732- सैनिक स्कूल रीवा को अनुदान	मूल पुनर्वि.	1,57.54 1,70.00	3,27.54	3,23.95	(-) 3.59	₹ 1,70.00 लाख की निधियों का आवर्धन किए जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(अगस्त 2021)।
2202-02.109.0101.6007- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	मूल पुनर्वि.	4,42.59 4,27.00	8,69.59	5,67.21	(-) 3,02.38	₹ 4,27.00 लाख की निधियों का आवर्धन किए जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(अगस्त 2021)।
2202-02.109.0101.6493- व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु विशेष प्रशिक्षण	मूल पुनर्वि.	1,00.49 1,53.22	2,53.71	2,51.17	(-) 2.54	₹ 1,53.22 लाख की निधियों का आवर्धन किए जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(अगस्त 2021)।
2202-80.001.0101.6813- साइकिलों का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	7.00 5,79.02	5,86.02	5,86.02	0.00	₹ 5,79.02 लाख की निधियों का आवर्धन किए जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(अगस्त 2021)।

प्रभारित:

- (4) ₹ 30.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
(5) विनियोग में मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत बचत हुई:-

**अनुदान संख्या 40-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) जारी**

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-80.001.3858- लोक शिक्षण संचालनालय	मूल	30.00	30.00	0.00	(-) 30.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (6) ₹ 2,21.45 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को ₹ 1,46.20 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-01.202.0103.0816- छात्रावासों की स्थापना एवं संचालन	मूल	2,00.00	2,00.00	94.50	(-) 105.50	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4202-01.202.0101.7128- मुख्यालय/संयुक्त संचालक /जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय भवन निर्माण	मूल	3,12.00	3,12.00	1,37.46	(-) 1,74.54	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4202-01.800.0101.4395- पुस्तकालय की स्थापना एवं संचालन	मूल	10.00	10.00	1.64	(-) 8.36	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

- (8) उपरोक्त टिप्पणी (7) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-01.202.0101.6007- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	मूल	0.00	0.00	13.32	+ 13.32	₹ 13.32 लाख का व्यय इस शीर्ष अंतर्गत शुन्य प्रावधान के विरुद्ध किए जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या 40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) समाप्त**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-01.202.0101.6970- शासकीय स्कूल/ छात्रावास/पुस्तकालय / आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार	मूल पुनर्वि.	1,50,00.00 20,00.00	1,70,00.00	1,72,87.68	+ 2,87.68	₹ 20,00.00 लाख पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या.41- प्रवासी भारतीय
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	90,93			
पूरक	0	90,93	37,53	(-) 53,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 53.40 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2852-80.800.0101.1951- म.प्र मित्र निर्वाचिका सभा	मूल	90.93	90.93	37.53	(-)53,40	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 42—भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,13,04,05			
पूरक	12,00,00	1,25,04,05	1,05,09,55	(-) 19,94,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				19,65,87

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	6,89,06			
पूरक	0	6,89,06	4,88,72	(-) 2,00,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				2,00,34

अनुदान संख्या 42—भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 12,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 19,94.50 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 19,65.87 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01.001.0101.0775- स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत	मूल पूरक पुनर्वि.	1,07,14.41 7,20.00 (-) 18,67.83	95,66.58	95,36.07	(-) 30.51	₹ 3.25 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा संभावित बचत के कारण एवं शेष ₹ 18,64.58 लाख की समर्पण के रूप में किए जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.001.3757- राहत एवं पुनर्वास हेतु जिलाध्यक्ष कार्यालय भोपाल में अतिरिक्त अमला	मूल पुनर्वि.	2,66.70 (-) 40.36	2,26.34	2,26.64	+ 0.30	प्रावधान में ₹ 40.36 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 46.36 लाख की कमी (समर्पण ₹ 40.36 लाख + ₹ 6.00 लाख पुनर्विनियोजन) एवं ₹ 6.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2235-02.001.0101.3171- भोपाल गैस दुर्घटना संबंधी दावा संचालनालय	मूल पुनर्वि.	3,10.98 (-) 44.43	2,66.55	2,68.12	+ 1.57	₹ 44.43 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 47.68 लाख की कमी समर्पण के रूप में ₹ 3.25 लाख की वृद्धि पुनर्विनियोजन द्वारा किए जाने के निवल प्रभाव थी। वृद्धि कम बजट के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 42—भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 2,00.34 लाख की संपूर्ण बचत 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-01.110.0101.0775- स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत	मूल पुनर्वि.	6,78.00 (-) 1,89.28	4,88.72	4,88.72	0.00	₹ 1,89.28 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किए जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4235-01.201.0101.3171- भोपाल गैस दुर्घटना संबंधी दावा संचालनालय	मूल पुनर्वि.	11.01 (-) 11.01	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किए जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवक कल्याण

(मुख्य शीर्ष- 2204-खेल तथा युवा सेवाएं, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,03,48,17			
पूरक	0	1,03,48,17	93,42,05	(-) 10,06,12
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,00			
पूरक	0	5,00	0	(-) 5,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	52,27,32			
पूरक	0	52,27,32	51,84,14	(-) 43,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 10,06.12 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 43—खेल और युवक कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-103.0101.2304-निदेशन और प्रशासन	मूल	18,04.66	18,04.66	14,96.57	(-) 3,08.09	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2204-800.0103.5159-खेल अकादमियों की स्थापना	मूल	7,50.03	7,50.03	5,11.28	(-) 2,38.75	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2204-800.0103.6975-प्रशिक्षकों का मानदेय	मूल पुनर्वि.	1,80.00 (-) 58.70	1,21.30	76.60	(-) 44.70	₹ 58.70 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2204-800.0103.8840-खिलाडियों को प्रोत्साहन	मूल	5,09.92	5,09.92	4,24.41	(-) 85.51	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2204-800.0102.5159-खेल अकादमियों की स्थापना	मूल	9,59.11	9,59.11	7,59.93	(-) 1,99.18	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20, 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2204-800.0101.5001-म. प्र. खेल प्राधिकरण को अनुदान	मूल	1,83.28	1,83.28	1,42.23	(-) 41.05	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2204-800.0101.6703-स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण	मूल	1,66.06	1,66.06	1,36.06	(-) 30.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2204-800.0101.8840-खिलाडियों को प्रोत्साहन	मूल	7,58.32	7,58.32	6,50.18	(-) 1,08.14	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-800.0103.4938-युवा संधि को अनुदान	मूल पुनर्वि.	49.77 4.00	53.77	69.96	+ 16.19	₹ 4.00 लाख की निधियों का आवर्धन ठेका ग्राम समन्वयक के मानदेय का भुगतान किए जाने के कारण किया गया। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवक कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-800.0102.4938-युवा संधि को अनुदान	मूल पुनर्वि.	78.07 54.70	1,32.77	1,59.82	+ 27.05	₹ 54.70 लाख की निधियों का आवर्धन ठेका ग्राम समन्वयक के मानदेय का भुगतान किए जाने के कारण किया गया। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2204-800.0102.6239-खेल प्रशिक्षण केन्द्रों को खेल सामग्री	मूल	2.89	2.89	22.75	+ 19.86	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2204-800.0103.6239-खेल प्रशिक्षण केन्द्रों को खेल सामग्री	मूल	6.00	6.00	29.89	+ 23.89	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2204-800.0101.6239-खेल प्रशिक्षण केन्द्रों को खेल सामग्री	मूल	38.22	38.22	80.89	+ 42.67	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2204-800.0102.6703-स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण	मूल	24.16	24.16	39.52	+ 15.36	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2204-800.0103.6703-स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण	मूल	45.01	45.01	85.01	+ 40.00	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2204-800.0101.8841-मूलभूत सुविधाओं के विकास सुधार हेतु – स्टेडियम आदि	मूल पुनर्वि.	4,67.97 0.70	4,68.67	6,88.21	+ 2,19.54	₹ 0.70 लाख की निधियों का आवर्धन ₹ 45.60 लाख की वृद्धि एवं ₹ 44.90 लाख की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि (₹ 45.60 लाख) लंबित देयको के भुगतान किए जाने के कारण हुई। शेष बजट में ऋणात्मक को संतुलित किए जाने से हुई। लेखानुदान में अधिक प्रावधान के कारण ऋणात्मक शेष हुआ था जिसे मुख्य बजट में घटा दिया गया था। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

पूँजीगत:

दत्तमत

(4) ₹ 43.18 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 44-उच्च शिक्षा

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	24,97,93,37			
पूरक	0	24,97,93,37	21,86,40,75	(-) 3,11,52,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				2,86,35,32

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	10,00			
पूरक	0	10,00	0	(-) 10,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				10,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,35,84,05			
पूरक	5,00,00	5,40,84,05	4,48,51,13	(-) 92,32,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				92,30,00

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 3,11,52.62 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 2,86,35.32 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.103.0103.8855-पी.एच.डी. अध्ययनरत विद्यार्थियों को सहायता	मूल पुनर्वि.	3,30.00 (-) 1,30.00	2,00.00	1,95.31	(-) 4.69	₹ 1,30.00 लाख समर्पण के रूप में किए जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2021)।
2202-03.103.0102.8855-पी.एच.डी. अध्ययनरत विद्यार्थियों को सहायता	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-) 40.00	60.00	58.28	(-) 1.72	₹ 40.00 लाख समर्पण के रूप में किए जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2202-03.104.0103.3444-महाविद्यालयों को पोषण अनुदान	मूल पुनर्वि.	27,52.58 (-) 3,65.00	23,87.58	23,82.46	(-) 5.12	₹ 3,65.00 लाख समर्पण के रूप में किए जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.104.0103.7043-जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरने हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	21,00.00 (-) 3,55.00	17,45.00	17,24.78	(-) 20.22	₹ 3,55.00 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 2,30.00 लाख पुनर्विनियोजन + ₹ 1,25.00 समर्पण) अशंतः संभावित बचत के कारण हुई। शेष बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.104.0102.3444-महाविद्यालयों को पोषण अनुदान	मूल पुनर्वि.	60,43.42 (-) 27,00.00	33,43.42	32,55.34	(-) 88.08	₹ 27,00.00 लाख की समर्पण द्वारा प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 44-उच्च शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.104.0102.7043-जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरने हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	30,00.00 (-) 3,70.00	26,30.00	25,60.17	(-) 69.83	₹ 3,70.00 लाख की प्रत्याशित बचत (₹2,70.00 लाख पुनर्विनियोजन + ₹ 1,00.00 समर्पण) संभावित बचत के कारण हुई। शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.104.0101.3444-महाविद्यालयों को पोषण अनुदान	मूल पुनर्वि.	1,31,94.00 (-) 37,65.00	94,29.00	91,60.30	(-) 2,68.70	₹ 37,65.00 लाख समर्पण की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.104.0101.7043-जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरने हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	79,00.00 (-) 7,91.50	71,08.50	69,83.26	(-) 1,25.24	₹7,91.50 लाख की प्रत्याशित बचत (₹2,91.50 लाख पुनर्विनियोजन + ₹5,00.00 लाख समर्पण) अंशतः संभावित बचत एवं शेष बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.107.0101.5766-प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	50.02 (-) 50.00	0.02	0.00	(-) 0.02	₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 44-उच्च शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.800.0803.6283- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्तर्गत एरियर्स भुगतान	मूल पुनर्वि.	58,00.00 (-) 55,42.39	2,57.61	2,57.60	(-) 0.01	₹ 55,42.39 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 55,42.00 लाख पुनर्विनियोजन + ₹ 0.39 लाख समर्पण) अंशतः संभावित बचत के कारण हुई। शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2202-03.800.0802.6283- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्तर्गत एरियर्स भुगतान	मूल पुनर्वि.	81,00.00 (-)78,50.15	2,49.85	2,49.85	0.00	₹ 78,50.15 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 78,50.15 पुनर्विनियोजन + ₹ 0.15 समर्पण) योजना 0798 से अधिकारी/कर्मचारी के मैपींग करने से हुई।
2202-03.800.0801.6283- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्तर्गत एरियर्स भुगतान	मूल पुनर्वि.	2,12,00.00 (-)1,86,66.00	25,34.00	25,34.00	0.00	₹ 1,86,66.00 लाख की प्रत्याशित बचत (₹1,86,65.00 पुनर्विनियोजन + ₹ 1.00 समर्पण) योजना 0798 से अधिकारी/कर्मचारी के मैपींग करने से हुई। शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.102.0101.5490- निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन अधिनियम, 2007	मूल पुनर्वि.	19.36 68.14	87.50	87.44	(-) 0.06	₹ 68.14 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 75.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 6.86 लाख की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि नियामक आयोग में नए सदस्यों की नियुक्ति के कारण निधि की आवश्यकता होने के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 44-उच्च शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.103.1203.7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	मूल पुनर्वि.	69.16 2,25.00	2,94.16	2,90.30	(-) 3.86	₹ 2,25.00 लाख की निधियों का आवर्धन लंबित देयकों भुगतान किए जाने के कारण हुई। बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2202-03.103.1202.7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	मूल पुनर्वि.	15.94 1,07.50	1,23.44	84.01	(-) 39.43	₹ 1,07.50 लाख की निधियों का आवर्धन ₹ 1,12.50 लाख की वृद्धि पुनर्विनियोजन द्वारा एवं ₹ 5.00 लाख समर्पण द्वारा की गई कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि लंबित देयको भुगतान हेतु की गई, जबकि कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2202-03.103.1201.7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	मूल पुनर्वि.	6,82.26 10,97.50	17,79.76	16,90.03	(-) 89.73	₹ 10,97.50 लाख की निधियों का आवर्धन ₹ 11,62.50 लाख की वृद्धि पुनर्विनियोजन द्वारा एवं ₹ 65.00 लाख समर्पण द्वारा की गई कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि लंबित देयको भुगतान हेतु की गई, जबकि कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2202-03.103.0103.0798- कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	2,10,63.78 74,14.84	2,84,78.62	2,79,80.50	(-) 4,98.12	₹ 74,14.84 लाख की निधियों का आवर्धन ₹ 93,92.00 लाख की वृद्धि पुनर्विनियोजन द्वारा एवं ₹ 19,77.16 लाख समर्पण द्वारा की गई कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि सातवें वेतन आयोग के बकाया भुगतान के लिए निधि की आवश्यकता तथा मूल बजट में कम प्रावधान के कारण आवश्यक अतिरिक्त निधि के कारण हुई जबकि कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.103.0103.4699- छात्रों के लिए पुस्तकें/स्टेशनरी आदि का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	2,20.05 2,55.00	4,75.05	4,71.92	(-) 3.13	₹ 2,55.00 लाख की निधियों का आवर्धन ₹ 2,70.00 लाख की वृद्धि पुनर्विनियोजन द्वारा एवं ₹ 15.00 लाख समर्पण द्वारा की गई कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि लंबित देयको भुगतान हेतु की गई, जबकि कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2202-03.103.0102.0798- कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	2,94,59.62 70,19.49	3,64,79.11	3,60,54.88	(-) 4,24.23	₹ 70,19.49 लाख की निधियों का आवर्धन ₹ 1,04,80.00 लाख की वृद्धि पुनर्विनियोजन द्वारा एवं ₹ 34,60.51 लाख समर्पण द्वारा की गई कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि सातवें वेतन आयोग के बकाया भुगतान के लिए निधि की आवश्यकता तथा मूल बजट में कम प्रावधान के कारण आवश्यक अतिरिक्त निधि के कारण हुई जबकि कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2202-03.103.0102.4699- छात्रों के लिए पुस्तकें/स्टेशनरी आदि का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	2,40.06 2,15.00	4,55.06	4,44.65	(-) 10.41	₹ 2,15.00 लाख की निधियों का आवर्धन ₹ 2,30.00 लाख की वृद्धि पुनर्विनियोजन द्वारा एवं ₹ 15.00 लाख समर्पण द्वारा की गई कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि लंबित देयको भुगतान हेतु की गई, जबकि कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.103.0101.0744- प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु निःशुल्क शिक्षा योजना	मूल पुनर्वि.	50.00 50.00	1,00.00	93.44	(-) 6.56	₹ 50.00 लाख की निधियों का आवर्धन मुख्य बजट में कम प्रावधान होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

प्रभारित

- (4) ₹ 10.00 लाख की संपूर्ण विनियोग 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित की गई।
 (5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.001.0101.0798- कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	10.00 (-) 10.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (6) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2021 प्राप्त किया ₹ 5,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
 (7) ₹ 92,32.92 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 92,30.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
 (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-01.203.0703.7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	30,00.00 (-) 22,82.90	7,17.10	7,17.10	0.00	₹ 22,82.90 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 15,00.00 लाख पुनर्विनियोजन + ₹ 7,82.90 समर्पण) अंशतः संभावित बचत के कारण हुई।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-01.203.0702.7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	43,00.00 (-) 39,41.45	3,58.55	3,58.55	0.00	₹ 39,41.45 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 25,00.00 लाख पुनर्विनियोजन + ₹ 14,41.45 समर्पण) अंशतः संभावित बचत के कारण हुई।
4202-01.203.0701.7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	1,15,00.00 (-) 83,02.65	31,97.35	31,97.35	0.00	₹ 83,02.65 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 60,00.00 लाख पुनर्विनियोजन + ₹ 23,02.65 समर्पण) अंशतः संभावित बचत के कारण हुई।
4202-03.102.0101.2329- नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर को अनुदान	मूल पूरक पुनर्वि.	0.01 5,00.00 (-) 5,00.00	0.01	0.00	(-) 0.01	₹ 5,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किए जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। (अगस्त 2021)

(9) उपरोक्त टिप्पणी (8) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-01.203.0102.7643- शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि	मूल पुनर्वि.	25,79.78 10,92.00	36,71.78	36,72.20	+ 0.42	₹ 10,92.00 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा 25,00.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 14,08.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान हेतु आवश्यकता होने के कारण हुई। जबकि कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4202-01.203.0102.7643- शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि	मूल पुनर्वि.	44,81.16 45,25.00	90,06.16	90,19.02	+ 12.86	₹ 45,25.00 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा 60,00.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 14,75.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान हेतु आवश्यकता होने के कारण हुई। जबकि कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य

(मुख्य शीर्ष- 2702-लघु सिंचाई)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

पूँजीगत:

दत्तमत

(1) उचन्त लेन-देन:-				
इस अनुदान के पूँजीगत (दत्तमत) अनुभाग में "उचंत" के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। "उचंत" के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अंतर्गत टिप्पणी (5) में की गई हैं।				
वर्ष 2020-21 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उप शीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अन्तशेषों सहित नीचे दिया गया है:-				
विवरण	01 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2021 को अंत शेष नामे + जमा (-)
4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय (लाख ₹ में)				
(1) क्रय	(-) 1,31.77	0.00	0.00	(-) 1,31.77
(2) भण्डार	(-) 27.12	0.00	0.00	(-) 27.12
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 65.36	0.00	0.00	+65.36
(4) कार्यशाला उचंत	+0.10	0.00	0.00	+0.10
योग	(-) 93.43	0.00	0.00	(-) 93.43

अनुदान संख्या 46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,16,92,88			
पूरक	0	1,16,92,88	1,16,82,87	(-) 10,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2021)				10,00

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	34,00,02			
पूरक	0	34,00,02	34,00,00	(-) 2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(1) ₹ 10.01 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2021 को राशि ₹ 10.00 अभ्यर्पित की गई।

पूंजीगत:

(2) ₹ 0.02 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार

(मुख्य शीर्ष—2203-तकनीकी शिक्षा, 2230-श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	8,86,82,06			
पूरक	18,91,20	9,05,73,26	7,88,57,61	(-) 1,17,15,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	4,00			
पूरक	0	4,00	93	(-) 3,07
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,34,80,41			
पूरक	0	3,34,80,41	1,78,91,94	(-) 1,55,88,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी एवं मार्च 2021 में ₹ 18,91.20 लाख में प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,17,15.65 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2203-105.0103.9238- डॉ बाबासाहेब अंबेडकर पोलीटेकनिक संस्थाएं	मूल	4,46.70	4,46.70	2,05.58	(-) 2,41.12	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2203-105.0102.9236- एकलव्य पोलीटेकनिक संस्थाएं	मूल	6,08.31	6,08.31	4,33.87	(-) 1,74.44	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2203-105.0101.2667- पोलीटेकनिक संस्थाएं	मूल पुनर्वि.	1,28,63.42 (-) 23,30.00	1,05,33.42	94,17.08	(-) 11,16.34	₹ 23,30.00 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,10.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 29.40 लाख की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि (₹ 10.00 लाख) राज्य शासन द्वारा त्र्यौहार अग्रिम के लिए आवर्धन एवं शिक्षक के वेतन में संशोधन न करने के कारण हुई। जबकि कमी मंहगाई भत्ते मंहगाई भत्ते का भुगतान न करने से (₹ 11,30.00 लाख) एवं शिक्षक के वेतन में संशोधन न करने के कारण हुई (₹ 18,10.00 लाख)। शेष वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2203-112.0101.5400-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	मूल	2,40.00	2,40.00	1,63.98	(-) 76.02	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2230-02.101.0801.0644-इंटरलिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस	मूल	2,00.00	2,00.00	50.86	(-) 1,49.14	कोविड-19 महामारी के कारण अधिक संख्या में नौकरी मेलों का आयोजन नहीं किए जाने से बचत हुई।
2230-02.101.0101.0724-जनभागीदारी के आधार पर रोजगार कार्यालयों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 50.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा स्वतंत्र अभियंता का पद रिक्त रहने के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.001.0801.7490-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	मूल	18,79.50	18,79.50	6,08.58	(-) 12,70.92	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.003.1203.0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल	1,15.00	1,15.00	41.70	(-) 73.30	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.003.1202.0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल	80.00	80.00	17.58	(-) 62.42	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.003.1201.0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल	9,42.57	9,42.57	6,07.07	(-) 3,35.50	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.003.0803.5346-नेशनल स्किल एजुकेशन	मूल पूरक	1.00 3,39.00	3,40.00	2,42.13	(-) 97.87	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2230-03.003.0701.2327-संकल्प प्रोजेक्ट	मूल पुनर्वि.	8,70.00 (-) 1,00.11	7,69.89	1,31.90	(-) 6,37.99	₹ 1,00.11 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा किए जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.003.0103.6477-व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार	मूल पुनर्वि.	43,41.53 (-) 7,24.20	36,17.33	28,47.25	(-) 7,70.08	₹ 7,24.00 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा किए जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2230-03.003.0102.6477-व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार	मूल पुनर्वि.	64,22.85 (-) 10,00.00	54,22.85	43,65.16	(-) 10,57.69	₹ 10,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा किए जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2230-03.101.0803.7490-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	मूल पूरक	7,52.25 31.80	7,84.05	99.32	(-) 6,84.73	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.101.0802.7490-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	मूल पूरक	5,84.25 31.80	6,16.05	33.12	(-) 5,82.93	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.101.0801.5392-स्ट्राइव योजना	मूल पूरक	5,00.00 5,11.00	10,11.00	6,05.00	(-) 4,06.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.101.0801.7490-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	पूरक	95.60	95.60	0.00	(-) 95.60	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2203-104.0101.0820- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना	मूल पुनर्वि.	54,30.45 19,00.00	73,30.45	72,20.25	(-) 1,10.20	₹ 19,00.00 लाख की निधियों का आवर्धन लंबित भुगतान के कारण किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2203-104.0101.5700- प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फेशन टेक्नॉलाजी की स्थापना	मूल पुनर्वि.	34.00 1,64.17	1,98.17	1,98.10	(-) 0.07	₹ 1,64.17 लाख की निधियों का आवर्धन एन.आई.टी लंबित भुगतान के कारण किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2203-800.0103.2377- मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना	मूल पुनर्वि.	50.00 75.00	1,25.00	1,25.00	0.00	₹ 75.00 लाख की निधियों का आवर्धन राज्य शासन द्वारा अध्यापकों के वेतन संशोधित न किये जाने के कारण हुई।
2203-800.0102.2377- मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना	मूल पुनर्वि.	50.00 75.00	1,25.00	1,25.00	0.00	₹ 75.00 लाख की निधियों का आवर्धन राज्य शासन द्वारा अध्यापकों के वेतन संशोधित न किये जाने के कारण हुई।
2203-800.0101.2377- मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना	मूल पुनर्वि.	1,06.00 3,80.37	4,86.37	4,86.33	(-) 0.04	₹ 3,80.37 लाख की निधियों का आवर्धन राज्य शासन द्वारा अध्यापकों के वेतन संशोधित न किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2230-03.003.0103.0740- मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन	मूल पुनर्वि.	0.01 1,00.11	1,00.12	1,00.11	(-) 0.01	₹ 1,00.11 लाख की निधियों का आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2230-03.003.0102.5373- युवा स्वाभिमान योजना	मूल पुनर्वि.	0.01 4,00.00	4,00.01	4,00.01	0.00	₹ 4,00.00 लाख की निधियों का आवर्धन राज्य शासन द्वारा अध्यापकों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.003.0101.0740- युवा स्वाभिमान योजना	मूल पुनर्वि.	1,13.00 4,80.00	5,93.00	1,96.33	(-) 3,96.67	₹ 4,80.00 लाख की निधियों का आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2230-03.003.0101.5373- युवा स्वाभिमान योजना	मूल पुनर्वि.	0.01 3,00.00	3,00.01	2,99.96	(-) 0.05	₹ 3,00.00 लाख की निधियों का आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2230-03.003.0101.6475- विकासखण्डों में कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	15.00 85.18	1,00.18	85.16	(-) 15.02	₹ 85.18 लाख की निधियों का आवर्धन के विशिष्ट कारण के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 1,55,88.47 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-02.104.0703.1232- आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन	मूल	69.00	69.00	0.00	(-) 69.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-02.104.0702.1232- आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन	मूल	48.00	48.00	0.00	(-) 48.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-02.104.0701.1232- आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन	मूल	1,83.00	1,83.00	0.00	(-) 1,83.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-02.104.0103.6215-	मूल	2,72.00	2,72.00	21.59	(-) 2,50.41	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
शिक्षा, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय						
4202-02.104.0102.6215-	मूल	4,21.00	4,21.00	28.94	(-) 3,92.06	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
शिक्षा, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय						
4202-02.104.0101.6215-	मूल	10,51.61	10,51.61	3,22.57	(-) 7,29.04	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
शिक्षा, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय						
4202-02.105.0103.5400-	मूल	2,05.76	2,05.76	73.31	(-) 1,32.45	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद						
4202-02.105.0102.5400-	मूल	2,82.28	2,82.28	88.26	(-) 1,94.02	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद						
4202-02.105.0101.5400-	मूल	6,20.96	6,20.96	2,58.53	(-) 3,62.43	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद						
4202-03.003.1203.0741-	मूल	48,30.00	48,30.00	4,54.00	(-) 43,76.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)						
4202-03.003.1202.0741-	मूल	33,60.00	33,60.00	6,81.00	(-) 26,79.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्षान्तर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)						
4250-201.0103.6477-	मूल	22,07.08	22,07.08	7,60.27	(-) 14,46.81	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार						

- (7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4250-201.0102.6952- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	40.00 1,00.00	1,40.00	86.41	(-) 53.59	₹ 1,00.00 लाख की निधियों के आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास

(मुख्य शीर्ष- 2055-पुलिस, 2801-बिजली, 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	13,29,96			
पूरक	0	13,29,96	12,40,51	(-) 89,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,05,66

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	23,98,93,68			
पूरक	26,80,02,00	50,78,95,68	50,19,52,26	(-) 59,43,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				62,93,41

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	60,00			
पूरक	0	60,00	2,06	(-) 57,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				57,94

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 1,05.66 लाख का अभ्यर्पण ₹ 89.45 लाख की उपलब्ध बचत से अधिक और अवास्तविक था।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2801-01.001.0101.5018- बरगी केनाल बेडपावर हाउस के परिचालन एवं संधारण व्यय	मूल पुनर्वि.	1,09.12 (-) 67.23	41.89	62.23	+ 20.34	समर्पण के रूप में ₹ 67.23 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (3) ₹ 59,43.42 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जनवरी 2021 (₹ 7,47,00.00 लाख) एवं मार्च 2021 (₹ 19,33,02.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 26,80,02.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (4) 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 62,93.41 लाख का अभ्यर्पण ₹ 59,43.42 लाख की उपलब्ध बचत से अधिक और अवास्तविक था।
- (5) यद्यपि ₹ 59,43.42 लाख की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उप शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुये हैं:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-43.001.0101.2428- निष्पादन स्थापना (यूनिट—एक एवं यूनिट—दो)	मूल पुनर्वि.	56,60.75 (-) 8,76.43	47,84.32	52,33.12	+ 4,48.80	₹ 8,76.43 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 10,46.83 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 1,71.62 लाख + समर्पण ₹ 8,75.21 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,70.40 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि अंशतः वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लेखानुदान के कारण अधिक व्यय के समायोजन के कारण हुई। शेष कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-43.800.0701.6534- इंदिरा सागर सी.ए.डी. प्लान	मूल पुनर्वि.	1,20.00 (-) 58.00	62.00	62.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 58.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,77.00 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,19.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वित्त विभाग के निर्देशानुसार वर्ष 2020-21 में विभिन्न परियोजनाओं में तत्काल पुनर्विनियोजन से परियोजना में उपलब्ध निधियों की व्यवस्था करने के कारण हुई। जबकि वृद्धि विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान के कारण हुई।
4700-45.800.0703.7369- कमान क्षेत्र विकास	मूल पुनर्वि.	30.00 (-) 30.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 30.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,08.00 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 78.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वित्त विभाग के निर्देशानुसार वर्ष 2020-21 में विभिन्न परियोजनाओं में तत्काल पुनर्विनियोजन से परियोजना में उपलब्ध निधियों की व्यवस्था करने के कारण हुई। जबकि वृद्धि विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान के कारण हुई।
4700-51.001.2428- निष्पादन स्थापना (यूनिट—एक एवं यूनिट—दो)	मूल पुनर्वि.	4,20.00 (-) 2,86.72	1,33.28	1,33.67	+ 0.40	₹ 2,86.72 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 2,66.19 लाख + समर्पण ₹ 20.53 लाख) की प्रत्याशित बचत लंबित बिलों के भुगतान के कारण हुई। शेष कमी (समर्पण ₹ 20.53 लाख) के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4700-51.001.3296- मण्डल की स्थापना का व्यय (रा.आ.बा.सा.परि.)	मूल पुनर्वि.	1,53.66 (-) 45.61	1,08.05	1,12.23	+ 4.18	₹ 45.61 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 45.79 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 0.18 लाख + समर्पण ₹ 45.61 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 0.18 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि त्र्यौहार अग्रिम के लिए राशि की व्यवस्था के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-65.800.0102.5090- अपर वेदा परियोजना	मूल पुनर्वि.	2,47.77 (-) 1,81.40	66.37	56.37	(-) 10.00	₹ 1,81.40 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 1,81.28 लाख + समर्पण ₹ 0.11 लाख) की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्देशानुसार लंबित बिलों के भुगतान के कारण हुई। शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4700-80.001.0101.2433- निष्पादन स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,80.41 (-) 39.46	1,40.95	1,47.34	+ 6.39	₹ 39.46 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 51.68 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 12.22 लाख + समर्पण ₹ 39.46 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 12.22 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लेखानुदान के कारण अधिक व्यय के समायोजन के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारण के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4700-80.800.1402.1250- अलीराजपुर उद्बहन सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	5,00.00 4,25.52	9,25.52	4,25.52	(-) 5,00.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 4,25.52 लाख का आवर्धन लंबित बिलों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4700-80.800.0102.1406- काली सिंध लिंक परियोजना	मूल पुनर्वि.	60,00.00 (-) 3,80.00	56,20.00	52,70.00	(-) 3,50.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 3,80.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 12,00.00 लाख की कमी एवं ₹ 8,20.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वित्त विभाग के निर्देशानुसार हुई। जबकि वृद्धि नर्मदा काली सिंध परियोजना के लंबित बिलों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4700-80.800.0101.0822- जावर उद्बहन सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-) 26,96.00	23,04.00	23,04.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 26,96.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 29,77.00 लाख की कमी एवं ₹ 2,81.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि लंबित बिलों के भुगतान के कारण हुई।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-80.800.0101.1936- पिपरी उद्बहन माइक्रों सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	8,00.00 (-) 2,47.57	5,52.43	4,38.00	(-) 1,14.43	₹ 2,47.57 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 6,47.57 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 6,47.00 लाख + समर्पण ₹ 0.57 लाख) की कमी एवं ₹ 4,00.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वित्त विभाग के निर्देशानुसार एवं लंबित बिलों के भुगतान के कारण हुई। वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4700-80.800.0101.2335- पाटी उद्बहन माइक्रों सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	6,50.00 (-) 4,24.63	2,25.37	1,25.37	(-) 1,00.00	₹ 4,24.63 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्देशानुसार एवं लंबित बिलों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4700-80.800.0101.5427- दही उद्बहन माइक्रों सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	28,50.00 5,15.79	33,65.79	17,50.40	(-) 16,15.39	₹ 5,15.79 लाख का आवर्धन बचत प्रावधान में ₹ 10,70.60 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 10,70.00 लाख + समर्पण ₹ 0.60 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 15,86.39 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लेखानुदान के कारण अधिक व्यय के समायोजन के कारण हुई। जबकि वृद्धि लंबित बिलों के भुगतान के कारण हुई। शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4701-11.001.0102.4653- स्थापना (मान-परियोजना)	मूल पुनर्वि.	4,21.93 (-) 73.17	3,48.76	3,58.27	+ 9.51	₹ 73.17 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 2,27.87 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 1,54.70 लाख + समर्पण ₹ 13.17 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,54.70 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अंशतः वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लेखानुदान के कारण अधिक व्यय के समायोजन के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारण के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4801-80.800.0101.2422- निष्पादन—स्थापना (मुख्य अभियंता निचली नर्मदा परियोजना)	मूल	2,50.00				पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्देशानुसार हुई।
	पुनर्वि.	(-) 50.00	2,00.00	2,00.00	0.00	

(6) उपरोक्त टिप्पणी (5) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-51.800.0101.2428- निष्पादन स्थापना (यूनिट—एक एवं यूनिट—दो)	मूल	2,30.00				₹ 15.92 लाख का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,34.08 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 1,34.00 लाख + समर्पण ₹ 0.08 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,50.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः वित्त विभाग के निर्देशानुसार एवं लंबित बिलों के भुगतान के कारण हुई। जबकि वृद्धि आर.ए.बी.एल.ओ. 5 परियोजना के लंबित बिलों के भुगतान के कारण हुई। शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि.	15.92	2,45.92	2,45.92	0.00	
4700-80.800.0103.0651- उज्जैनी देवास उज्जैन पाइप लाइन योजना	मूल	5,92.00				₹ 2,68.00 लाख का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,32.00 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 1,31.40 लाख + समर्पण ₹ 0.60 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 4,00.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः वित्त विभाग के निर्देशानुसार एवं लंबित बिलों के भुगतान के कारण हुई। जबकि वृद्धि उज्जैनी देवास पाइप लाइन के लंबित बिलों के भुगतान के कारण हुई। शेष कमी (₹ 0.60 लाख) के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि.	2,68.00	8,60.00	13,56.00	+ 4,96.00	

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-80.800.0102.1250- अलीराजपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	77,00.00 4,69.00	81,69.00	1,02,84.39	+ 21,15.39	₹ 4,69.00 लाख का आवर्धन प्रावधान में समर्पण के रूप में ₹ 0.90 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 4,69.90 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि वित्त विभाग के निर्देशानुसार हुई। कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

(7) उचंत लेन-देन:-

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) में वर्ष 2020-21 के दौरान उचंत शीर्ष के अन्तर्गत कोई भी व्यय दर्ज नहीं किये गये हैं। उचन्त के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (5) में की गई हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उप-शीर्षों के अन्तर्गत लेखांकित उचंत लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	1 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2021 को अंत शेष नामे + जमा(-)
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय- (लाख ₹ में)				
(i) भण्डार	+ 13.47	0.00	0.00	+ 13.47
(ii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 3.82	0.00	0.00	(-) 3.82
योग	+ 9.65	0.00	0.00	+ 9.65
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
(i) क्रय	(-) 55.08	0.00	0.00	(-) 55.08
(ii) भण्डार	(-) 21,11.65	0.00	0.00	(-) 21,11.65
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 1,02.80	0.00	0.00	(-) 1,02.80
(iv) कार्यशाला उचंत	(-) 2,58.61	0.00	0.00	(-) 2,58.61
योग	(-) 25,28.14	0.00	0.00	(-) 25,28.14
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
(i) भण्डार	+ 67.09	0.00	0.00	+ 67.09
(ii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 2,37.78	0.00	0.00	(-) 2,37.78
योग	(-) 1,70.69	0.00	0.00	(-) 1,70.69

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास समाप्त

प्रभारित

- (8) 31 मार्च 2021 संपूर्ण बचत ₹ 57.94 लाख को अभ्यर्पित की गई।
- (9) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-43.001.0101.4641- स्थापना	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 50.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2801-बिजली, 4225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	9,84,08,32			
पूरक	2,51,12,00	12,35,20,32	11,12,10,86	(-) 1,23,09,46
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,31,69,01

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,00			
पूरक	0	10,00	0	(-) 10,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				10,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,63,07,05			
पूरक	0	2,63,07,05	1,70,85,18	(-) 92,21,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				93,98,41

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 1,23,09.46 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया, ₹ 2,51,12.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,23,09.46 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को ₹ 1,31,69.01 लाख अभ्यर्पित किया जो उपलब्ध बचत से अधिक एवं अवास्तविक था।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.001.2294- संचालनालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	7,36.05 (-) 1,53.29	5,82.76	5,84.85	+ 2.09	₹ 1,53.29 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 1,48.29 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 5.00 लाख) के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.277.0803.7764- पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य)	मूल पूरक पुनर्वि.	1,40,00.00 50,00.00 (-) 36,54.01	1,53,45.99	1,54,50.75	+ 1,04.76	समर्पण के रूप में ₹ 36,54.01 लाख की प्रत्याशित बचत स्वीकृत करने की नवीन प्रक्रिया विकसित होने के कारण छात्रवृत्ति समय पर भुगतान न होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.277.0103.1398- सीनियर छात्रावास	मूल पुनर्वि.	1,15,08.53 (-) 24,19.68	90,88.85	78,53.96	(-) 12,34.89	₹ 24,19.68 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 1,53.17 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 8,88.50 लाख) कोविड-19 के कारण छात्रावास बन्द होने से व्यय न होने के कारण हुई। बचे हुए प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-18, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.277.0103.7562- उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास	मूल पुनर्वि.	14,98.50 (-) 8,14.33	6,84.17	6,98.72	+ 14.55	समर्पण के रूप में ₹ 8,14.33 लाख की प्रत्याशित बचत कोविड-19 के कारण छात्रावास बन्द होने से व्यय न होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.800.0803.1213- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	मूल	40,00.01	63,87.02	67,41.52	+ 3,54.50	समर्पण के रूप में ₹ 26,12.99 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पूरक	50,00.00				
	पुनर्वि.	(-) 26,12.99				
2225-01.800.0103.6102- अनुसूचित जाति सेवा पुरुस्कार, पारितोषिक एवं सम्मान	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 40.00 लाख की प्रत्याशित बचत कोविड-19 के कारण छात्रवास बन्द होने से व्यय न होने के कारण हुई।
	पुनर्वि.	(-) 40.00				
2801-06.800.0603.5084- अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के कुओं तक विद्युत लाइन का विकास	मूल	20,00.00	10,50.56	10,67.26	+ 16.70	समर्पण के रूप में ₹ 9,49.44 लाख की प्रत्याशित बचत कोविड-19 के कारण छात्रवास बन्द होने से व्यय न होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पुनर्वि.	(-) 9,49.44				

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-01.277.0103.8801- सैनिक स्कूल/निजी संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति	मूल	4,69.97	11,72.36	11,83.92	+ 11.56	₹ 7,02.39 लाख का निधियों का आर्वधन प्रावधान में ₹ 1,86.11 लाख की कमी समर्पण के रूप में एवं ₹ 8,88.50 लाख की वृद्धि पुनर्विनियोजन के रूप में का निवल प्रभाव थी। कमी जिला द्वारा राशि आहरण न करने के कारण एवं कोविड-19 के कारण चयनित विद्यार्थियों में विदेश स्थित शिक्षण संस्थानों में कम प्रवेश लेने के कारण हुई। ₹ 8,88.50 लाख की वृद्धि सहित अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि.	7,02.39				

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.800.0103.7763- अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता	मूल पुनर्वि.	75,00.00 (-) 2,71.93	72,28.07	90,48.63	+ 18,20.56	समर्पण के रूप में ₹ 2,71.93 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय पर लगाये गये प्रतिबंध से छूट न प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

प्रभारित

- (5) ₹ 10.00 लाख की सम्पूर्ण बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
(6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.001.2294- संचालनालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	10.00 (-) 10.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत ₹ 10.00 लाख के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (7) ₹ 92,21.87 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को ₹ 93,98.41 लाख अभ्यर्पित किया जो उपलब्ध बचत से अधिक एवं अवास्तविक था।
(8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-01.277.0103.4717- अनुसूचित जाति छात्रावास	मूल पुनर्वि.	50,00.02 (-) 19,38.44	30,61.58	30,51.02	(-) 10.56	समर्पण के रूप में ₹ 19,38.44 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-01.800.0803.5635- बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना	मूल पुनर्वि.	11,00.00 (-) 3,70.50	7,29.50	7,29.50	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,70.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4225-01.800.0603.4722- अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों का विकास	मूल पुनर्वि.	1,01,97.00 (-) 53,67.90	48,29.10	48,29.10	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 53,67.90 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा इस शीर्ष के अंतर्गत केवल ₹ 48,29.10 लाख स्वीकृत करने के कारण हुई।
4225-01.800.0103.4722- अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों का विकास	मूल पुनर्वि.	80,00.00 (-) 14,35.33	65,64.67	67,51.77	+ 1,87.10	समर्पण के रूप में ₹ 14,35.33 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः जिला स्तर पर समिति की बैठक न होने से कार्यों की स्वीकृति न होने के कारण राशि व्यय न हो पाने के कारण हुई। शेष बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण

(मुख्य शीर्ष- 2401-फसल कृषि कर्म, 4401—फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,13,40,55			
पूरक	28,85,81	5,42,26,36	4,02,15,64	(-) 1,40,10,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,40,07,67

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	10	(-) 90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				90

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	68,00,00			
पूरक	5,00,00	73,00,00	4,82,27	(-) 68,17,73
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				68,17,73

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2021 में प्राप्त किया ₹ 28,85.81 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,40,10.72 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 1,40,07.67 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-109.0701.7692- राष्ट्रीय औषधीय पौधा मिशन	मूल पुनर्वि.	3,00.00 (-) 97.07	2,02.93	2,02.93	0.00	₹ 97.07 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0702.5116- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	मूल पुनर्वि.	6,99.99 (-) 6,51.66	48.33	3,90.93	+ 3,42.60	₹ 6,51.66 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2401-119.0103.2816- फसल बीमा योजना	मूल पुनर्वि.	8,00.00 (-) 2,79.49	5,20.51	5,20.51	0.00	₹ 2,79.49 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2401-119.0103.5408- मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	4,48.00 (-) 1,91.05	2,56.95	0.00	(-) 2,56.95	₹ 1,91.05 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2401-119.0103.6496- उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अंधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन	मूल पुनर्वि.	5,85.46 (-) 3,42.21	2,43.25	2,43.25	0.00	₹ 3,42.21 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-119.0102.2816- फसल बीमा योजना	मूल पुनर्वि.	11,50.00 (-) 4,21.43	7,28.57	7,28.57	0.00	₹ 4,21.43 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0102.5408- मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	6,44.00 (-) 3,01.40	3,42.60	0.00	(-) 3,42.60	₹ 3,01.40 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2401-119.0102.6496- उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अंधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन	मूल पुनर्वि.	8,41.54 (-) 4,71.27	3,70.27	3,70.27	0.00	₹ 4,71.27 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0101.2816- फसल बीमा योजना	मूल पुनर्वि.	30,50.00 (-) 11,49.38	19,00.62	19,00.62	0.00	₹ 11,49.38 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2401-119.0101.5153- उद्योग संवर्धन नीति अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की योजना	मूल पुनर्वि.	31,83.00 (-) 21,87.97	9,95.03	9,95.03	0.00	₹ 21,87.97 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0101.5408- मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	17,08.00 (-) 5,94.55	11,13.45	0.00	(-) 11,13.45	₹ 5,94.55 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0101.6496- उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अंधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन	मूल पुनर्वि.	22,31.94 (-) 12,61.66	9,70.28	9,70.28	0.00	₹ 12,61.66 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2021 में प्राप्त किया ₹ 5,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) सम्पूर्ण बचत से 31 मार्च 2021 को ₹ 68,17.73 लाख अभ्यर्पित किये गये हैं।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4401-119.0103.5474- मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना	मूल पुनर्वि.	10,88.00 (-) 10,88.00	0.00	0.00	0.00	₹ 10,88.00 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4401-119.0102.5474- मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना	मूल पुनर्वि.	15,64.00 (-) 15,64.00	0.00	0.00	0.00	₹ 15,64.00 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4401-119.0101.5474- मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना	मूल पुनर्वि.	41,48.00 (-) 41,48.00	0.00	0.00	0.00	₹ 41,48.00 लाख की सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 51-अध्यात्म

(मुख्य शीर्ष- 2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ, 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	48,14,41			
पूरक	2,00,00	50,14,41	39,20,52	(-) 10,93,89
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,50			
पूरक	0	1,50	0	(-) 1,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 51—अध्यात्म जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 2,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 10,93.89 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2250-800.0258- अन्य संस्थानों को अनुदान	मूल	3,05.00	3,05.00	10.00	(-) 2,95.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2250-800.1477- संचालक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व की स्थापना	मूल	2,12.71	2,12.71	67.87	(-) 1,44.84	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2250-800.5410- पुजारी कल्याण कोष	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-) 1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2250-800.5416- मठ मंदिर सलाहकार समिति	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2250-800.5805- धर्मशालाओं का निर्माण	मूल	90.93	90.93	0.00	(-) 90.93	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2250-800.6273- तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण की स्थापना	मूल पूरक	1,00.00 2,00.00	3,00.00	90.94	(-) 2,09.06	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 51—अध्यात्म समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2250-800.0103.2104- बोली आंचलिक भाषा एवं धार्मिक प्रकाशन	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूंजीगत:

दत्तमत

(4) ₹ 0.01 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 52-चिकित्सा शिक्षा
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	12,85,86,76			
पूरक	0	12,85,86,76	12,00,48,00	(-) 85,38,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,75,00,37			
पूरक	0	7,75,00,37	5,70,16,94	(-) 2,04,83,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 85,38.76 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2210-01.110.0102.1353- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	मूल 2,28,31.13 पुनर्वि. (-) 33,19.46	1,95,11.67	1,92,16.43	(-) 2,95.24	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 33,19.46 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 40,42.40 लाख की कमी एवं ₹ 7,22.94 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी लंबित बिलों के भुगतान, अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण हुई। जबकि वृद्धि लेखानुदान के कारण उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 52-चिकित्सा शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.110.0101.1353- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	मूल पुनर्वि.	6,64,38.53 (-) 20,44.65	6,43,93.88	6,28,61.51	(-) 15,32.37	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 20,44.65 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 73,15.28 लाख की कमी एवं ₹ 52,70.63 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी लंबित बिलों के भुगतान, अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण हुई। जबकि वृद्धि बिजली बिलों की प्रतिपूर्ति, अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति एवं बजट में कमी के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-05.105.1355- चिकित्सा शिक्षा संचालनालय	मूल पुनर्वि.	6,96.76 (-) 55.04	6,41.72	5,06.04	(-) 1,35.68	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 55.04 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,16.44 लाख की कमी एवं ₹ 61.40 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः वेतन एवं अन्य के भुगतान, अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण हुई। जबकि वृद्धि बजट में कमी, अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एवं लेखानुदान के कारण उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने के कारण हुई। शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-05.105.0703.1211-पी.एम.एस.एस.वाय.परिसर अंतर्गत सुपरस्पेशल्टी अस्पताल की स्थापना	मूल पुनर्वि.	2,78.00 (-) 65.40	2,12.60	1,49.98	(-) 62.62	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 65.40 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-05.105.0702.1211-पी.एम.एस.एस.वाय.परिसर अंतर्गत सुपरस्पेशल्टी अस्पताल की स्थापना	मूल	3,84.00	3,84.00	2,58.49	(-) 1,25.51	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-05.105.0701.1211-पी.एम.एस.एस.वाय.परिसर अंतर्गत सुपरस्पेशल्टी अस्पताल की स्थापना	मूल	8,70.00	8,70.00	6,32.59	(-) 2,37.41	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-05.105.0101.6458-चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में वायरोलॉजी लेब की स्थापना (13वां वित्त आयोग)	मूल	1,70.00	1,70.00	82.61	(-) 87.39	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-05.105.0101.6591-जबलपुर में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	3,25.00 15.00	3,40.00	0.00	(-) 3,40.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 15.00 लाख का आवर्धन लेखानुदान के कारण उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-05.105.0101.7502- चिकित्सा महाविद्यालयों में आई.सी.टी. सपोर्ट / प्रशिक्षण सहायता / स्मार्ट क्लास का उन्नयन	मूल पुनर्वि.	5,64.00 (-) 3,86.00	1,78.00	17.28	(-) 1,60.72	₹ 3,86.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-05.105.0527- इन्दौर में परिचर्या महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	3,22.67 57.10	3,79.77	4,24.28	+ 44.51	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 57.10 लाख का आवर्धन प्रावधान में ₹ 17.22 लाख की कमी एवं ₹ 74.32 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः वेतन एवं अन्य के भुगतान, अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण हुई। जबकि वृद्धि बजट में कमी के कारण हुई। शेष कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2210-05.105.0103.9080- रतलाम / दतिया / शिवपुरी / छिन्दवाड़ा / सतना चिकित्सा महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	28,00.00 15,00.00	43,00.00	31,02.65	(-) 11,97.35	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 15,00.00 लाख का आवर्धन वेतन के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

पूँजीगत:

- (4) ₹ 2,04,83.43 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा जारी

(5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-03.105.0703.2061- एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि	मूल	26,25.01	26,25.01	13,15.17	(-) 13,09.84	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.105.0702.2061- एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि	मूल	26,11.54	26,11.54	8,69.40	(-) 17,42.14	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4210-03.105.0701.1210- स्टेट कैसर इंस्टीट्यूट जबलपुर की स्थापना	मूल पुनर्वि.	40,00.00 (-) 4,42.00	35,58.00	3,34.68	(-) 32,23.32	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 4,42.00 लाख की प्रत्याशित बचत लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.105.0701.1944- चिकित्सा महाविद्यालय में बायरोलॉजी की स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-) 81.40	18.60	17.54	(-) 1.06	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 81.40 लाख की प्रत्याशित बचत लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.105.0701.1946- बर्न यूनिट की स्थापना	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-) 1,00.00	9,00.00	3,27.64	(-) 5,72.36	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4210-03.105.0701.2061- एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि	मूल पुनर्वि.	87,64.05 1,04.00	88,68.05	61,79.74	(-) 26,88.31	₹ 1,04.00 लाख का आवर्धन प्रावधान में ₹ 25,52.00 लाख की कमी एवं ₹ 26,56.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी आन्तरिक बचत, लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। जबकि वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-03.105.0701.2064- टरटियरी केयर कैंसर, ग्वालियर	मूल पुनर्वि.	25,00.00 (-) 10,18.46	14,81.54	1,00.00	(-) 13,81.54	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 10,18.46 लाख की प्रत्याशित बचत लंबित देयकों के भुगतान एवं अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.105.0701.6460- चिकित्सा महाविद्यालय में पी. जी. पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	80,00.00 (-) 56,56.00	23,44.00	32.00	(-) 23,12.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 56,56.00 लाख की प्रत्याशित बचत लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.105.0101.5632- जन निजी भागीदारी अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान	मूल	20,00.00	20,00.00	0.00	(-) 20,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4210-03.105.0101.7280- मानसिक चिकित्सालय इन्दौर एवं मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर का उन्नयन	मूल पुनर्वि.	98.01 (-) 98.00	0.01	0.00	(-) 0.01	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 98.00 लाख की प्रत्याशित बचत लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

(6) उपरोक्त टिप्पणी (5) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 52-चिकित्सा शिक्षा समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-03.105.0701.1211- पी.एम.एस.एस.वाय.परिसर अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना	मूल	10,00.00	10,00.00	24,93.00	+ 14,93.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4210-03.105.0102.5402- छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस	मूल पुनर्वि.	3,00.00 7,91.48	10,91.48	10,91.48	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 7,91.48 लाख का आवर्धन लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई।
4210-03.105.0102.7296- चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में दो हजार बेड्स का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण	मूल पुनर्वि.	8,02.38 20,00.00	28,02.38	28,02.00	(-) 0.38	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 20,00.00 लाख का आवर्धन लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4210-03.105.0101.5402- छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस	मूल पुनर्वि.	10,00.00 9,00.00	19,00.00	19,00.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 9,00.00 लाख का आवर्धन लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई।
4210-03.105.0101.7158- चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में 1000 बिस्तर अस्पताल का निर्माण	मूल पुनर्वि.	20,94.31 21,45.97	42,40.28	42,40.28	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 21,45.97 लाख का आवर्धन निर्माण हेतु लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई।
4210-03.105.0101.7296- चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में दो हजार बेड्स का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण	मूल पुनर्वि.	49,44.88 15,00.00	64,44.88	59,71.72	(-) 4,73.16	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 15,00.00 लाख का आवर्धन लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2215-जलपूर्ति तथा सफाई, 2216-आवास, 2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2401-फसल कृषि कर्म, 2403-पशु पालन, 2405-मछली उद्योग, 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505-ग्रामीण रोजगार, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2702-लघु सिंचाई, 2851-ग्राम एवं लघु उद्योग, 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,57,21,48,34			
पूरक	45,16,97,28	2,02,38,45,62	1,99,49,40,91	(-) 2,89,04,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,76,18,63

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,16,04,01			
पूरक	0	1,16,04,01	40,63,63	(-) 75,40,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				61,01,66

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 2,89,04.71 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जनवरी 2021 (₹ 25,83,63.29 लाख) एवं मार्च 2021 (₹ 19,33,33.98 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 45,16,97.28 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,89,04.71 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 1,76,18.63 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता जारी

- (3) यद्यपि ₹ 2,89,04.71 लाख की समग्र बचत कुल विनियोग के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उप शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचत परिलक्षित हुई है:—

बचत:

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2202-02.196.0103.8403-	मूल	2,29,06.74	2,29,06.74	90,65.99	(-) 1,38,40.75	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.196.0102.8403-	मूल	3,29,28.40	3,29,28.40	1,33,62.81	(-) 1,95,65.59	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.196.0101.8403-	मूल	8,73,31.86	8,73,31.86	8,65,73.09	(-) 7,58.77	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-198.8393-	मूल	81.14	81.14	18.00	(-) 63.14	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-198.0701.8775-	मूल	60,00.00	60,00.00	39,76.20	(-) 20,23.80	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2515-198.0101.1221-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	मूल	6,07,56.01	6,07,56.01	0.00	(-) 6,07,56.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2853-02.198.0103.6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	मूल	1,05,93.81	1,05,93.81	92,45.94	(-) 13,47.87	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 53-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2853-02.198.0101.6299- ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	मूल	3,73,51.53	3,73,51.53	3,67,23.93	(-) 6,27.60	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
3604-196.0101.0819- पेयजल आपूर्ति का विकास एवं संधारण	मूल	24,00.00	24,00.00	22,00.62	(-) 1,99.38	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
3604-198.0102.6602- स्थानीय निकायों/ पंचायती राज संस्थाओं को कर संग्रहण प्रोत्साहन अनुदान	मूल	21.00	21.00	0.00	(-) 21.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

आधिक्य

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.196.01038805- राज्य शासन अनु. जाति/जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 1 एवं 8)	मूल	23,10.00	23,10.00	33,10.00	+ 10,00.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2505-01.198.0703.6923- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मूल	8,00,00.01	9,55,00.01	10,61,01.41	+ 1,06,01.40	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
	पूरक	1,55,00.00				
2505-01.198.0702.6923- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मूल	7,49,99.99	8,87,49.99	10,83,97.96	+ 1,96,47.97	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
	पूरक	1,37,50.00				
2515-198.1303.9638- 15वें वित्त आयोग की अनुशांसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	मूल	5,78,08.00	5,78,08.00	7,37,44.00	+ 1,59,36.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2515-198.1301.9638- 15वें वित्त आयोग की अनुशांसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	मूल	17,22,68.00	17,22,68.00	23,30,24.00	+ 6,07,56.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-198.0701.0647- ग्राम स्वराज अभियान	मूल	48,31.44	48,31.44	67,45.92	+ 19,14.48	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

पूँजीगत:

- (4) ₹ 75,40.38 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 61,01.66 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4217-60.800.0103.7393- विमुक्त जाति छात्रावास	मूल	2,00.00	2,00.00	30.65	(-) 1,69.35	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4515-198.0703.6099- मध्याह्न भोजन—किचन शेड का निर्माण	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-) 10,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 10,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त न होने के कारण हुई।
4515-198.0702.6099- मध्याह्न भोजन—किचन शेड का निर्माण	मूल पुनर्वि.	16,00.00 (-) 16,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 16,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त न होने के कारण हुई।
4515-198.0701.6099- मध्याह्न भोजन—किचन शेड का निर्माण	मूल पुनर्वि.	35,00.00 (-) 35,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 35,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4515-800.0422.6084- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना	मूल पुनर्वि.	31,28.00 (-) 0.23	31,27.77	27,40.99	(-) 3,86.78	समर्पण के रूप में ₹ 0.23 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4515-800.0103.6084- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना	मूल पुनर्वि.	21,76.00 (-) 1.43	21,74.57	12,91.98	(-) 8,82.59	समर्पण के रूप में ₹ 1.43 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 54—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,64,14,21			
पूरक	0	1,64,14,21	1,64,14,20	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास

(मुख्य शीर्ष- 2059-लोक निर्माण कार्य, 2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236-पोषण, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	49,91,42,89			
पूरक	1,36,85,32	51,28,28,21	47,97,44,14	(-) 3,30,84,07
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				3,39,80,72

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,15			
पूरक	0	2,15	0	(-) 2,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	93,76,06			
पूरक	0	93,76,06	35,57,89	(-) 58,18,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				58,25,97

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 1,36,85.32 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 3,39,80.72 का अभ्यर्पण ₹ 3,30,84.07 लाख की उपलब्ध बचत से अधिक और अवास्तविक था।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.102.1201.1291-आई.सी.डी.एस. के सुदृढीकरण एवं पोषण स्तर सुधार की परियोजना (ई-स्निप)/एन.एन.एम.	मूल पुनर्वि.	1,12,15.95 (-) 84,79.87	27,36.08	27,42.44	+ 6.36	₹ 84,79.87 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 94,12.92 लाख की कमी (समर्पण के रूप में ₹ 11,21.75 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 82,91.17 लाख) और पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 9,33.05 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत एवं आउटसोर्स के भुगतान के कारण हुई। जबकि वृद्धि इस योजना के तहत ब्याज राशि के प्रावधान एवं मानदेय का प्रावधान नहीं करने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02-102.0701.0658- आँगनबाड़ी सेवाएं	मूल पुनर्वि.	7,51,00.30 (-) 62,99.00	6,88,01.30	6,88,50.72	+ 49.42	₹ 62,99.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 63,92.06 लाख की कमी (समर्पण के रूप में ₹ 36,44.99 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 27,47.07 लाख) और ₹ 93.06 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी इस शीर्ष के अंतर्गत कम व्यय एवं संभावित बचत के कारण हुई। जबकि वृद्धि आवश्यकता से कम प्रावधान होने के कारण हुई। शेष कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.102.0701.1291 - आई.सी.डी.एस. के सुदृढीकरण एवं पोषण स्तर सुधार की परियोजना (ई-स्निप)/एन.एन.एम.	मूल पुनर्वि.	51,86.60 (-) 31,63.10	20,23.50	20,31.33	+ 7.83	₹ 31,63.10 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 31,79.48 लाख की कमी (समर्पण के रूप में ₹ 2,74.98 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 29,04.50 लाख) और पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 16.38 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः संभावित बचत के कारण हुई। जबकि वृद्धि वित्त विभाग की सहमति से दो नए वाहनों की क्रय करने के कारण हुई। शेष कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.103.0801.1071- महिला हेल्प लाईन 181	मूल पुनर्वि.	49.97 (-) 46.38	3.59	3.59	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 46.38 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2235-02.103.0703.6103- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	मूल पुनर्वि.	10,44.41 (-) 2,26.03	8,18.38	8,18.98	+ 0.60	₹ 2,26.03 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 3,23.48 लाख की कमी (समर्पण के रूप में ₹ 2,26.03 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 97.45 लाख) और पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 97.45 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः अधिक बजट प्रावधान होने के कारण हुई। जबकि वृद्धि कम बजट प्रावधान के कारण हुई। शेष कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2235-02.103.0703.6917- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (आई.जी.एम.एस. वाई)	पूरक पुनर्वि.	21,89.65 (-) 21,89.65	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 21,89.65 लाख (समर्पण के रूप में ₹ 5,45.28 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 16,44.37 लाख) की प्रत्याशित बचत अंशतः संभावित बचत के कारण उत्पन्न हुई है। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2235-02.103.0702.6917- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (आई.जी.एम.एस. वाई)	पूरक पुनर्वि.	31,47.62 (-) 31,47.62	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 31,47.62 लाख (समर्पण के रूप में ₹ 72.82 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 24,19.38 लाख) की प्रत्याशित बचत अंशतः संभावित बचत के कारण उत्पन्न हुई है। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.103.0701.1326- स्वाधार गृह	मूल पुनर्वि.	2,50.00 (-) 1,28.38	1,21.62	1,21.62	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,28.38 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.103.0701.2367- महिला शक्ति केन्द्र	मूल पुनर्वि.	18,55.13 (-) 18,55.13	0.00	0.00	0.00	₹ 18,55.13 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में ₹ 21.81 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 18,33.32 लाख) अंशतः संभावित बचत के कारण उत्पन्न हुई है। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.103.0701.2375- सेफ सिटी कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	1,74.50 (-) 1,14.97	59.53	59.53	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,14.97 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.103.0701.6917- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (आई.जी.एम.एस. वाई)	मूल पूरक पुनर्वि.	1,43,02.04 83,48.05 (-) 83,30.98	1,43,19.11	1,43,19.11	0.00	₹ 83,30.98 लाख (समर्पण के रूप में ₹ 11,68.20 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 71,62.78 लाख) की प्रत्याशित बचत अंशतः संभावित बचत के कारण उत्पन्न हुई है। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.103.0103.5033- जबाली योजना	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-) 1,00.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत वास्तविक व्यय के आधार पर हुई।
2235-02.800.0101.3457- मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना (महिला कल्याण कोष के अंतर्गत योजनाएं)	मूल पुनर्वि.	90.93 (-) 48.29	42.64	42.64	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 48.29 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2236-02.101.0703.6392- किशोरी बालिका योजना	मूल पुनर्वि.	8,88.94 (-) 8,64.28	24.66	24.66	0.00	₹ 8,64.28 लाख (समर्पण के रूप में ₹ 5.34 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 8,58.94 लाख) की प्रत्याशित बचत अंशतः संभावित बचत के कारण उत्पन्न हुई है। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2236-02.101.0703.9050- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	मूल पुनर्वि.	3,50,00.02 (-) 1,07,23.43	2,42,76.59	2,43,51.71	+ 75.12	₹ 1,07,23.43 लाख (समर्पण के रूप में ₹ 12,19.10 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 95,04.33 लाख) की प्रत्याशित बचत अंशतः संभावित बचत के कारण उत्पन्न हुई है। शेष बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2236-02.101.0702.6392- किशोरी बालिका योजना	मूल पुनर्वि.	13,33.39 (-) 9,60.63	3,72.76	3,72.76	0.00	₹ 9,60.63 लाख (समर्पण के रूप में ₹ 40.24 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 9,20.39 लाख) की प्रत्याशित बचत अंशतः संभावित बचत के कारण उत्पन्न हुई है। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2236-02.101.0702.9050- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	मूल पुनर्वि.	3,50,00.02 (-) 48,53.17	3,01,46.85	3,02,67.91	+1,21.06	₹ 48,53.17 लाख (समर्पण के रूप में ₹ 17,21.04 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 31,32.13 लाख) की प्रत्याशित बचत अंशतः संभावित बचत के कारण उत्पन्न हुई है। शेष बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2236-02.101.0701.6392- किशोरी बालिका योजना	मूल पुनर्वि.	22,77.67 (-) 20,05.44	2,72.23	2,72.23	0.00	₹ 20,05.44 लाख (समर्पण के रूप में ₹ 53.17 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 19,52.27 लाख) की प्रत्याशित बचत अंशतः संभावित बचत के कारण उत्पन्न हुई है। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2236-02.101.0701.9050- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	मूल पुनर्वि.	7,50,00.02 (-) 1,87,45.91	5,62,54.11	5,63,41.57	+ 87.46	₹ 1,87,45.91 लाख (समर्पण के रूप में ₹ 20,78.25 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,66,67.66 लाख) की प्रत्याशित बचत अंशतः संभावित बचत के कारण उत्पन्न हुई है। शेष बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.103.0101.5067- लाइली लक्ष्मी योजना	मूल पुनर्वि.	5,46,88.93 4,98,69.18	10,45,58.11	10,45,61.95	+ 3.84	₹ 4,98,69.18 लाख की निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,83,64.61 लाख (समर्पण के रूप में ₹ 1,19,62.78 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 64,01.83 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 6,82,33.79 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः संभावित बचत के कारण उत्पन्न हुई हैं जबकि वृद्धि इस योजना के तहत ब्याज राशि के प्रावधान के कारण हुई। शेष बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (5) 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 58,25.97 लाख अभ्यर्पण ₹ 58,18.17 लाख की उपलब्ध बचत से अधिक और अवास्तविक था।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4235-02.102.0701.0658- ऑनबाडी सेवाएं	मूल पुनर्वि.	51,00.00 (-) 51,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 51,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4235-02.102.0101.5360- आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	37,76.01 (-) 3,25.92	34,50.09	34,57.89	+ 7.80	समर्पण के रूप में ₹ 3,25.92 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4235-02.800.0701.5608- महिला विश्रामालय का भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	5,00.00 (-) 4,00.00	1,00.00	1,00.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 4,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 56-कुटीर एवं ग्रामोद्योग

(मुख्य शीर्ष- 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,08,34,55			
पूरक	0	1,08,34,55	91,29,31	(-) 17,05,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				9,03,26

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	0	(-) 1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,37,08			
पूरक	0	1,37,08	79,84	(-) 57,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				69,50

अनुदान संख्या 56—कुटीर एवं ग्रामोद्योग जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 17,05.24 लाख की उपलब्ध के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 9,03.26 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्ष के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2851-103.2542-पर्यवेक्षक कर्मचारीवृन्द (क्षेत्रीय कार्यालय)	मूल पुनर्वि.	13,15.19 5.00	13,20.19	11,80.58	(-) 1,39.61	निधियों में ₹ 5.00 लाख का आवर्धन प्रावधान में ₹ 2.00 लाख की कमी और ₹ 7.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः सेवा निवृत्ति कर्मचारियों के उपदान भुगतान करने के कारण हुई। शेष वृद्धि एवं कमी के सथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2851-107.3778-रेशम उद्योग की योजनाओं का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	29,58.48 (-) 42.02	29,16.46	24,72.47	(-) 4,43.99	समर्पण के रूप में ₹ 42.02 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा व्यय पर रोक एवं 10 प्रतिशत बजट कम करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-107.0103.3777-रेशम उद्योग का विकास कार्य	मूल पुनर्वि.	1,43.17 (-) 85.30	57.87	60.67	+ 2.80	समर्पण के रूप में ₹ 85.30 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा केन्द्रांश में कमी एवं 10 प्रतिशत बजट कम करने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2851-107.0101.2731-प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	मूल पुनर्वि.	88.79 (-) 44.22	44.57	68.47	+ 23.90	₹ 44.22 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रीय रेशम बोर्ड स्व. समूह एवं फील्ड ट्रायल हेतु निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 56—कुटीर एवं ग्रामोद्योग जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2851-107.0102.3777- रेशम उद्योग का विकास कार्य	मूल पुनर्वि.	2,25.75 (-) 1,07.79	1,17.96	1,16.36	(-) 1.60	₹ 1,07.79 लाख की प्रत्याशित बचत मलवरी स्व. समूह द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-107.0102.5146- टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	2,12.50 (-) 61.19	1,51.31	1,54.42	+ 3.11	समर्पण के रूप में ₹ 61.19 लाख की प्रत्याशित बचत टसर स्व. समूह द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-107.0102.2731- प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	मूल पुनर्वि.	27.37 (-) 14.22	13.15	13.36	+ 0.21	समर्पण के रूप में ₹ 14.22 लाख की प्रत्याशित बचत फील्ड ट्रायल हेतु निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-107.0101.3777- रेशम उद्योग का विकास कार्य	मूल पुनर्वि.	9,51.33 (-) 3,77.00	5,74.33	5,15.16	(-) 59.17	समर्पण के रूप में ₹ 3,77.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा व्यय पर रोक एवं 10 प्रतिशत बजट कम करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 56-कुटीर एवं ग्रामोद्योग समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत

- (3) ₹ 57.24 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को ₹ 69.50 लाख अभ्यर्पित किया जो उपलब्ध बचत से अधिक एवं अवास्तविक था।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4851-107.0101.6336- रेशम केन्द्रों पर सिंचाई सुविधाएँ एवं अन्य निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	1,37.08 (-) 69.50	67.58	79.84	+ 12.26	समर्पण के रूप में ₹ 69.50 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा व्यय पर रोक एवं 10 प्रतिशत बजट कम करने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 57—पर्यावरण
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2217-शहरी विकास एवं 4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	21,00,02			
पूरक	20,10,47	41,10,49	40,80,47	(-) 30,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	27,20			
पूरक	0	27,20	21,76	(-) 5,44
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

उचंत लेन-देन:-

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) में "उचंत" शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। "उचंत" के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे के अन्तर्गत टिप्पणी (5) में की गई है।

2020—21 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उप शीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन-देनों का विश्लेषण प्रारंभिक और अंतशेषों सहित नीचे दिया गया है :-

अनुदान संख्या 57-पर्यावरण समाप्त

विवरण	1 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2021 को अंत शेष नामे+ जमा (-)
1	2	3	4	5
(लाख ₹ में)				
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
(1) भंडार	(-) 0.27	0.00	0.00	(-) 0.27
(2) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 2.21	0.00	0.00	+ 2.21
योग	+ 1.94	0.00	0.00	+ 1.94
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
(1) क्रय	(-) 1,94.83	0.00	0.00	(-) 1,94.83
(2) भंडार	+ 11,80.11	0.00	0.00	+ 11,80.11
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 8,01.70	0.00	0.00	+ 8,01.70
(4) कार्यशाला उचंत	+ 49.66	0.00	0.00	+ 49.66
योग	+ 18,36.64	0.00	0.00	+ 18,36.64

राजस्व:

- (1) ₹ 30.02 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 20,10.47 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 30.02 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूंजीगत:

- (3) ₹ 5.44 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

(मुख्य शीर्ष- 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 6245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	49,62,18,30			
पूरक	47,92,00,00	97,54,18,30	87,77,75,70	(-) 9,76,42,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				7,36,83,59

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10			
पूरक	0	10	0	(-) 10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				10

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00,01			
पूरक	4,85,40,01	4,86,40,02	0	(-) 4,86,40,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				4,86,40,01

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 9,76,42.60 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, ₹ 47,92,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया (₹ 40,52,00.00 लाख) एवं मार्च 2021 में प्राप्त किया गया (₹ 7,40,00.00 लाख) अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 9,76,42.60 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 7,36,83.59 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2245-01.101.0096- अग्नि पीड़ितों को राहत	मूल पुनर्वि.	43,91.98 (-) 26,17.97	17,74.01	17,81.59	+ 7.58	₹ 26,17.97 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2245-01.101.6422- सूखा से संबंधित फसल क्षति एवं अन्य कार्यों हेतु सहायता	मूल पुनर्वि.	2,63,83.06 (-) 2,63,55.67	27.39	27.39	0.00	₹ 2,63,55.67 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 2,41,00.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 22,55.67 लाख) अंशतः सूखा नहीं पड़ने के कारण हुई (₹ 2,41,00.00 लाख)। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2245-01.102.6434- सूखा से संबंधित फसल क्षति एवं अन्य कार्यों हेतु सहायता	मूल पुनर्वि.	11,00.00 (-) 10,51.15	48.85	59.74	+ 10.89	समर्पण के रूप में ₹ 10,51.15 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2245-05.101.0475- आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण प्राकृतिक आपदा अनखर्चित मार्जिन धन निधि अकाल राहत निधि	मूल पूरक पुनर्वि.	24,27,00.00 12,04,00.00 (-) 12,04,00.00	24,27,00.00	24,27,00.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 12,04,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि के अप्रयुक्त होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2245-80.001.0101.6276- आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु	मूल पुनर्वि	4,85,40.00 (-) 7,33.73	4,78,06.27	23,73.27	(-) 4,54,33.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 7,33.73 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2245-80.800.7021- पाला से क्षति पर राहत सहायता	मूल पुनर्वि	1,00,00.00 (-) 98,78.91	1,21.09	1,21.09	0.00	₹ 98,78.91 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 10,00.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 98,78.91 लाख) अंशतः सूखा नहीं पड़ने के कारण हुई (₹ 10,00.00 लाख)। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2245-02.101.0747- ओला पीड़ितों को राहत	मूल पुनर्वि.	1,46,79.77 59,90.70	2,06,70.47	2,06,70.72	+ 0.25	₹ 59,90.70 लाख की आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,62,00.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 1,02,09.30 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि ओला पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारण के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2245-80.102.6436- आपदा से संबंधित प्रशिक्षण एवं उपकरणों का क्रय	मूल पुनर्वि.	5,22.86 1,01,69.86	1,06,92.72	1,06,95.47	+ 2.75	₹ 1,01,69.86 लाख की आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,15,00.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 13,30.40 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कोरोना महामारी के लिये मशीन खरीदने (₹ 13,30.40 लाख), बाढ़ पीड़ितों को सहायता प्रदान करने (₹ 54,00.00 लाख) एवं आपदा से संबंधित मशीन खरीदने के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारण के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2245-80.800.6097- सर्पदंश पर आर्थिक सहायता	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 18,91.75	1,18,91.75	1,19,23.75	+ 32.00	₹ 18,91.75 लाख की आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20,00.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 1,08.25 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि सर्पदंश पीड़ितों का सहायता प्रदान करने के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारण के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2245-80.800.7249- कीट प्रकोप से फसल क्षति	मूल पूरक पुनर्वि.	10,17.90 10,56,00.00 8,93,00.93	19,59,18.83	21,18,62.46	+ 1,59,43.63	₹ 8,93,00.93 लाख की आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,04,00.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 3,10,99.07 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कीटों द्वारा फसल के नुकसान किये जाने के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारण के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय जारी

(5) अकाल राहत निधि	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)
2245-05-101-0474- आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण अकाल राहत निधि	0.01	0.00	(-) 0.01
यह निधि बाढ़, अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए समेकित निधि से राशि अंतरित कर निर्मित की गई हैं। निधि में किये गए निवेश से प्राप्त ब्याज भी इस निधि लेखा में जमा किया जाता है।			
वर्ष के दौरान कोई भी राशि मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-राज्य आपदा मोचन निधि-101-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण-राज्य आपदा मोचन निधि को नामे कर मुख्य शीर्ष 8223 अकाल राहत निधि-101-अकाल राहत निधि के अंतर्गत निधि लेखा में जमा नहीं की गई।			

31 मार्च 2021 को शेषों की स्थिति निम्नानुसार थी :-					(रु. लाख में)
विवरण	1 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2021 को अंत शेष नामे + जमा (-)	
(1) 101-अकाल राहत निधि	(-) 5,92.81	0.00	0.00	(-) 5,92.81	
(2) 102-अकाल राहत निधि- निवेश लेखा	0.00	0.00	0.00	0.00	
कुल	(-) 5,92.81	0.00	0.00	(-) 5,92.81	
निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2020-21 के विवरण संख्या-21 में मुख्य शीर्ष 8223-अकाल राहत निधि-101-अकाल राहत निधि तथा 102-अकाल राहत निधि निवेश लेखा के अंतर्गत सम्मिलित है।					

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय जारी

(6) राज्य आपदा मोचन निधि:-

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित यह निधि (पुनरीक्षित प्रशासकीय निर्देशों सहित) "आपदा राहत निधि" जो कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत तक प्रवर्तनशील थी, के स्थान पर 14 दिसम्बर 2010 से प्रभाव में आई। सभी प्राकृतिक आपदायें जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, ओलावृष्टि, अग्नि, भू-स्खलन, हिम खण्डों का स्खलन, बादल फटना तथा कीटों का आक्रमण आदि इस योजना के अंतर्गत राहत के लिए विशेषित हैं और वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंत तक यह योजना प्रवर्तनशील थी। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के लिए वर्ष 2020-21 हेतु निधि का अंशदान ₹ 24,27,00.00 लाख निश्चित किया गया, जिसका 75 प्रतिशत (₹ 18,20,00.00 लाख) केन्द्र सरकार द्वारा आयोजनेत्तर अनुदान के रूप में किया गया। अंशदान लेखा शीर्ष 1601—केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान-07-वित्त मंत्रालय अनुदान-104-राज्य आपदा मोचन निधि को अंशदान हेतु अनुदान" के अंतर्गत प्रथमतः जमा किया गया और शेष 25 प्रतिशत (₹ 6,07,00.00 लाख) का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया गया। कुल अंशदान इस अनुदान के मुख्य शीर्ष "2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत-05-आपदा राहत निधि 101-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण-आपदा राहत निधि" के अंतर्गत इन उद्देश्यों हेतु प्रावधान निर्मित करने के पश्चात् लेखा शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा मोचन निधि" के अंतर्गत अथवा यदि निधि का निवेश करना संभव न हो तो लेखा शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि-115-प्राकृतिक विपत्ति और अव्ययित मार्जिनल मुद्रा" के अंतर्गत इस शीर्ष को अंतरित कर किया जाता है। सहायता या राहत पर व्यय प्रथमतः इस अनुदान में प्रावधान के विरुद्ध नामे किया जाता है और समान राशि वर्ष का लेखा बंद करने से पूर्व निधि को अंतरित की जाती है। 1 नवम्बर 2000 से मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् मुख्य शीर्ष "8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-122-भारत की राज्य आपदा राहत निधि" में अंतिम शेष ₹ 1,02,46.44 लाख था। यह राशि मुख्य शीर्ष 8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि—122—राज्य आपदा निधि में मुख्य शीर्ष 8235—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों—111—आपदा राहत निधि से अंतरित की गई है। क्योंकि आपदा राहत निधि—14 दिसम्बर 2010 से अस्तित्व में नहीं है। म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य शेषों के प्रभाजन के फलस्वरूप मुख्य शीर्ष "8121-सामान्य एवं आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा मोचन निधि" के अन्तर्गत म.प्र. का 1 अप्रैल 2020 को निरंक (क्रेडिट) का शेष था। वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष 2245-05-101-0475-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण-प्राकृतिक आपदा अनखर्चित मार्जिन मुद्रा निधि-अकाल राहत निधि" में ₹ 18,20,00.00 एवं ₹ 6,07,00.00 लाख एवं मुख्य शीर्ष 2245—80—103—7024 को ₹ 12,80,18.00 लाख एवं ₹ 6,11,61.00 लाख नामे कर, मुख्य शीर्ष 8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों—122—राज्य आपदा मोचन निधि में ₹ 43,18,79.00 लाख की राशि जमा की गई।

वर्ष के लेखे बन्द होने से पूर्व प्राकृतिक आपदाओं पर किया गया ₹ 38,33,39.00 लाख का व्यय इस निधि के नामे किया गया। 31 मार्च 2021 को निधि लेखा में मुख्य शीर्ष 8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां—122—राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत ₹ 4,85,40.00 लाख का क्रेडिट शेष था। जब निधि मुख्य शीर्ष 8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां—122—राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत वर्गीकृत हो तो निधि में जमा राशि को कोषालय बिल, भारत सरकार की प्रतिभूतियों, सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण-पत्रों और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों एवं सहकारी बैंकों में निवेशित करना चाहिये था। यदि निधि का निवेश संभव न हो तो इस पर राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की अधिविकर्षण विनियमन योजना के अंतर्गत लागू ब्याज दर से ब्याज का भुगतान करना चाहिए। ब्याज अर्ध-वार्षिक आधार पर मुख्य शीर्ष "2049—ब्याज अदायगी— 05—आरक्षित निधियों पर ब्याज—105—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज" को नामे किया जाता है। वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया और निधि में ब्याज की कोई राशि भी जमा नहीं की गई।

निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2020-21 के विवरण संख्या-21 में सम्मिलित किया गया है।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय समाप्त

पूंजीगत:

दत्तमत

(7) ₹ 4,86,40.02 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को ₹ 4,86,40.01 लाख अभ्यर्पित की गई।

(8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-80.800.6276- आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु	पूरक पुनर्वि.	4,85,40.01 (-) 4,85,40.01	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 4,85,40.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
6245-01.800.2750- प्राकृतिक विपदाओं के कारण उत्पन्न जलकष्ट के निवारण हेतु ऋण	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-) 1,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 59—ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित
विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष-4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	11,31,28,00			
पूरक	0	11,31,28,00	3,61,60,00	(-) 7,69,68,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				7,69,68,00

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत:

- (1) ₹ 7,69,68.00 लाख की सम्पूर्ण बचत 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4515-800.1203.0654- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (बाह्य वित्त पोषित)	मूल पुनर्वि.	1,76,00.00 (-) 1,09,55.80	66,44.20	66,44.20	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,09,55.80 लाख की प्रत्याशित बचत योजना प्रभार से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।
4515-800.1202.0654- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (बाह्य वित्त पोषित)	मूल पुनर्वि.	2,53,00.00 (-) 1,40,06.10	1,12,93.90	1,12,93.90	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,40,06.10 लाख की प्रत्याशित बचत योजना प्रभार से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।
4515-800.1201.0654- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (बाह्य वित्त पोषित)	मूल पुनर्वि.	7,02,28.00 (-) 5,20,06.10	1,82,21.90	1,82,21.90	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 5,20,06.10 लाख की प्रत्याशित बचत योजना प्रभार से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 60—जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	44,65,00			
पूरक	4,78,63	49,43,63	45,69,91	(-) 3,73,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				4,01

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,43,74,96			
पूरक	1,07,04,83	6,50,79,79	5,93,21,69	(-) 57,58,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,48,35

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 3,73.72 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 4,78.63 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 3,73.72 लाख के उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 4.01 लाख का अभ्यर्पण किया गया।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-800.1954-सांसद स्वेच्छानुसार निधि से आर्थिक सहायता	मूल	10,00.00				बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पूरक	1,13.11	11,13.11	9,59.59	(-) 1,53.52	

अनुदान संख्या 60—जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय समाप्त

पूजीगत:

- (4) ₹ 57,58.10 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 1,07,04.83 लाख अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 57,58.10 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 1,48.35 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4515-103.0101.8284- म.प्र. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	2,75,65.00 97,34.22 (-) 1,46.36	3,71,52.86	3,22,54.75	(-) 48,98.11	समर्पण के रूप में ₹ 1,46.36 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4515-800.0102.5775- विन्ध्य विकास प्राधिकरण	मूल	42.00	42.00	0.00	(-) 42.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4515-800.0101.5775- विन्ध्य विकास प्राधिकरण	मूल	1,00.00	1,00.00	25.01	(-) 74.99	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 61—बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, 2403-पशु पालन, 2405-मछली पालन, 2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2700-मुख्य सिंचाई, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय, 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	8			
पूरक	0	8	0	(-) 8
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				3

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	8			
पूरक	4,50,00	4,50,08	1,11,24	(-) 3,38,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				7

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 0.08 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 0.03 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

पूंजीगत:

- (2) ₹ 3,38.84 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 4,50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 61—बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय समाप्त

- (3) ₹ 3,38.84 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 0.07 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (4) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.102.1501.2580- पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	पूरक	1,50.00	1,50.00	0.00	(-) 1,50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4406-01.102.0101.5110- बुन्देलखण्ड क्षेत्र विकास	पूरक	3,00.00	3,00.00	1,11.24	(-) 1,88.76	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 62—पंचायत

(मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,00,27,01			
पूरक	0	2,00,27,01	1,80,26,99	(-) 20,00,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	50			
पूरक	0	50	0	(-) 50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 20,00.02 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-101.2474- पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार	मूल	1,93,03.32	1,93,03.32	1,73,86.40	(-) 19,16.92	इस शीर्ष के अंतर्गत समान राशि (₹ 60.00 लाख) का पुनर्विनियोजन के द्वारा कमी एवं वृद्धि हुई है। कमी एवं वृद्धि के कारण सहित अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 62—पंचायत समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-101.0101.2467- पंचायत संचालनालय	मूल	5,89.11	5,89.11	5,14.60	(-) 74.51	इस शीर्ष के अंतर्गत समान राशि (₹ 14.00 लाख + ₹ 30.40 लाख) का पुनर्विनियोजन के द्वारा कमी एवं वृद्धि हुई है। कमी एवं वृद्धि के कारण सहित अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 63—अल्पसंख्यक कल्याण
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष-2225- अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 4225- अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	17,41,56			
पूरक	78,56	18,20,12	8,40,17	(-) 9,79,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				6,59,26

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,00,00			
पूरक	95,08,00	1,01,08,00	5,39,60	(-) 95,68,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				2,47,98

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 78.56 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 9,79.95 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 6,59.26 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2225-03.800.9409- मस्जिद समिति, भोपाल को अनुदान	मूल 3,88.10 पुनर्वि. (-) 68.10	3,20.00	2,60.04	(-) 59.96	समर्पण के रूप में ₹ 68.10 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 63—अल्पसंख्यक कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-03.800.9410-म.प्र. हज समिति को अनुदान	मूल पुनर्वि.	1,86.90 (-) 77.11	1,09.79	52.00	(-) 57.79	समर्पण के रूप में ₹ 77.11 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2225-03.800.9411-चर्च एवं दरगाह इत्यादि को अनुदान	मूल	1,00.00	1,00.00	18.61	(-) 81.39	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2225-03.800.9413-वक्फ न्यायाधिकरण का गठन	मूल पुनर्वि.	1,39.91 (-) 46.97	92.94	75.88	(-) 17.06	समर्पण के रूप में ₹ 46.97 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2225-03.800.0801.2082-अल्पसंख्यकों को मदरसा / शिक्षा प्रदान करना	मूल पुनर्वि.	1,80.00 (-) 1,80.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत ₹ 1,80.00 लाख के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2225-03.800.0101.5180-बेरोजगार युवक—युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण	मूल पुनर्वि.	54.66 (-) 54.66	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत ₹ 54.66 लाख के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2225-03.800.0101.6626-अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार	मूल पुनर्वि.	46.38 (-) 46.38	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत ₹ 46.38 लाख के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2225-03.800.0101.7237-मध्यप्रदेश हज कमेटी को हज हाउस के निर्माण हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	1,02.10 (-) 2.10	1,00.00	0.00	(-) 1,00.00	समर्पण के रूप में ₹ 2.10 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

पूँजीगत:

- (4) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 95,08.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 95,68.40 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 2,47.98 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 63—अल्पसंख्यक कल्याण समाप्त

(6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-03.800.0701.5617- अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम	पूरक पुनर्वि.	95,08.00 (-) 1,87.58	93,20.42	0.00	(-) 93,20.42	समर्पण के रूप में ₹ 1,87.58 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 64—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2217-शहरी विकास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 6217-शहरी विकास के लिये कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	70,80,87,76			
पूरक	7,07,66,95	77,88,54,71	69,90,35,06	(-) 7,98,19,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				3,31,47

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	7,20,00,00			
पूरक		7,20,00,00	7,19,99,64	(-) 36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	59,00,00			
पूरक	25,00,00	84,00,00	76,00,00	(-) 8,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 64—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2021 (₹ 6,07,66.95 लाख) एवं मार्च 2021 में (₹ 1,00,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 7,07,66.95 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 7,98,19.65 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 3,31.47 लाख अभ्यर्पित किये गये हैं।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02.789.191.0103.2669- नगरीय निकायों के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय	मूल	3,61.92	3,61.92	1,94.08	(-) 1,67.84	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.789.191.0101.2669- नगरीय निकायों के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय	मूल	13,79.82	13,79.82	9,58.77	(-) 4,21.05	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2215-01.789.101.0102.0545- प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण	मूल पुनर्वि.	7,18.89 (-) 5,00.00	2,18.89	92.82	(-) 1,26.07	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2215-01.789.101.0101.0545- प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण	मूल पुनर्वि.	1,70,33.64 5,00.00	1,75,33.64	1,46,28.68	(-) 29,04.96	₹ 5,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25,45.00 लाख की कमी एवं ₹ 30,45.00 की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अंशतः वित्तीय वर्ष 2020-21 में मजदूरों को भुगतान न करने के कारण हुई। कमी के कारण सहित अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 64—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2217-05.789.191.1325-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	मूल	3,60,00.00	3,60,00.00	0.00	(-) 3,60,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2217-05.789.191.1301.9640-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार	मूल	5,98,00.00	5,98,00.00	4,48,50.00	(-) 1,49,50.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2217-05.789.191.0102.7145-मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम	पूरक	1,82.00	1,82.00	15.89	(-) 1,66.11	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2217-05.789.192.1325-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	मूल	1,80,00.00	1,80,00.00	0.00	(-) 1,80,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2217-05.789.192.0101.7145-मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	3,77.00 (-) 1,86.13	1,90.87	1,89.07	(-) 1.80	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,86.13 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2217-05.789.193.1325-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	मूल	62,00.00	62,00.00	0.00	(-) 62,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
3604-789.191.6062-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेयजल योजनाओं के लिये विद्युत व्यय की प्रतिपूर्ति	मूल	40.00	40.00	0.00	(-) 40.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3604-789.191.6063-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट अनुदान	मूल	40.00	40.00	0.00	(-) 40.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 8,00.00 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जनवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 25,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 8,00.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6217-60.789.191.5728-पेयजल पूर्ति के लिये नगरीय निकायों को कर्ज	मूल	4,00.00	4,00.00	0.00	(-) 4,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
6217-60.789.192.5728-पेयजल पूर्ति के लिये नगरीय निकायों को कर्ज	मूल	2,50.00	2,50.00	0.00	(-) 2,50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
6217-60.789.193.5728-पेयजल पूर्ति के लिये नगरीय निकायों को कर्ज	मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	(-) 1,50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 65-विमानन
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ, 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 3053-नागर विमानन, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	24,76,14			
पूरक	07,52,00	32,28,14	25,09,77	(-) 7,18,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

राजस्व दत्तमत अनुभाग में हुए व्यय (₹ 25,09,77,000) के अंतर्गत आकस्मिकता निधि से 16.02.2021 को कुल स्वीकृत अग्रिम ₹ 3,50,00,000 में से ₹ 3,47,11,334 खर्च की गई राशि भी शामिल हैं, यह राशि वर्ष के दौरान निधि में प्रतिपूर्ति की गई।

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	62,00,01			
पूरक	33,50,00	95,50,01	60,17,09	(-) 35,32,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में हुए व्यय (₹ 60,17,08,677) के अंतर्गत आकस्मिकता निधि से 20.07.2020 को कुल स्वीकृत अग्रिम ₹ 33,50,00,000 में से ₹ 33,50,00,000 खर्च की गई राशि भी शामिल हैं, यह राशि वर्ष के दौरान निधि में प्रतिपूर्ति की गई।

अनुदान संख्या 65—विमानन समाप्त

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 7,18.37 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, ₹ 7,52.00 लाख का प्राप्त अनुपूरक अनुदान जनवरी 2021 (₹ 4,02.00 लाख) एवं मार्च 2021 (₹ 3,50.00 लाख) अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 7,18.37 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2052-091.4043- विमानन संचालनालय	मूल पूरक	15,76.13 7,52.00	23,28.13	21,06.77	(-) 2,21.36	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
3053-80.003.0101.0689- क्षेत्रीय संयोजन (रीजनल कनेक्टिविटी)	मूल	9,00.00	9,00.00	4,03.00	(-) 4,97.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

- (4) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2021 में प्राप्त ₹ 33,50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 35,32.92 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5053-80.800.0101.0690- अधोसंरचना एवं विमानपत्तन का विकास	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-) 1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
5053-80.800.0101.6592- नये जेट विमान का क्रय	मूल पूरक	61,00.00 33,50.00	94,50.00	60,17.09	(-) 34,32.91	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021) इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 66—पिछड़ा वर्ग कल्याण
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 4225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,45,88,85			
पूरक	1,56,30,00	9,02,18,85	8,76,39,51	(-) 25,79,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				2,06

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	17,74,02			
पूरक	0	17,74,02	5,95,36	11,78,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 25,79.34 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जनवरी 2021 (₹ 6,30.00 लाख) एवं मार्च 2021 (₹ 1,50,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,56,30.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 25,79.34 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 2.06 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) यद्यपि ₹ 25,79.34 लाख की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उप शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचत परिलक्षित हुई है :-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-03.001.1474-जिला कार्यालयों की स्थापना	मूल 18,29.38	18,29.38	15,65.58 (-) 2,63.80	इस शीर्ष के अंतर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (₹ 1.00 लाख) की कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 66—पिछड़ा वर्ग कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-03.277.0801.2676-11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति	मूल	92,40.00	92,40.00	91,46.59	(-) 93.41	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.277.0101.1385-छात्र गृह योजना	मूल	90.80	90.80	73.76	(-) 17.04	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2225-03.277.0101.5181-उच्च शिक्षा के लिये विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति	मूल पूरक	12,00.00 6,00.00	18,00.00	13,59.65	(-) 4,40.35	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.800.6324-स्व. श्री रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार	मूल	14.55	14.55	0.00	(-) 14.55	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2225-03.800.8316-मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग	मूल	1,51.39	1,51.39	1,01.36	(-) 50.03	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2225-03.800.0101.5180-बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण	मूल	15,00.00	15,00.00	31.57	(-) 14,68.43	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.800.0101.7065-संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से परीक्षा	मूल	58.00	58.00	15.60	(-) 42.40	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
2225-03.800.0101.6272-मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग व्यावसायिक प्रतिभा परीक्षा पुरस्कार योजना	मूल	1.75	1.75	0.00	(-) 1.75	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

पूँजीगत:

- (4) ₹ 11,78.66 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

अनुदान संख्या 66—पिछड़ा वर्ग कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-03.800.0701.5512- जिला स्तरीय बालक छात्रवासों का भवन निर्माण	मूल	5,70.00	5,70.00	1,39.34	(-) 4,30.66	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4225-03.800.0701.6889- जिला स्तरीय कन्या छात्रावासों का भवन निर्माण	मूल	12,00.00	12,00.00	4,56.02	(-) 7,43.98	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन

(मुख्य शीर्ष- 2059-लोक निर्माण कार्य, 2216-आवास, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,85,56,02			
पूरक	0	3,85,56,02	3,48,78,31	(-) 36,77,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,00,00			
पूरक	0	2,00,00	45,90	(-) 1,54,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	99,44,28			
पूरक	0	99,44,28	52,34,99	(-) 47,09,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 67-लोक निर्माण कार्य-भवन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 36,77.71 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
 (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2059-80.001.2418-निष्पादन	मूल	2,10,26.11	2,10,26.11	1,84,46.91	(-) 25,79.20	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2059-80.001.7246-परियोजना क्रियान्वयन इकाई	मूल	68,88.89	68,88.89	59,29.96	(-) 9,58.93	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2059-80.052.7091-विद्युत एवं यांत्रिकी स्थापना	मूल	5,16.01	5,16.01	2,37.50	(-) 2,78.51	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) उचंत लेन-देन :-

इस अनुदान के व्यय में 2059-लोक निर्माण 'उचंत' शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाये गये ₹ निरंक की राशि सम्मिलित है। 'उचंत' के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या-20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) की टीप (5) में की गई हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान इस अनुदान में विभिन्न 'उचंत' उप शीर्षों के अंतर्गत लेखांकित 'उचंत' लेन-देनों का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	1 अप्रैल 2020 को प्रारम्भिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2021 को अंत शेष नामे+ जमा(-)
2059-लोक निर्माण कार्य (लाख ₹ में)				
(i) क्रय	(-) 62,89.91	0.00	0.00	(-) 62,89.91
(ii) भण्डार	+ 24,86.48	0.00	0.00	+ 24,86.48
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+1,47,81.38	0.00	0.00	+1,47,81.38
योग	+ 1,09,77.95	0.00	0.00	+1,09,77.95

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन जारी

प्रभारित

- (4) ₹ 1,54.10 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2059-80.800.1833- डिक्री धन का भुगतान (भारित)	मूल	2,00.00	2,00.00	45.90	(-) 1,54.10	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (6) ₹ 47,09.29 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.2348- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों एवं व्ही.व्ही.पी.ए.टी. के लिए वेयर हाउस का निर्माण	मूल	45,00.00	45,00.00	27,59.98	(-) 17,40.02	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0103.8042- विश्राम भवन/गृह का निर्माण/पुनर्निर्माण/ पुनर्स्थापना	मूल	1,00.00	1,00.00	9.10	(-) 90.90	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4059-01.051.0102.8042- विश्राम भवन/गृह का निर्माण/पुनर्निर्माण/ पुनर्स्थापना	मूल	3,00.00	3,00.00	33.16	(-) 2,66.84	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.7088- सर्वेक्षण कार्य	मूल	3,00.00	3,00.00	47.07	(-) 2,52.93	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।
4059-01.051.0101.8041- लोक निर्माण विभाग के संभागीय/उप संभागीय कार्यालय	मूल	4,00.00	4,00.00	96.72	(-) 3,03.28	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20, 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4216-01.106.0103.1938-	मूल	6,00.00	6,00.00	1,64.67	(-) 4,35.33	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4216-01.106.0102.1938-	मूल	9,00.00	9,00.00	3,12.63	(-) 5,87.37	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4216-01.106.0101.1938-	मूल	2,00.00	2,00.00	11,17.27	(-) 8,82.73	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4216-01.106.0101.3849-	मूल	2,00.00	2,00.00	66.17	(-) 1,33.83	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 68—लोक परिसंपत्ति प्रबंधन
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष-2029- भू-राजस्व)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	0			
पूरक	4,00,00	4,00,00	40,07	(-) 3,59,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 3,59.93 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2029-104.7656- लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	पूरक	4,00.00	4,00.00	40.07	(-) 3,59.93	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ xviii पर संदर्भित)

अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां

अनुदान या विनियोग की संख्या एवं नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक (+) कमी (-)
(1)	(2)	(3)	(4)
	(हजार ₹ में)		
01. सामान्य प्रशासन			
राजस्व-			
प्रभारित	19,28,00		(-) 19,28,00
03. पुलिस-			
राजस्व-			
दत्तमत	6,00,01		(-) 6,00,01
पूँजीगत-			
दत्तमत	4,00,00		(-) 4,00,00
07. वाणिज्यिक कर			
राजस्व-			
दत्तमत	1		(-) 1
09. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा			
राजस्व-			
दत्तमत	50,00,00		(-) 50,00,00
10. वन-			
पूँजीगत-			
दत्तमत	4,00,11,57		(-) 4,00,11,57
12. ऊर्जा-			
पूँजीगत-			
दत्तमत	5,00,00,00		(-) 5,00,00,00
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी-			
पूँजीगत-			
दत्तमत	3,87,62,00		(-) 3,87,62,00
23. जल संसाधन-			
राजस्व-			
दत्तमत	62,81,88	59,94,31	(-) 2,87,57
पूँजीगत-			
दत्तमत	29,49,00		(-) 29,49,00

24. लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल			
पूँजीगत-			
दत्तमत	1,25,00,00		(-) 1,25,00,00
25. खनिज साधन-			
राजस्व-			
दत्तमत	15,82,12	13,36,65	(-) 2,45,47
पूँजीगत-			
दत्तमत	8,99,95	77,56	(-) 8,22,39
29. विधि और विधायी कार्य-			
राजस्व-			
दत्तमत	1,15,83,58		(-) 1,15,83,58
30. ग्रामीण विकास-			
पूँजीगत-			
दत्तमत	82,96,00		(-) 82,96,00
33. जनजातीय कार्य			
पूँजीगत-			
दत्तमत	1		(-) 1
48. नर्मदा घाटी विकास-			
राजस्व-			
दत्तमत	14,25,83		(-) 14,25,83
पूँजीगत-			
दत्तमत	2,00,21,18		(-) 2,00,21,18
52. चिकित्सा शिक्षा			
पूँजीगत-			
दत्तमत	30,00,00		(-) 30,00,00
53. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता			
पूँजीगत-			
दत्तमत	31,28,00		(-) 31,28,00
55. महिला एवं बाल विकास			
राजस्व-			
दत्तमत	1,08,62,42		(-) 1,08,62,42
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय-			
राजस्व-			
दत्तमत	24,27,00,01	38,33,39,00	+ 14,06,38,99
64. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता-			
राजस्व-			
दत्तमत	4,35,00,00		(-) 4,35,00,00

परिशिष्ट-I-समाप्त

	(1)	(2)	(3)	(4)
(हजार ₹ में)				
योग-				
राजस्व-				
दत्तमत		32,35,35,86	39,06,69,95	6,71,34,09
प्रभारित		19,28,00		(-) 19,28,00
पूँजीगत-				
दत्तमत		17,99,67,71	77,56	(-) 17,98,90,15
महायोग				
राजस्व		32,54,63,86	39,06,69,95	6,52,06,09
पूँजीगत		17,99,67,71	77,56	(-) 17,98,90,15

परिशिष्ट-II

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ xviii पर संदर्भित)

शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरण द्वारा जमा राशियों का अनुदानवार एवं योजनावार विवरण

अनुदान संख्या एवं नाम	योजना का नाम एवं ब्यौरेवार शीर्ष तक लेखाओं का शीर्ष	कुल बजट प्रावधान मूल+पूरक	किया गया व्यय	8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा में अंतरित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(लाख ₹ में)				
निरंक				

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agmp.nic.in